

मास्टर परिपत्र
MASTER CIRCULAR

संबंधी / On

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स
इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations
of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024

और / And

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations,
2018



31 मई, 2024
31st May, 2024

संदर्भ: आईआरडीएआई/आरईआईएन/एमएसटीसीआईआर/विविध/87/5/2024

Ref: IRDAI/REIN/MSTCIR/MISC/87/5/2024

दिनांक/Date: 31/05/2024

पुनर्बीमा संबंधी मास्टर परिपत्र, 2024
Master Circular on Reinsurance, 2024

प्राधिकरण ने पुनर्बीमा परिचालनों के लिए विनियामक ढाँचे को मजबूत और सुमेलित करने के उद्देश्य से भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 और आईआरडीए (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 अधिसूचित किये हैं। आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 34 और आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 33 तथा आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण इसके द्वारा विभिन्न अपेक्षाओं और फार्मों को विनिर्दिष्ट करने और उपर्युक्त विनियमों के विभिन्न उपबंधों के संबंध में निदेश/दिशानिर्देश उपलब्ध कराने के लिए यह मास्टर परिपत्र जारी करता है।

The Authority has notified Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 and IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018, with the objective of strengthening and harmonizing the regulatory framework for reinsurance operations. In exercise of the powers conferred by Section 14 of the IRDA Act, 1999, section 34 of the Insurance Act, 1938 and Regulation 33 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 and Regulation 12 of IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018, the Authority hereby issues this Master Circular to specify various requirements and forms and to provide directions/guidelines on various provisions of the said Regulations.

यह मास्टर परिपत्र सभी बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के लिए लागू है।

This Master Circular is applicable to all Insurers, Reinsurers, Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India.

यह मास्टर परिपत्र इसके निर्गम की तारीख से प्रवृत्त होगा।

This Master circular shall come into force from the date of its issuance.

इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

This has approval of the Competent Authority.

हस्ता. / Sd/-
(शार्दूल आदमाणे / Shardul Admane)
(महाप्रबंधक / General Manager)

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
भाग I		
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024		
अध्याय I: विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं, लायड्स इंडिया, लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों और व्यवसायसंघों का पंजीकरण		
1.	फार्म आर-1 - विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन का फार्मेट	7-13
2.	फार्म आर-2 - विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के पंजीकरण के लिए आवेदन का फार्मेट	14-15
3.	फार्म आर-3 - विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के पंजीकरण प्रमाणपत्र का फार्मेट	16
4.	फार्म आर-4 - पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने के लिए आवेदन का फार्मेट	17
5.	फार्म एस-1 - लायड्स इंडिया के सदस्यों के विवरण के प्रस्तुतीकरण के लिए फार्मेट	18
6.	फार्म एस-2 - लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी और व्यवसायसंघ के पंजीकरण के लिए आवेदन का फार्मेट	19-24
	फार्म एस-3 - लायड्स इंडिया सेवा कंपनी और लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ द्वारा संयुक्त प्रमाणीकरण का फार्मेट	25
7.	फार्म एस-4 - लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघ और सेवा कंपनी के लिए संयुक्त पंजीकरण के प्रमाणपत्र का फार्मेट	26
अध्याय II: विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के शाखा कार्यालय के परिचालन		
8.	कारपोरेट अभिशासन	27-32
9.	एफआरबीएस द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति	32-36
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन के अन्य प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक	36-37
11.	निधियों का प्रत्यावर्तन	37-39
अध्याय II का परिशिष्ट		
	फार्म सीजी-1 - कारपोरेट अभिशासन के अनुपालन का प्रमाणपत्र	40
	फार्म केएमपी-1 - प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों (केएमपी) का ब्योरा	41-43

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
	फार्म केएमपी-2 – वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र	44
	फार्म केएमपी-3 – केएमपीएस को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण	45
	फार्म ए1 - लेखा-परीक्षा फर्म के सभी भागीदारों के द्वारा घोषणा	46-47
	फार्म ए2 - अनुपालन का प्रमाणपत्र – लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति	48
	फार्म ए3 - लेखा-परीक्षकों की विवरणियाँ	49
	फार्म ए - सीईओ की नियुक्ति हेतु अनुमोदन के लिए आवेदन	50-51
	फार्म बी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा घोषणा और वचनपत्र	52-54
	फार्म सी - मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पारिश्रमिक का विवरण	55-56
अध्याय III: विविध		
12.	पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण या निरसन	57-58
13.	समामेलन, विलय, अधिग्रहण, अंतरण या पुनःसंरचना	58-60
14.	एफआरबी/लायड्स इंडिया/लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियाँ	60-62
15.	भारत में एफआरबीएस द्वारा अतिरिक्त कार्यालय खोलना (डीटीए)	62-63
16.	संक्रमण संबंधी उपबंध	63-64
अध्याय III का परिशिष्ट		
	फार्म ओएस-1 – बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलापों की रिपोर्टिंग	65
भाग II		
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पुनर्बीमा) विनियम, 2018		
अध्याय I: सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआर) को फाइल संदर्भ संख्याओं (एफआरएन) के निर्गम के लिए निदेश		
17.	सीबीआर पोर्टल पर आवेदन फाइल करने के लिए निदेश	66-68
	फार्म सीबीआर-1 – सीबीआर की संदर्भ संख्या फाइल करने के लिए आवेदन का फार्मेट	69-75
	फार्म सीबीआर-2 – अनुपालन का प्रमाणपत्र	76
18.	सभी बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए विवरण	77
	अनुबंध-क – पुनर्बीमाकर्ताओं/बीमाकर्ताओं द्वारा अग्रिम (सारांश) पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुदेश	78-81
	अनुबंध-ख – साधारण, स्वास्थ्य, छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं, और एफआरबीएस तथा लायड्स इंडिया के लिए अग्रिम (सारांश) पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरणों के लिए फार्मेट	81
	अनुबंध-ग – जीवन बीमाकर्ताओं के लिए अग्रिम (सारांश) पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरणों के लिए फार्मेट	81
	अनुबंध-घ – अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए प्रमाणपत्र	82

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
19.	सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के पास पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थानन के लिए संपार्श्विक अपेक्षाएँ	83-84
अनुसूची-1		
	निरस्त परिपत्रों/दिशानिर्देशों/निदेशों की सूची	85

INDEX

S.No.	Description	Page No.
PART I		
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024		
CHAPTER I: Registration of Foreign Reinsurers Branches, Lloyd's India, Service Companies and Syndicates of Lloyd's India		
1.	Form R-1 - Format of Application for Registration of branches of Foreign Reinsurers	86-92
2.	Form R-2 - Format of Application for Registration of branches of Foreign Reinsurers	93-94
3.	Form R-3 - Format of -Certificate of Registration of Branch Office of a Foreign Reinsurer	95
4.	Form R-4 - Format of Application for Issue of Duplicate Certificate of Registration	96
5.	Form S-1 - Format for submission of Details of Members of Lloyd's India	97
6.	Form S-2 - Format of Application for Registration of Service Company & Syndicate of Lloyd's India	98-103
	Form S-3 - Format of Joint Certification by Lloyd's India Service Company and Lloyd's India Syndicate	104
7.	Form S-4 - Format of Certificate of Joint Registration for Syndicate and Service Company of Lloyd's India	105
CHAPTER II: Operations of Foreign Reinsurers' Branch Office		
8.	Corporate Governance	106-111
9.	Appointment of Statutory Auditors by FRBs	111-115
10.	Appointment and Remuneration of Chief Executive Officer and other Key Management Personnel	115-116

S.No.	Description	Page No.
11.	Repatriation of Funds	116-118
Appendix to Chapter II		
	Form CG-1 - Certificate of Compliance of Corporate governance	119
	Form KMP-1 - Particulars of Key Management Persons (KMPs)	120-122
	Form KMP-2 - Annual compliance certificate	123
	Form-KMP3 - Details of remuneration paid to KMPs	124
	Form A1 - Declaration by all the partners of Audit firm	125-126
	Form A2 - Certificate of Compliance- appointment of auditors	127
	Form A3 - Returns of Auditors	128
	Form A - Application for approval for appointment of CEO	129-130
	Form B -Declaration and undertaking by Chief Executive Officer	131-133
	Form C - Details of remuneration of Chief Executive Officer	134-135
CHAPTER III: Miscellaneous		
12.	Surrender or cancellation of certificate of registration	136-137
13.	Amalgamation, Merger, Acquisition, Transfer or Restructuring	137-139
14.	Outsourcing of Activities by FRB/ Lloyd's India / Service companies of Lloyd's India	139-141
15.	Opening of additional Offices by FRBs in India (DTA)	141
16.	Transition provisions	142
Appendix to Chapter III		
	Form OS-1 – Reporting of Outsourced activities	143
PART II		
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Re-insurance) Regulations, 2018		
Chapter I: Directions for issue of File Reference Numbers (FRN) to Cross Border Reinsurers (CBR)		
17.	Directions for filing applications on CBR Portal	144-145
	Form CBR-1 – Format of Application for Filing Reference Number of CBR	146-153
	Form CBR-2 - Certificate of Compliance	154
18	Details for Reinsurance Programme to be furnished by all insurers	155

S.No.	Description	Page No.
	Annex-A- Instructions for submission of Advance (Summary) Reinsurance Programme by Reinsurers/Insurers	156-159
	Annex- B- Format for submissions of Advance (Summary) Reinsurance Programme for General, Health, Exempted Insurers, and FRBs and Lloyd's India	159
	Annex- C- Format for submissions of Advance (Summary) Reinsurance Programme for Life Insurers	159
	Annex- D- Certificate for Advance Reinsurance Programme	160
19	Collateral requirements for placement of reinsurance business with Cross Border Reinsurers (CBRs)	161-162
Schedule-1		
	List of repealed Circulars/Guidelines/Directions	163

अध्याय I

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघों का पंजीकरण

1. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 5(3) के अनुसार आवेदक जिसका आर1 आवेदन के लिए माँग-पत्र स्वीकार किया गया हो, निम्नानुसार विनिर्दिष्ट फार्मेट में आवेदन प्रस्तुत करेगा:

फार्म आईआरडीएआई/रीइन्स/आर1

[विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के लिए पंजीकरण आवेदन]

1. आवेदक का नाम:
2. पता:
3. आवेदक के संस्थापन की तारीख [दिन/माह/वर्ष]
4. पंजीकरण संख्या (विदेश के विनियामक प्राधिकारी द्वारा जारी की गई):
5. पुनर्बीमा व्यवसाय की व्यवस्था:
 - i. जीवन और/या साधारण और/या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय; या
 - ii. प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य श्रेणी
6. प्राधिकृत पूँजी की राशि या उसकी समतुल्य और अभिदत्त राशि
 - i. लायड्स इंडिया के मामले में : प्राधिकृत पूँजी की राशि या उसकी समतुल्य और अभिदत्त राशि
 - ii. लायड्स इंडिया को छोड़कर अन्य एफआरबीएस के मामले में : प्राधिकृत पूँजी की राशि, शेयरों का अंकित मूल्य और अभिदत्त राशि
7. विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा के कार्यों के लिए जिम्मेदार व्यक्ति(यों) का नाम, पता और संपर्क का विवरण:
8. जहाँ आवेदक पंजीकृत है वहाँ के स्वदेशी अधिकार-क्षेत्र में विनियामक प्राधिकारी का नाम, पता और संपर्क का विवरण:
9. _____ को विद्यमान स्थिति के अनुसार आवेदक की निवल स्वाधिकृत निधि (आवेदन की तारीख से बारह महीने से अनधिक अवधि से पहले):
10. किसी अंतरराष्ट्रीय तौर पर प्रसिद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से पिछले 3 वर्ष के लिए प्राप्त क्रेडिट रेटिंग
11. उन वर्षों की संख्या जब आवेदक विदेशी पुनर्बीमा व्यवसाय में सक्रिय रहा है:
12. भारत में शाखा कार्यालय स्थापित करने के लिए अनुमति देते हुए स्वदेश के विनियमनकर्ता से प्राप्त अनुमति:
13. स्वदेशी विनियमनकर्ता द्वारा निर्धारित न्यूनतम शोधन-क्षमता मार्जिन:
14. आवेदक का शोधन-क्षमता मार्जिन:
15. शोधन-क्षमता मार्जिन का परिकलन करने का आधार:

16. आवेदक के शेयरधारकों का विवरण [पूरा नाम, पता, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत।]

आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक या उसके समतुल्य की धारिता रखनेवाले व्यक्तियों का विवरण सारणी 1 में दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो अलग-अलग शीट संलग्न करें।

सारणी 1:

पूरा नाम [प्रथम, मध्य और सरनेम]	जन्मतिथि/ संस्थापन की तारीख	पता, टेलीफोन सं. और ई-मेल सहित	योग्यताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	शेयरों की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: लायड्स के मामले में, आवेदक का विवरण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहित लायड्स की परिषद के सदस्यों के संबंध में होगा।

सारणी 2:

लायड्स के उन सदस्यों के संबंध में विवरण जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं -

पूरा नाम [प्रथम, मध्य और सरनेम]	जन्मतिथि/ संस्थापन की तारीख	पता, टेलीफोन सं., फैक्स सं. और ई- मेल सहित	योग्यता एँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	शेयरों की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री/सुश्री							

सारणी 1 और सारणी 2 के लिए टिप्पणी: यदि शेयरधारक/अभिदाता विदेश में पंजीकृत कोई कंपनी या निगमित निकाय है, तो कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन के क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 को रिक्त छोड़ते हुए परिचालन के देश, व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए विवरण, पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी या निगमित निकाय के लेखों का विवरण संलग्न करते हुए दें। समग्र और संपूर्ण सूचना सत्यनिष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त ध्यान रखा जाए। बाद में पाई गई कोई भी गलतबयानी आवेदक को निरहित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

17. आवेदक: इस खंड में पृष्ठभूमिगत सूचना निर्धारित की जानी चाहिए। निम्नलिखित सूचना शामिल की जानी चाहिए:

- आवेदक का विवरण (उदा. कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम आदि)।
- व्यवसाय का स्वरूप, आवेदक के व्यवसाय में वर्ष।
- आवेदक के संबंध में पिछले पाँच वर्ष के लिए विनियामक हस्तक्षेप/ प्रतिबंधात्मक निदेश (यदि कोई हों)।
- भारत में पुनर्बीमा बाजार में प्रवेश करने के लिए आवेदक के पास कारण।
- आवेदक की शक्तियाँ (विशिष्ट अनुभव, विशेषज्ञता, वित्तीय सुदृढ़ता, बाजार संबंध)
- पिछले पाँच वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।
- आवेदन प्रस्तुत करने के वर्ष को छोड़कर पिछले तीन वर्षों के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा रेटिंग
- आवेदक के द्वारा प्रारंभ किये जा रहे भारतीय शाखा के परिचालनों के प्रति दायित्व, जैसे कार्यशील पूँजी समर्थन सहित पूँजी, संसाधनों का प्रशिक्षण और विकस, जोखिम-प्रबंध, अभिशासन और निगरानी, आईटी समर्थन आदि।

18. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा का विवरण

शाखा के मुख्य पहलू:

- शाखा कार्यालय का नाम
- शाखा कार्यालय का पता
- सूचना देने के लिए पता (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और इस प्रकार का अन्य विवरण दें)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक तथा दायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित)
- संस्थागत संरचना। रिपोर्टिंग संबंध।

19. लायड्स इंडिया संबंधी विवरण (यदि आवेदक लायड्स की सोसाइटी है तो भरा जाए):

- लायड्स इंडिया का पता:

- सूचना देने के लिए पता (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, फ़ैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता और इस प्रकार का अन्य विवरण दें)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सीएफओ तथा दायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित)
- संस्थागत संरचना। रिपोर्टिंग संबंध।
- व्यवसायसंघों के सदस्यों, जो सेवा कंपनियों को प्राधिकार प्रत्यायोजित करते हैं तथा लायड्स इंडिया का विवरण (सारणी 3): [पूरा नाम, पता, सेवा कंपनी की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, योग्यताएँ और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक या उसके समतुल्य को धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाएगा।

सारणी 3:

पूरा नाम [प्रथम, मध्य और सरनेम]	जन्मतिथि/ संस्थापन की तारीख	पता, टेलीफोन सं., फ़ैक्स सं. और ई- मेल सहित	योग्यताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	ईक्विटी की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/अभिदाता किसी विदेश में पंजीकृत कंपनी या निगमित निकाय है, तो उक्त कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन के क्षेत्रों का ब्योरे का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 को रिक्त छोड़ते हुए परिचालन के देश और व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करें, पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी या निगमित निकाय के लेखा-विवरण दिये जाने चाहिए। समग्र और संपूर्ण सूचना सत्यनिष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती जाए। बाद में पाई जानेवाली कोई भी गलतबयानी आवेदक की निरर्हता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

20. पूँजी विन्यास

- समनुदेशित पूँजी की राशि:

21. आवेदक के निदेशकों तथा विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा का पर्यवेक्षण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों, प्रमुख व्यक्तियों जैसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ), मुख्य जोखिम-अंकन अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी का विवरण:

नीचे दिये गये फार्मेट में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग शीटों में विवरण प्रस्तुत करें :-

- नाम (और कोई भी पूर्व नाम)
- निजी और व्यवसाय का पता (पिछले 15 वर्षों के अंदर किन्हीं अन्य निजी पतों सहित), वर्तमान टेलीफोन, और ई-मेल पते:
- जन्म की तारीख और स्थान
- राष्ट्रियता (और कोई भी पूर्व राष्ट्रियता)
- पासपोर्ट / पहचान पत्र:
 - संख्या
 - जारी करने की तारीख और स्थान:
 - समाप्ति की तारीख
 - जारीकर्ता प्राधिकारी:
- बैंक का नाम और पता:
 - खाता संख्याएँ और खाते का प्रकार:
 - कंपनी को या कंपनी की ओर से जारी किये गये किन्हीं ऋणों या गारंटियों का विवरण जिनमें

निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के प्रबंधन या शेयरधारिता का हित है

- पारिवारिक स्थिति
- शैक्षिक योग्यता का विवरण और तारीखें :
- व्यावसायिक योग्यता का विवरण और तारीखें :
- भावी स्थिति का वर्णन (दायित्वों सहित) और प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख:
- कार्य अनुभव:
 - वर्तमान और पिछले नियोक्ता (पिछले 15 वर्षों को शामिल करते हुए)
 - विवरण कि क्या निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों और / या कर्मचारियों का औपचारिक रूप से पर्यवेक्षण किया गया है या विनियमन किया गया है
 - नियोक्ता के व्यवसाय का स्वरूप
 - पदनाम (कर्तव्यों और दायित्वों सहित)
 - नियुक्ति की तारीख
 - त्यागपत्र/प्रस्थान की तारीख
 - पिछले 15 वर्षों में अन्य व्यावसायिक हितों का विवरण जहाँ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति कार्यकारी शेयरधारक, निदेशक या नियंत्रक रहे हैं
- कंपनी या संबंधित कंपनियों या इतर अन्य पक्षकारों के साथ संबंध:-
 - कंपनी या समूह कंपनियों या अन्य पक्षकारों में शेयरधारिताओं या मतदान शक्तियों का विवरण
 - कंपनी या समूह कंपनियों या अन्य पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:

- निदेशकों तथा प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों, भूतपूर्व कर्मचारियों और कंपनी या समूह कंपनियों या अन्य पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
- निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की प्रतिष्ठा और चरित्र का पूरा विवरण:
 - क्या आवेदक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है:
 - धोखाधड़ी या अन्य बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध के लिए कोई दोषसिद्धि है:
 - निदेशक के रूप में या किसी कंपनी या संस्था के प्रबंधन में कार्य करने से निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की कोई निरर्हता है:
 - क्या निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के संबंध में कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण को कभी अस्वीकार किया गया है (या वापस लिया गया है):
- किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय के द्वारा कोई निंदा की गई है या कोई अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है;
- निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के नियोक्ता के द्वारा पद या नियोजन से कोई बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाही के अधीनीकरण अथवा किसी व्यवसाय या धंधे में प्रवेश से अस्वीकरण किया गया है;
- कोई मुकदमा चलाया गया है जिसमें निदेशक या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक पिछले 5 वर्षों के दौरान संबद्ध रहे हैं;
- क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने ऐसे किसी नियोक्ता, कंपनी या संस्था की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहे हैं;
- क्या कोई कंपनी या संस्था, जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, शेयरधारक या नियंत्रक के रूप में संबद्ध रहे थे, कभी किसी समय अथवा निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर कभी समाप्त की गई है, प्रापक पद (रिसेवरशिप) के अधीन रखी गई है, अथवा उसका व्यापार समाप्त किया गया है।

टिप्पणियों के स्तंभ में, यह उल्लेख करें कि क्या कोई भी निदेशक भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य बीमा कंपनी (या पुनर्बीमाकर्ता) का एजेंट, दलाल, कोई अन्य मध्यवर्ती, निदेशक या कर्मचारी है अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है।

22. वित्तीय पूर्वानुमान

वित्तीय पूर्वानुमानों और आकलनों के लिए प्रयुक्त माडल का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए, (परिचालनों के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि के लिए वित्तीय पूर्वानुमान प्रत्येक वर्ष के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किये जाने चाहिए। इनमें निम्नलिखित को दर्शाया जाना चाहिए:

- व्यवसाय की मात्रा।
- समर्थक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार।

- प्रीमियम आय।
- निवेश आय।
- कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय।
- प्रशासन के व्यय।
- आय-कर और अन्य कर।
- सांविधिक आरक्षित निधियाँ।
- अपेक्षित और उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन।
- लाभ और हानि लेखे और तुलन-पत्र।
- पूँजीगत आवश्यकताएँ।
- लाभ-अलाभ (ब्रेक ईवन) अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ।

इस खंड में उस तरीके की भी चर्चा की जानी चाहिए जिससे भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।

- 23. पिछले आवेदन का विवरण:** क्या आवेदक ने कभी भारत में पंजीकरण या पंजीकरण के लिए अनुरोध हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो विस्तार में ब्योरा प्रस्तुत करें (अस्वीकरण, यदि कोई हों, सहित)।
- 24. निष्कर्ष:** निष्कर्षस्वरूप, आवेदक को चाहिए कि वह परिचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करे तथा भारत में परिचालन स्थापित करने के अपने समग्र उद्देश्य का सारांश प्रस्तुत करे। कोई विशेष विषय या सरोकार हों तो उन्हें भी निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

प्रमाणीकरण

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और आकलन युक्तियुक्त धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

2. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 5(4) के अनुसार आवेदक जिसका पंजीकरण आर1 हेतु आवेदन अनुमोदित किया गया हो, निम्नानुसार विनिर्दिष्ट फार्मेट में फार्म आईआरडीएआई/रीइन्स/आर2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

फार्म आईआरडीएआई/रीइन्स/आर2

पंजीकरण के लिए आवेदन

1. **भौगोलिक व्याप्ति:** प्रशासनिक कार्यालय और अन्य कार्यालयों का पता दें। वे देश, अधिकार-क्षेत्र और प्रांत प्रस्तुत करें जिन्हें विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का शाखा कार्यालय शामिल करेगा।
2. **बाजार अनुसंधान और विश्लेषण**
बाजार की संभावना का पता लगाने के लिए आवेदक ने किसी प्रकार का बाजार विश्लेषण किया होगा। आवेदक उक्त अनुसंधान का पूरा विवरण, निकाले गये निष्कर्षों के साथ प्रस्तुत करे।
3. **प्रस्तावित की जानेवाली पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार**
आवेदक उन पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकारों का विवरण दे जो वह भारतीय और अन्य बाजारों को प्रस्तावित करेगा जिससे उसे एक क्षेत्रीय केन्द्र (हब) के रूप में बनने में समर्थ किया जा सके।
4. **जोखिम-अंकन**
इस खंड में प्रस्तावों आदि के जोखिम-अंकन के लिए प्रयुक्त दृष्टिकोण का वर्णन किया जाना चाहिए। साथ ही, आवेदक के द्वारा जोखिम-अंकन में तथा जोखिम-अंकनकर्ताओं के प्रशिक्षण में और अपने स्थानीय व्यक्तियों के कौशल के कोटि-उन्नयन में दिये जानेवाले समर्थन का स्वरूप बताया जाए।
5. **निवेश**
आवेदक को चाहिए कि वह अपने निवेश दर्शन का वर्णन करे जो बाजार के लिए उद्दिष्ट उसके उत्पादों के लिए उपयुक्त होगा। अन्य सूचना में निवेश कार्मिक, निवेश परिचालनों का स्थान, प्रयुक्त किये जानेवाले निवेश दलाल, आदि तथा निवेश, मूल्यांकन, एक्सपोजर – विवेकपूर्ण – प्रावधानीकरण के मानदंड शामिल किये जाने चाहिए।
6. **सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)**
निम्नलिखित का पूरा विवरण दिया जाना चाहिए:
 - विभिन्न क्षेत्र जहाँ आईटी प्रणालियाँ नियोजित की जाएँगी।
 - प्रणालियों की अंतर-संबद्धता की मात्रा।
 - अपेक्षित प्रबंध सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए उक्त आईटी प्रणालियाँ कैसे प्रयुक्त की जाएँगी, इसका वर्णन।

7. प्रतिधारण सीमाएँ और पुनर्बीमा

निम्नलिखित विवरण देते हुए पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के स्वरूप का वर्णन किया जाए।

- पुनर्बीमा का आधार।
- पुनर्बीमा की शर्तें।
- प्रधान कार्यालय से पुनर्बीमा समर्थन की विधि।

8. भर्ती और प्रशिक्षण – तकनीकी कौशल

उन लोगों के तकनीकी कौशल का विवरण जो विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा में कार्य करेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कौशल-सेटों से युक्त कार्मिकों की आवश्यकता हो सकती है। कुछ विशेष तकनीकी कौशल के लिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आवेदक स्थानीय तौर पर तकनीकी कौशल और ज्ञान देने के लिए अपनी योजनाओं पर एक विस्तृत आलेख (राइट-अप) प्रस्तुत करे।

9. आंतरिक नियंत्रण

आवेदक के लिए भारत में स्थित शाखा में विभिन्न कार्यकलापों के लिए प्रक्रियाओं और मानदंडों का एक सेट स्थापित करने की आवश्यकता है। उस पद्धति का विवरण दिया जाना चाहिए जिसमें इनकी निगरानी की जाएगी।

10. प्रशासन के व्यय

समूची पूर्वानुमान अवधि के लिए प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्रस्तावित व्यय।

प्रमाणीकरण

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदक की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं तथा यह कि पूर्वानुमान और आकलन युक्तयुक्त धारणाओं पर आधारित हैं।

स्थान:

दिनांक:

प्राधिकृत व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

3. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 6 के अनुसार, प्राधिकरण निम्नानुसार दिये गये फार्मेट में पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:

आईआरडीएआई/रीइन्स/आर3

<p style="text-align: center;">भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाणपत्र</p> <p>पंजीकरण संख्या: _____</p> <p>प्रमाणित किया जाता है कि _____ में स्थित एबीसी पुनर्बीमा कंपनी को आज नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट श्रेणियों का व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार पंजीकृत किया गया है।</p> <p>आज दो हजार _____ के _____ के _____ वें दिन प्राधिकरण की मुहर के अंतर्गत जारी किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>व्यवसाय जो निम्नलिखित श्रेणियों का किया जा सकता है:-</p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p> <p style="text-align: right;">प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (मुहर सहित)</p>

4. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम.....के अनुसार आवेदक निम्नानुसार विनिर्दिष्ट फार्मेट में पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के निर्गम के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा:

फार्म आईआरडीएआई/रीइन्स/आर4

पंजीकरण प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) के निर्गम के लिए आवेदन

सेवा में,
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण,
हैदराबाद

हम आपसे पंजीकरण प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने का अनुरोध करते हैं जिसके लिए हम निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं :

1. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा का नाम:
2. पंजीकरण संख्या:
3. पंजीकरण प्रमाणपत्र की तारीख:
4. मूल प्रमाणपत्र कैसे खो गया है, नष्ट किया गया है या कटा-फटा है?
5. शुल्क के विप्रेषण का विवरण:

स्थान:

दिनांक:

भवदीय,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के हस्ताक्षर
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम) (मुहर सहित)

अनुलग्नक:

1. प्रमाणपत्र की अनुलिपि (डूप्लिकेट) जारी करने के लिए बोर्ड/कार्यकारी समिति के संकल्प की मूल प्रति।
2. किसी भी मान्यताप्राप्त इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से प्राधिकरण को पाँच हजार रुपये का शुल्क के विप्रेषण का विवरण तथा ऐसे लेनदेन के लिए विशिष्ट संदर्भ संख्या।

5. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 11 के अनुसार, लायड्स इंडिया नीचे दिये गये रूप में निर्दिष्ट फार्मेट में लायड्स इंडिया के उन सदस्यों के बारे में प्राधिकरण को सूचित करेगा जो लायड्स इंडिया में सहभागिता करना चाहते हैं:

फार्म एस-1

लायड्स इंडिया के सदस्यों का विवरण

1. लायड्स इंडिया के सदस्यों का विवरण: [पूरा नाम, पता, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, अर्हताएँ और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूँजी का प्रतिशत दें] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 1% से अधिक या उसके समतुल्य को धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाना चाहिए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य और सरनेम]	जन्मतिथि/ संस्थापन की तारीख	पता, टेलीफोन सं., फैक्स सं. और ई- मेल सहित	योग्यताएँ	अनुभव	वर्तमान व्यवसाय	शेयरों की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/अभिदाता किसी विदेश में पंजीकृत कंपनी या निगमित निकाय है, तो कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन के क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 रिक्त छोड़ते हुए, पिछले 5 वर्ष के लिए कंपनी या निगमित निकाय के लेखा-विवरण दिये जाने चाहिए।

6. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 9 के अनुसार, सेवा कंपनी और व्यवसायसंघ (सिंडिकेट) निम्नानुसार विनिर्दिष्ट फार्मेट में अपना आवेदन प्रस्तुत करेगा:

फार्म एस-2

आवेदन फार्म – आईआरडीएआई/लायड्स इंडिया सेवा कंपनी एवं लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ

(लायड्स इंडिया के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत किया जाए)

I. लायड्स इंडिया सेवा कंपनी का विवरण

- लायड्स इंडिया सेवा कंपनी का नाम:
- पता:
- आवेदक के संस्थापन की तारीख: [दिन/माह/वर्ष]
- कंपनी के रजिस्ट्रार, भारत द्वारा जारी की गई पंजीकरण संख्या;
- लायड्स इंडिया सेवा कंपनी के एमओए/एओए के मुख्य उद्देश्य;
- प्राधिकृत पूँजी की राशि या उसकी समतुल्य राशि और अभिदत्त राशि;
- उन वर्षों की संख्या जब सेवा कंपनी का प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक सक्रिय रहा हो। यदि ऐसा है, तो उसका विवरण;
- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट या सेवा कंपनी के प्रवर्तक के निदेशक बोर्ड द्वारा बोर्ड संकल्प के जरिये, जैसा लागू हो, सेवा कंपनी की स्थापना के लिए अनुमति देते हुए लायड्स से प्राप्त अनुमति;
- सेवा कंपनी के शेयरधारकों/अभिदाताओं का विवरण; [पूरा नाम, पता, प्रबंध एजेंट की प्रदत्त पूँजी में धारिता का प्रतिशत, व्यवसाय, योग्यताएँ और अनुभव, धारित शेयरों की संख्या और कंपनी में शेयर पूँजी का प्रतिशत] यदि आवश्यक हो तो अलग शीट संलग्न करें। आवेदक की प्रदत्त पूँजी के 5% से अधिक या उसकी समतुल्य राशि धारित करनेवाले व्यक्तियों का विवरण दिया जाए।

पूरा नाम [प्रथम, मध्य और सरनेम]	जन्मतिथि/ संस्थापन की तारीख	पता, टेलीफोन सं., फैक्स सं. और ई-मेल सहित	योग्यताएँ	अनु भव	वर्तमान व्यवसा य	शेयरों की संख्या (मतदान अधिकार) और कुल धारिता का प्रतिशत	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8
श्री/सुश्री							

टिप्पणी: यदि शेयरधारक/अभिदाता किसी विदेश में पंजीकृत कंपनी या निगमित निकाय है, तो कंपनी या निगमित निकाय का नाम स्तंभ (1) में दें, संस्थापन का देश और पंजीकरण की तारीख स्तंभ (2) में दें, कंपनी के परिचालन के क्षेत्रों का उल्लेख स्तंभ (5) में करें, स्तंभ 4 और 6 को रिक्त छोड़ें, परिचालन के देश और व्यवसाय का स्वरूप निर्दिष्ट करते हुए पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी या निगमित निकाय के लेखा-विवरण संलग्न करते हुए ब्योरा दिया जाए। समग्र और संपूर्ण सूचना सत्यनिष्ठापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए। बाद में पाई गई कोई भी गलतबयानी सेवा कंपनी की निरर्हता के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

10. सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट/ प्रवर्तक, जैसा लागू हो, का विवरण

इस खंड में पृष्ठभूमि संबंधी सूचना दर्शाई जानी चाहिए। निम्नलिखित सूचना शामिल की जानी चाहिए:

- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक, जैसा लागू हो, का विवरण (उदा. कंपनी का नाम, पता, निदेशकों के नाम, आदि)।
- व्यवसाय का स्वरूप, सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक, जैसा लागू हो, के व्यवसाय में वर्ष।
- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक के संबंध में पिछले पाँच वर्षों के लिए विनियामक हस्तक्षेपों / प्रतिबंधात्मक निदेशों, यदि कोई हों, का अभिलेख।
- पिछले पाँच वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।
- सेवा कंपनी के प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक की शक्तियाँ (विशिष्ट अनुभव, विशेषज्ञता, वित्तीय सुदृढ़ता, बाजार संबंध)।

11. सेवा कंपनी का विवरण

इस खंड में सेवा कंपनी के मुख्य पहलू दिये जाने चाहिए। इसमें निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा:

- सेवा कंपनी का पता:
- सूचना देने के लिए पता (प्राधिकृत व्यक्ति का नाम, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ई-मेल पता, और इस प्रकार का अन्य विवरण):
- क्या सेवा कंपनी ने लायड्स सेवा कंपनी कवरधारक वचनपत्र पूरा किया है जिसके माध्यम से सेवा कंपनी दोनों लायड्स और स्थानीय विधिक, राजकोषीय, कराधान और विनियामक प्राधिकारियों के सभी संबंधित नियमों और अपेक्षाओं का अनुपालन करने के लिए सहमति देती है – हाँ / नहीं
- क्या सेवा कंपनी ने लायड्स कवरधारक निर्णय पत्र को पूरा किया है – हाँ / नहीं
- निम्नलिखित के संबंध में विस्तृत सूचना प्रस्तुत करें :
 - i. प्रबंध एजेंट / प्रवर्तक द्वारा सेवा कंपनी को प्रदान किये गये जोखिम-अंकन और दावा प्राधिकार का स्तर:
 - ii. सेवा कंपनी के लिए व्यवसाय की कार्यनीति जिसमें भौगोलिक व्याप्ति, जोखिम-अंकन, तथा प्रतिधारण सीमाएँ, निवेश, सूचना प्रौद्योगिकी, भर्ती और प्रशिक्षण, आंतरिक

नियंत्रण, प्रशासन के व्यय, तकनीकी कौशल सहित पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के प्रकार शामिल किये जाएँगे।

- iii. सेवा कंपनी में परिचालनरत केएमपीएस से संबंधित विवरण।
 - iv. वित्तीय सूचना।
 - v. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति विवरण।
 - vi. सेवा कंपनी के द्वारा जोखिम-अंकन किये जानेवाले व्यवसाय की श्रेणियाँ।
 - vii. पंजीकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेवा कंपनी के द्वारा अपनाया जानेवाला दृष्टिकोण।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य जोखिम-अंकन अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और मुख्य अनुपालन अधिकारी के दायित्वों का आबंटन (प्रस्तावित)
 - संस्थागत संरचना, नियंत्रण और पर्यवेक्षण
 - क्या सेवा कंपनी ने लायड्स के न्यूनतम मानकों के आधार पर लायड्स सेवा कंपनी स्व-मूल्यांकन पूरा किया है – हाँ / नहीं
 - क्या सेवा कंपनी ने सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार किया है, जो लायड्स के संबंधित व्यवसायसंघों के सदस्यों से सेवा कंपनी को प्राधिकार प्रत्यायोजित करनेवाली संविदा है – हाँ / नहीं
 - यदि हाँ, तो उन व्यवसायसंघों का विवरण जिनका प्रतिनिधित्व वे करते हैं।

12. सेवा कंपनी के सभी निदेशकों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), मुख्य जोखिम-अंकन अधिकारी (सीयूओ), मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) और मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) (प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक) का विवरण:

नीचे दिये गये प्रोफार्मा में प्रत्येक व्यक्ति के लिए कृपया अलग शीटों में विवरण प्रस्तुत करें :-

- नाम (और कोई पूर्व नाम);
- गृह / निवास और व्यवसाय का पता (पिछले 15 वर्षों के अंदर किन्हीं अन्य आवासीय पतों सहित), वर्तमान टेलीफोन और ई-मेल पते;
- जन्म की तारीख और स्थान;
- राष्ट्रियता (और कोई पिछली राष्ट्रियता);
- पासपोर्ट / पहचान कार्ड
 - नंबर
 - निर्गम की तारीख और स्थान
 - समाप्ति की तारीख
 - जारीकर्ता प्राधिकारी;
- कंपनी को या कंपनी की ओर से दिये गये किन्हीं ऋणों या दी गई गारंटियों का विवरण जिनमें निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों का कोई प्रबंधन या शेयरधारिता का हित है;
- परिवार की स्थिति;

- शैक्षिक अर्हता का विवरण और दिनांक;
- व्यावसायिक अर्हता का विवरण और दिनांक;
- संभावित पद का विवरण (दायित्वों सहित) तथा प्रारंभ करने की प्रस्तावित तारीख;
- कार्य अनुभव;
 - वर्तमान और पिछले नियोक्ता (पिछले 15 वर्षों को सम्मिलित करते हुए)
 - क्या निदेशक और प्रमुख व्यक्ति और/या अन्य कर्मचारी औपचारिक रूप से पर्यवेक्षित या विनियमित रहे हैं, इसका विवरण
 - नियोक्ता के व्यवसाय का स्वरूप
 - पदनाम (कर्तव्यों और दायित्वों सहित)
 - नियुक्ति की तारीख
 - त्यागपत्र / प्रस्थान की तारीख
 - पिछले 15 वर्षों में अन्य व्यावसायिक हितों का विवरण जहाँ निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक; शेयरधारक, निदेशक या नियंत्रक के रूप में कार्य करते रहे हैं।
- कंपनी या संबंधित कंपनियों या अन्य पक्षकारों के साथ संबंध
 - कंपनी, या संबंधित कंपनियों या अन्य पक्षकारों में शेयरधारिताओं या मतदान अधिकारों का विवरण:
 - कंपनी या संबंधित कंपनियों या अन्य पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
 - निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों और कर्मचारियों तथा कंपनी या संबंधित कंपनियों या अन्य पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
- निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की प्रतिष्ठा और चरित्र का पूरा विवरण:-
 - क्या आवेदक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है;
 - धोखाधड़ी या अन्य बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध की कोई दोषसिद्धियाँ हैं;
 - किसी कंपनी या संस्था के प्रबंधन में निदेशक के रूप में कार्य करने से निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की कोई निरर्हता रही है;
 - क्या निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों को कभी कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण या प्राधिकरण से अस्वीकार (अथवा प्रतिसंहरण) किया गया है;
- किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय के द्वारा कोई निंदा की गई है या अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है;
- निदेशकों या प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के नियोक्ता के द्वारा पद या नियोजन से कोई बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्यवाही का अधीनीकरण, अथवा किसी व्यवसाय या धंधे में प्रवेश देने से अस्वीकरण रहा है;
- कोई मुकदमा रहा है जिसमें पिछले 5 वर्षों में निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक संबद्ध रहे हैं;

- क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने कभी किसी नियोक्ता, कंपनी या संस्था की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारकों के रूप में संबद्ध रहे हैं;
- क्या कोई कंपनी या संस्था जिसके साथ निदेशक और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिक एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक, शेयरधारक या नियंत्रक के रूप में संबद्ध रहे हैं, कभी समाप्त की गई है, प्रापक पद (रिसीवरशिप) के अधीन रही है, अथवा उसके साथ निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों के संबद्ध रहते समय अथवा उसके साथ निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख कार्मिकों की संबद्धता के समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर व्यापार समाप्त की गई है;

टिप्पणी के स्तंभ में, यह उल्लेख करें कि क्या कोई निदेशक भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य बीमा कंपनी (या पुनर्बीमाकर्ता) का एजेंट, दलाल, कोई अन्य मध्यवर्ती, निदेशक या कर्मचारी है अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक है।

II. लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ का विवरण

- लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ का प्रवर्तन करनेवाले लायड्स के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण:
- लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ स्थापित करने के लिए लायड्स के सदस्यों से अनुमति
- पुनर्बीमा व्यवसाय की व्यवस्था जिसका जोखिम-अंकन लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ द्वारा किया जाएगा
 1. जीवन और/या साधारण और/या स्वास्थ्य पुनर्बीमा व्यवसाय; या
 2. प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली कोई अन्य श्रेणियाँ
- क्या व्यवसायसंघ ने सेवा कंपनी जोखिम-अंकन करार किया है - हाँ / नहीं
- यदि हाँ, तो सेवा कंपनी का विवरण
- लायड्स व्यवसायसंघ की समनुदेशित पूँजी की राशि: रु.
- **वित्तीय पूर्वानुमान**

वित्तीय पूर्वानुमानों और आकलनों के लिए प्रयुक्त माडल का विवरण दिया जाए (परिचालनों के प्रारंभ से 5 वर्ष की अवधि हेतु प्रत्येक वर्ष के लिए वित्तीय पूर्वानुमान अलग-अलग प्रस्तुत किये जाने चाहिए)। इनमें निम्नलिखित को स्पष्ट किया जाना चाहिए:

- व्यवसाय की मात्रा
- समर्थक और प्रशासनिक स्टाफ का आकार
- प्रीमियम आय
- निवेश आय
- कमीशन और अन्य विक्रय संबंधी व्यय
- प्रशासन के व्यय
- आय-कर और अन्य कर

- सांविधिक आरक्षित निधियाँ
- अपेक्षित और उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन
- लाभ और हानि लेखे और तुलन-पत्र
- पूँजीगत अपेक्षाएँ
- लाभ-अलाभ अवधियाँ और पूँजी पर प्रतिलाभ

इस खंड में उस तरीके की भी चर्चा की जानी चाहिए जिसमें भावी पूँजीगत आवश्यकताएँ पूरी की जाएँगी।

- **पिछले आवेदन का विवरण:** क्या आवेदक ने कभी भारत में पंजीकरण या पंजीकरण हेतु अनुरोध के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है? यदि हाँ, तो विस्तार में विवरण दें (अस्वीकरण, यदि कोई हों, सहित)
- **निष्कर्ष:** निष्कर्ष के तौर पर, आवेदक को चाहिए कि वह परिचालनों की व्यवहार्यता की चर्चा करे तथा भारत में परिचालन स्थापित करने के लिए अपने समग्र उद्देश्य का सारांश प्रस्तुत करे। कोई विशेष विषय या सरोकार भी निर्दिष्ट किये जाने चाहिए।

फार्म एस-3

लायड्स इंडिया सेवा कंपनी और लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ द्वारा संयुक्त प्रमाणीकरण

हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करते हैं कि आवेदक की ओर से इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं तथा पूर्वानुमान और आकलन युक्तियुक्त धारणाओं के आधार पर हैं।

1. लायड्स इंडिया सेवा कंपनी का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....
2. लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ का प्रतिनिधित्व करनेवाले प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (मुहर सहित).....

स्थान:

दिनांक:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लायड्स इंडिया द्वारा प्रमाणीकरण

मैं, अधोहस्ताक्षरकर्ता, आवेदक की ओर से सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन फार्म में दिये गये तथ्य सही हैं।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लायड्स इंडिया के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

स्थान:

दिनांक:

7. आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 10 के अनुसार, प्राधिकरण नीचे दिये गये फार्मेट में लायड्स इंडिया की सेवा कंपनी और लायड्स इंडिया के व्यवसाय संघ को संयुक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा:

फार्म एस-4

लायड्स इंडिया सेवा कंपनी और लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ के लिए संयुक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

संयुक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र

पंजीकरण संख्या: _____

प्रमाणित किया जाता है कि

1. (लायड्स इंडिया सेवा कंपनी का नाम, पता सहित)
2. (लायड्स इंडिया व्यवसायसंघ का नाम)

को आज भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के अनुसार लायड्स इंडिया के घटक बनने और पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 3 की उप-धारा (2ए) के उपबंधों के अनुसार संयुक्त रूप से पंजीकृत किया गया है।

आज दो हजार _____ के _____ के _____ वें दिन प्राधिकरण की मुहर के अधीन जारी किया गया है।

स्थान:

दिनांक:

कृते भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अध्याय II

भारत में विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों के परिचालन

8. कारोपेरेट अभिशासन

इन निदेशों का उद्देश्य एफआरबी और लायड्स इंडिया के लिए विनियम 30(13) में परिकल्पित रूप में अभिशासन संरचना उपलब्ध कराना तथा बोर्ड/ कार्यकारी समितियों और प्रबंधन के कार्यों की रूपरेखा देना है।

(1) बोर्ड / कार्यकारी समिति (ईसी)

प्रत्येक एफआरबी (लायड्स इंडिया सहित) के पास उनकी आवेदक कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा विधिवत् प्राधिकृत कार्यकारी समिति होगी, जिसमें वित्तीय और प्रबंधन की विशेषज्ञता के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे जोखिम-अंकित बीमा की व्यवस्थाएँ, बीमांकित और जोखिम-अंकन संबंधी जोखिम, वित्त, लेखांकन, विधि, बैंकिंग, प्रतिभूतियाँ, अर्थशास्त्र, आदि, से बीमाकर्ता के व्यवसाय के मान, स्वरूप, जटिलता तथा बीमाकर्ता के आकार के अनुरूप योग्यताओं और अनुभव से युक्त सक्षम और अर्हताप्राप्त व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में लिया जाएगा।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा और वह कार्यकारी समिति का सदस्य होगा। इसके अलावा, उक्त कार्यकारी समिति में प्रधान कार्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय से कम से कम एक सदस्य होगा जो भारत में शाखा के परिचालनों के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) बोर्ड / कार्यकारी समिति की शक्तियाँ, भूमिकाएँ और दायित्व

- क. कार्यकारी समिति भारत में स्थित शाखा की समग्र कार्यनीति बनाने और उसे निदेश देने के लिए एवं उसके उचित समग्र प्रबंध की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगी।
- ख. कार्यकारी समिति सुनिश्चित करेगी कि जोखिम-अंकन, जोखिम प्रबंध, निवेश, बाह्यस्रोतीकरण, शिकायत निवारण, दावा निगरानी और आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में संस्था के पास उपयुक्त प्रणालियाँ और कार्य विद्यमान हों।
- ग. बोर्ड/ कार्यकारी समिति यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी उपलब्ध कराएगी कि प्रणालियाँ और कार्य प्रभावी रूप में और उद्दिष्ट रूप में परिचालन कर रहे हैं।
- घ. बोर्ड/ कार्यकारी समिति कारपोरेट/ व्यावसायिक उद्देश्यों को कार्य रूप में परिणत करने के लिए एक सुस्पष्ट और पारदर्शी नीति का ढाँचा निर्धारित करेगी। बोर्ड/ कार्यकारी समिति:
 - (i) व्यवसाय की कार्यनीति को निश्चित करेगी और आवधिक तौर पर उसकी समीक्षा करेगी।

- (ii) जोखिम-अंकन नीति को परिभाषित करेगी।
- (iii) प्रतिधारण और पुनर्बीमा नीति, विशेष रूप से एफआरबी द्वारा जोखिम के प्रतिधारणों के स्तरों एवं उसके द्वारा अनुरक्षित किये जानेवाले पुनर्बीमा संरक्षण के स्वरूप और सीमा को निर्धारित करेगी।
- (iv) एफआरबी की नीति एक उपयुक्त आस्ति-देयता प्रबंध संरचना के अनुरूप उसकी आस्तियों के निवेश के संबंध में परिभाषित करेगी।
- (v) बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) नीति को परिभाषित करेगी।
- (vi) मानव संसाधनों के लिए नियुक्तियों और अर्हता की अपेक्षाओं के संबंध में नीति को परिभाषित करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रोत्साहन संरचना अविवेकपूर्ण व्यवहार को प्रोत्साहित नहीं करेगी।

ड. बोर्ड / कार्यकारी समिति, नीतिगत ढाँचा निर्धारित करते समय उसके परिचालनों को कार्यान्वित करने में संबद्ध विभिन्न जोखिमों और उनके संभावित प्रभाव को ध्यान में रखेगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में निदेशों और मार्गदर्शन का अनुसरण करेगी। बोर्ड/कार्यकारी समिति को निम्नलिखित को परिभाषित और निर्धारित करना चाहिए:

- (i) केएमपीएस और अन्य कर्मचारियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिक व्यवहार के मानक परिभाषित करेगी।
- (ii) अपने अध्यापकों की सर्विसिंग के लिए अनुरक्षित किये जानेवाले मानकों को परिभाषित करेगी।

(3) प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) के योग्य और उपयुक्त मानदंड

निदेशक / केएमपीएस एक निरंतर आधार पर हर समय “योग्य और उपयुक्त” मानदंडों को पूरा करेंगे। निदेशकों/ केएमपीएस की नियुक्ति इस मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट निदेशों का अनुपालन करते हुए होगी तथा तीन वर्ष की एक न्यूनतम अवधि के लिए होगी।

यह निर्धारित करने में कि क्या कोई व्यक्ति प्रबंधन का एक प्रमुख व्यक्ति होने के लिए “योग्य और उपयुक्त” है या नहीं, विभिन्न कारकों पर विचार किया जाएगा, जिनमें से निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु जो केवल इन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

- क. व्यक्ति की विश्वसनीयता, प्रतिष्ठा, पिछला रिकार्ड और उचित सावधानी अर्थात्
 - (i) प्रदर्शित ईमानदारी और नैतिक व्यवहार।
 - (ii) व्यवसाय का प्रबंध करने और विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने की क्षमता।
 - (iii) पिछला आचरण और उद्योग में प्रतिष्ठा।

- ख. भारत में या भारत के बाहर किसी विनियामक, सांविधिक, न्यायिक निकायों, आदि के द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी या अन्य बेईमानी में किसी संबद्धता के लिए व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धियों/जाँच-पड़ताल सहित कार्यवाही का विवरण।
- ग. धनशोधन निवारण अधिनियम, फेमा और कराधान विधियों सहित भारत में लागू सभी कानूनों का अनुपालन।
- घ. व्यक्ति/केएमपी के द्वारा भेदिया व्यापार, धोखाधड़ीपूर्ण या अनुचित व्यापार पद्धतियाँ या बाजार संबंधी छल-कपट।
- ङ. केएमपीएस के अन्य नियोजनों / दायित्वों का विवरण।

(4) हितों का संघर्ष

- क. कार्यकारी समिति संभावित हितों के संघर्षों का समाधान करने के लिए पर्याप्त प्रणालियाँ, नीतियाँ और प्रक्रियाएँ लागू करेगी।
- ख. कोई भी व्यक्ति प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के एक से अधिक पद धारित नहीं करेगा जो संघर्ष या संभावित हितों के संघर्षों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जैसे एक केएमपी द्वारा धारित किये जा रहे 'व्यवसाय और नियंत्रण कार्य' अथवा 'दो नियंत्रण कार्य'।
- ग. जहाँ यह प्रस्तावित है कि एफआरबी केएमपीएस के संबंधित पक्षकारों के साथ कोई संविदा या व्यवस्था करेगी, वहाँ केएमपीएस द्वारा प्रकटीकरण इस मास्टर परिपत्र के उपबंधों के अनुसार सुनिश्चित किये जाएँगे।

(5) मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन के अन्य प्रमुख व्यक्ति (केएमपीएस)

- क. आवेदक कंपनी/मूल कंपनी का बोर्ड मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति अधिनियम की धारा 34ए के उपबंधों के अनुसार करेगा। मूल कंपनी का बोर्ड आवश्यक अनुमोदनों के लिए उसके नाम की सिफारिश करने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी समुचित सावधानी संचालित करेगा कि पदधारी 'योग्य और उपयुक्त' है।
- ख. सीईओ की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और सीईओ को अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक के लिए प्राधिकरण को आवेदन इस मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
- ग. मुख्य अनुपालन अधिकारी प्राधिकरण के अनुमोदन के लिए विवरणियाँ, रिपोर्टें और कोई भी आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति होगा। सीसीओ 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा। अनुपालन कार्य के कर्तव्यों और दायित्वों में कम से कम निम्नलिखित शामिल होंगे:
 - (i) लागू अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों के संबंध में बोर्ड/कार्यकारी समिति और वरिष्ठ प्रबंधक-वर्ग को अवगत कराना।
 - (ii) लागू अधिनियमों, तथा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देशों और परिपत्रों तथा प्राधिकरण और/या अन्य

प्राधिकरणों के द्वारा की गई पर्यवेक्षी और अन्य टिप्पणियों का अनुपालन एक समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करना।

- (iii) विनियामक अनुपालन कार्यों के संबंध में अनुपालन की रूपरेखा और प्रशिक्षण का अभिकल्पन करना।
- (iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतीकरण करना।

- घ. सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र के कारण या अन्य प्रकार से किसी केएमपी के पद की कोई रिक्ति उत्पन्न होने की स्थिति में प्राधिकरण को ऐसी घटना से और उसके कारणों से अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा, एफआरबीएस यह सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर ऐसे रिक्त पदों को भरने के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगी कि वह रिक्त पद 180 दिन से अधिक निरंतर अवधि के लिए खाली नहीं रहेगा। आवेदक और एफआरबी को उसका कार्यकाल समाप्त होने से पर्याप्त समय पहले सीईओ की निरंतरता अथवा नये पदधारी की पहचान करने के संबंध में निर्णय करने के लिए, अपनाई गई उत्तराधिकार योजना के अनुसार सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
- ङ. केएमपीएस की नियुक्ति बोर्ड या कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी, यदि मूल कंपनी के बोर्ड द्वारा इस प्रकार करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।
- च. सभी एफआरबीएस अपने संबंधित प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) का विवरण फार्म **केएमपी-1** (परिशिष्ट) में प्राप्त करेंगी और अनुरक्षित करेंगी।
- छ. केएमपीएस का विवरण पंजीकरण के समय तथा तदुपरांत केएमपीएस में कोई भी परिवर्तन होने पर अथवा संबंधित केएमपी(एस) के विवरण में परिवर्तन होने पर 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।
- ज. प्रत्येक एफआरबी सीईओ द्वारा पुष्टीकृत रूप में फार्म **केएमपी 2** (परिशिष्ट) में एक प्रमाणपत्र यह कहते हुए प्रस्तुत करेगा कि सभी केएमपी(एस) की योग्यता और नियुक्ति से संबंधित उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

उपर्युक्त निदेश परिपत्र सं. आईआरडीआई/एफ&ए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016 दिनांक 18/05/2016 के अनुसार जारी किये गये कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देश, 2016 का एफआरबीएस के लिए लागू सीमा तक अधिक्रमण करेंगे।

(6) एफआरबीएस/लायड्स इंडिया द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण

आईआरडीआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 30 (13) के अनुसार एफआरबीएस से यह अपेक्षित होगा कि वे निम्नानुसार दिये गये आशोधन सहित परिपत्र संदर्भ आईआरडीआई/एफ&ए/सीआईआर/विविध/256/09/2021 दिनांक 30/09/2021 के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट फार्मेटों में सार्वजनिक प्रकटीकरण करें।

- क. 'एनएल-5 दावा अनुसूची' और 'एनएल-20 विश्लेषणात्मक अनुपात अनुसूची' सार्वजनिक प्रकटीकरणों के अंतर्गत वेबसाइट पर अपलोड न की जाएँ। तथापि, उपर्युक्त फार्मेट प्राधिकरण को वार्षिक वित्तीय विवरणों के साथ प्रस्तुत किये जाएँगे।
- ख. 'एनएल-23 – शोधन-क्षमता मार्जिन-जीआई-टीए, एनएल-24 – शोधन-क्षमता मार्जिन-जीआई-टीआर, एनएल-25 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-एसएम- सारणी।ए तथा एनएल-26 – शोधन-क्षमता मार्जिन – जीआई-एसएम-सारणी।बी' सार्वजनिक प्रकटीकरणों के अंतर्गत वेबसाइट पर **वार्षिक तौर पर** प्रकाशित किये जाएँगे।
- ग. एफआरबीएस और लायड्स इंडिया छमाही और वार्षिक राजस्व लेखा, लाभ और हानि लेखा तथा तुलन-पत्र, विश्लेषणात्मक अनुपात, आदि समाचारपत्रों में प्रकाशित न करें। वे बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 25 के अनुसरण में स्वैच्छिक आधार पर विभिन्न प्रकटीकरण फार्मेटों का एक सही और यथार्थ सारांश प्रकाशित कर सकते हैं।

(7) एफआरबीएस द्वारा प्रबंधकत्व (स्ट्युअर्डशिप) विवरणियाँ और सार्वजनिक प्रकटीकरण:

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लायड्स इंडिया परिपत्र आईआरडीएआई/एफ&आई/सीआईआर/विविध/82/5/2024 दिनांक 22.05.2024 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में प्रबंधकत्व शर्तों का अनुपालन निम्नलिखित तरीके से सुनिश्चित करेंगे:

- क. जहाँ निवेश नीति ईकितियों में निवेशों की अनुमति नहीं देती, वहाँ ऐसी संस्थाओं को सामान्य प्रबंधकत्व कूट, प्रकटीकरण की अपेक्षाओं और इनसे संबंधित विवरणियों से छूट प्रदान की जाएगी। तदनुसार, सार्वजनिक प्रकटीकरण ऐसी संस्थाओं के द्वारा 'लागू नहीं' के रूप में दर्शाया जाएगा।
- ख. जहाँ निवेश नीति ईकितियों में निवेशों की अनुमति देती है, परंतु ईकितियों में कोई निवेश नहीं किये गये हैं, वहाँ ऐसी संस्थाओं के लिए प्रबंधकत्व कूट लागू होगा। एक शून्य (निल) रूप में प्रकटीकरण इसके लिए पर्याप्त अनुपालन होगा।
- ग. अन्य संस्थाएँ सामान्य प्रबंधकत्व कूट के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगी।

(8) प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग की अपेक्षाएँ

- क. मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) प्राधिकरण के निदेशों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने और इसकी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होगा। जब तक संबंधित विनियमों / निदेशों में प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता, तब तक मुख्य अनुपालन अधिकारी प्राधिकरण को विवरणियाँ, रिपोर्टें और आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी होगा।
- ख. विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की प्रत्येक शाखा वार्षिक वित्तीय विवरणों के एक भाग के रूप में कारपोरेट अभिशासन और संबंधित कार्यकलापों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके

अलावा, प्राधिकरण को **फार्म सीजी-1** (परिशिष्ट) में सीसीओ से एक प्रमाणीकरण प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित होंगे:

- (i) बोर्ड / कार्यकारी समिति में सदस्यों की कुल संख्या।
- (ii) सदस्यों का विवरण, नाम, योग्यताएँ, विशेषीकरण का क्षेत्र, अनुभव के वर्ष, आदि स्पष्ट करते हुए।
- (iii) बोर्ड/ईसी द्वारा आयोजित बैठकों की तारीखों का विवरण तथा उक्त बैठकों में प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का अभिलेख।
- (iv) बोर्ड/ईसी के सदस्यों के द्वारा धारित कार्यात्मक दायित्वों का विवरण, यदि कोई हो।
- (v) किसी वैयक्तिक केएमपी द्वारा धारित बहुविध दायित्व, यदि कोई हों, का विवरण।
- (vi) संवृद्धि दर और वर्तमान वित्तीय स्थिति सहित, वित्तीय कार्यनिष्पादन का विवरण।
- (vii) आईटी प्रणालियों के लिए जोखिमों सहित जोखिम प्रबंध संरचना तथा व्यवसाय की निरंतरता और आपदा से समुत्थान के लिए रणनीति का विवरण।
- (viii) केएमपीएस की भूमिकाओं और दायित्वों, बाह्यस्रोतीकरण, संबंधित पक्षकार लेनदेनों आदि सहित, अपने व्यवसाय में हितों के संघर्ष का समाधान करने के लिए अपनाई गई रणनीति का विवरण।
- (ix) किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय द्वारा लागू की गई किसी निंदा, अर्थदंड, दंड अथवा प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्रवाई का विवरण।
- (x) सीएसआर गतिविधियों संबंधी रिपोर्ट।
- (xi) ईएसजी कार्यकलापों संबंधी रिपोर्ट।
- (xii) पुष्टीकरण कि प्राधिकरण के सभी निदेशों को बोर्ड/ईसी द्वारा ध्यान में रखा गया है तथा सूचित किये गये रूप में उन्हें कार्यान्वित किया गया है।
- (xiii) पुष्टीकरण कि मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) को विनियमों में परिकल्पित रूप में प्राधिकृत किया गया है तथा वह समग्र अनुपालन के लिए उत्तरदायी है।

(9) परिवेश, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी)

प्रत्येक संस्था के पास उसकी मूल संस्था के बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिवेशगत, सामाजिक और अभिशासन (ईएसजी) ढाँचा विद्यमान होगा। ईएसजी के अंतर्गत कार्यकलापों की निगरानी एक नियमित आधार पर की जानी होगी तथा उनकी समीक्षा वार्षिक आधार पर बोर्ड/कार्यकारी समिति द्वारा की जाएगी। बोर्ड/कार्यकारी समिति वातावरण जोखिम प्रबंध ढाँचे की स्थापना भी उनके आकार, स्वरूप और परिचालनों की जटिलता को ध्यान में रखते हुए करेगी।

9. एफआरबीएस द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति

- (1) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 12 में व्यवस्था है कि सभी बीमाकर्ताओं की लेखा-परीक्षा अनिवार्यतः लेखा-परीक्षकों के द्वारा की जाएगी।

एफआरबीएस इस मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट किये अनुसार लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति से संबंधित उपबंधों का अनुपालन करेंगे। बोर्ड या कार्यकारी समिति लेखा-परीक्षक की नियुक्ति करेगी, उनके पारिश्रमिक का अनुमोदन करेगी और इसके साथ ही, सुनिश्चित करेगी कि उनकी नियुक्ति में हितों का कोई संघर्ष नहीं है।

(2) लेखा-परीक्षकों की पात्रता, अर्हताओं और अन्य अपेक्षाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) बीमाकर्ता का लेखा-परीक्षक, एलएलपी अधिनियम, 2008 के अधीन गठित सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म सहित, एक फर्म होगा।

(ख) फर्म की स्थापना के उपरांत कम से कम 15 वर्ष के लिए निरंतर व्यवसाय में होना चाहिए।

(ग) लेखा-परीक्षक / फर्म के पास निम्नलिखित होने चाहिए:

(i) न्यूनतम 5 पूर्णकालिक भागीदार, जिनमें से,

क. कम से कम 2 भागीदारों के रूप में पूर्णकालिक व्यवसाय में होने चाहिए तथा एकमात्र तौर पर फर्म के साथ न्यूनतम 10 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए संबद्ध होने चाहिए, तथा

ख. कम से कम 2 अन्य भागीदार उक्त लेखा-फर्म के साथ निरंतर संबद्धता में या तो भागीदार के रूप में या कर्मचारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए होने चाहिए, एवं

ग. एक भागीदार फर्म के साथ पूर्णकालिक व्यवसाय में भागीदार के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए, तथा

घ. फर्म के कुल भागीदारों में से, कम से कम दो एफसीए होने चाहिए और एफसीए के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय में लगे होने चाहिए।

अथवा (वैकल्पिक रूप से)

(ii) न्यूनतम 7 सनदी लेखाकार (सीए),

क. जिनमें से 2 से अन्यून भागीदार पूर्णकालिक व्यवसाय में एकमात्र तौर पर उक्त फर्म के साथ कम से कम 10 वर्ष की निरंतर अवधि के लिए संबद्ध होने चाहिए, तथा

ख. कम से कम 3 अन्य सनदी लेखाकार (सीए) 5 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए भागीदार या कर्मचारी के रूप में उक्त लेखा-परीक्षा फर्म के साथ निरंतर संबद्धता में होने चाहिए, तथा

ग. कम से कम 2 सनदी लेखाकार (सीए) एफसीए होने चाहिए और एफसीए के रूप में न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय में होने चाहिए।

(घ) लेखा-परीक्षा फर्म का कम से कम एक भागीदार या कर्मचारी के पास डीआईएसए/सीआईएसए अथवा समकक्ष योग्यता होनी चाहिए जैसी कि आईआरडीएआई

द्वारा समय-समय पर मान्यताप्राप्त हो सकती है तथा ऐसा भागीदार या कर्मचारी अनिवार्यतः बीमाकर्ता की लेखा-परीक्षा में संबद्ध होना चाहिए।

- (ड) लेखा-परीक्षा फर्म के पास वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के लेखा-परीक्षा कार्यों में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। लेखा-परीक्षक के पास कम से कम दो वर्ष का बीमा कंपनी लेखा-परीक्षाओं का अनुभव होना चाहिए।
- (च) उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, पूर्णकालिक भागीदार में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं होगा, जो-
- अन्य सीए फर्म(फर्मों) में भागीदार है अथवा
 - अन्यत्र पूर्णकालिक/अंशकालिक कर्मचारी के रूप में नियुक्त है, अपने स्वयं के नाम से व्यवसाय कर रहा है, अथवा अन्य प्रकार से व्यवसायरत है अथवा अन्य कार्यकलाप में लिप्त है जो चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 की धारा 2(2) के अंतर्गत व्यवसायरत होने के रूप में समझा जाएगा।
- (छ) एफआरबी को उनकी नियुक्ति के लिए विचार करने/अनुमोदन करने से पहले अपने संतोष के अनुरूप सत्यापन कर लेना चाहिए कि प्रस्तावित लेखा-परीक्षक पात्रता के मानदंडों को पूरा करते हैं। एफआरबी उनकी नियुक्ति के समय **फार्म ए1 (परिशिष्ट)** में लेखा-परीक्षा फर्म से एक घोषणा प्राप्त करेगी।
- (ज) लेखा-परीक्षा फर्म के गठन में/ प्रस्तुत की गई सूचना में/ प्रस्तुत किये गये प्रमाणीकरणों में कोई परिवर्तन जो इस मास्टर परिपत्र में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को प्रभावित करता है, लेखा-परीक्षा फर्म द्वारा एफआरबी को ऐसा परिवर्तन होने से 7 कार्य-दिवसों के अंदर विधिवत् सूचित किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में, एफआरबी ऐसी सूचना की तारीख से छह महीनों के अंदर मास्टर परिपत्र का अनुपालन अनिवार्यतः सुनिश्चित करेगी।
- (झ) प्राधिकरण को लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के बारे में इसके 7 कार्य-दिवसों के अंदर इस आशय के प्रमाणीकरण के साथ अनिवार्यतः संलग्न फार्मेट **फार्म ए2 (परिशिष्ट)** के अनुसार सूचित किया जाना चाहिए कि उपर्युक्त पात्रता के मानदंडों को पूरा किया गया है।
- (ञ) एफआरबीएस को सूचित किया जाता है कि वे विभिन्न क्षमताओं में, जैसे सांविधिक लेखा-परीक्षक, आंतरिक लेखा-परीक्षक, समवर्ती लेखा-परीक्षक, कर लेखा-परीक्षक आदि, में नियुक्त लेखा-परीक्षा फर्मों का विवरण देते हुए संलग्न **(फार्मेट ए3)** के अनुसार वार्षिक आधार पर एक विवरणी फाइल करें।

यदि प्राधिकरण की जानकारी में आता है कि एफआरबीएस के द्वारा लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति मास्टर परिपत्र के अनुरूप नहीं है, तो उक्त नियुक्ति निरस्त की जा सकती है तथा प्राधिकरण के लिए यह छूट होगी कि इस संबंध में आवश्यक समझे गये रूप में आगे की कार्रवाई पर विचार करे।

कोई भी एफआरबी अपने सांविधिक लेखा-परीक्षक को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं हटायेगी।

(3) बीमाकर्ताओं की सांविधिक लेखा-परीक्षाओं की अधिकतम संख्या जो एक समय पर किसी लेखा-परीक्षा फर्म के द्वारा स्वीकार की जा सकती हैं :

कोई भी लेखा-परीक्षा फर्म एक समय में तीन बीमाकर्ताओं (जीवन/गैर-जीवन/स्वास्थ्य/पुनर्बीमाकर्ता/एफआरबी) से अनधिक सांविधिक लेखा-परीक्षाएँ करने के लिए पात्र होगा।

बशर्ते कि किसी भी लेखा-परीक्षा फर्म के पास व्यवसाय की एक ही व्यवस्था (अर्थात् जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पुनर्बीमा) में 2 से अधिक लेखा-परीक्षा कार्य नहीं होने चाहिए।

स्पष्टीकरण: लेखा-परीक्षा फर्म अपने सहयोगी/संबद्ध फर्मों को शामिल करेगा जो एक ही नेटवर्क के अंतर्गत हैं अथवा अन्य फर्मों को शामिल करेगा जिनके नाम या ट्रेड मार्क या ब्रैंड का प्रयोग लेखा-परीक्षा फर्म या उसके किसी भी भागीदार के द्वारा किया जाता है।

(4) लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और आवर्तन:

एफआरबी ऐसे लेखा-परीक्षा फर्म को नियुक्त करेगी जो सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में ऊपर विनिर्दिष्ट किये अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। उक्त नियुक्ति 4 वर्ष तक की अवधि के लिए हो सकती है। आवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए, 4 वर्ष तक की अन्य अवधि के लिए एफआरबी द्वारा किसी लेखा-परीक्षा फर्म की पुनर्नियुक्ति करने से पहले कम से कम 3 वर्ष की विराम (कूलिंग आफ़) अवधि होगी।

आगंता (इनकमिंग) लेखा-परीक्षा फर्म विराम अवधि के दौरान, अन्य सहयोगी/संबद्ध फर्म(फर्मों) को शामिल नहीं करेगा जो एक ही नेटवर्क के अंतर्गत हैं या जिनके नाम या ट्रेड मार्क या ब्रैंड का उपयोग फर्म के द्वारा या बहिर्गामी लेखा-परीक्षक के किसी भी भागीदार के द्वारा किया जाता हो। बहिर्गामी/प्रस्थान करनेवाला सांविधिक लेखा-परीक्षक या उसका सहयोगी/संबद्ध फर्म, जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है, विराम अवधि के दौरान एफआरबी का निवेश जोखिम प्रबंध, या समवर्ती लेखा-परीक्षा नहीं करेगा।

(5) सांविधिक लेखा-परीक्षकों के द्वारा अन्य कार्य करना:

सांविधिक लेखा-परीक्षक एफआरबी के अन्य कार्य निम्नलिखित का अनुपालन करने के अधीन कर सकता है:

(क) सांविधिक लेखा-परीक्षा को छोड़कर कोई भी अतिरिक्त कार्य जो लेखा-परीक्षक या एक ही नेटवर्क के अंतर्गत विद्यमान अन्य फर्मों/ सहयोगी/संबद्ध फर्मों को दिया जाता है, जिनके नाम, ट्रेड मार्क या ब्रैंड का उपयोग लेखा-परीक्षा फर्म या उसके किसी भागीदार के द्वारा किया जाता है, विशिष्ट रूप से बोर्ड/कार्यकारी समिति के द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

(ख) बोर्ड/कार्यकारी समिति उक्त कार्य का अनुमोदन करते समय लेखा-परीक्षा संबंध की स्वतंत्रता और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, सांविधिक लेखा-परीक्षकों को सभी अतिरिक्त कार्यों का विवरण मूल कंपनी (प्रधान कार्यालय) को सूचित किया जाएगा।

- (ग) एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त कार्य का लिए शुल्क की कुल राशि उपर्युक्त वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षा शुल्क से अधिक नहीं होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि तिमाही और छमाही समीक्षा के लिए शुल्क सांविधिक लेखा-परीक्षकों के अन्य कार्यों के लिए कुल शुल्क का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए वर्जित किया जा सकता है। लेखा-परीक्षक या अन्य फर्मों, जिनके नाम या ट्रेड मार्क या ब्रैंड का उपयोग फर्म या उसके किसी भी भागीदार द्वारा किया जाता है, को सौंपे गये ऐसे अन्य कार्य के लिए समस्त शुल्क/पारिश्रमिक का विशिष्ट रूप से प्रकटीकरण वार्षिक लेखों का भाग बननेवाले लेखों की टिप्पणियों में किया जाएगा।
- (घ) सांविधिक लेखा-परीक्षकों को कोई भी अतिरिक्त कार्य देने के लिए विचार करने से पहले, एफआरबीएस कंपनी अधिनियम की धारा 144 और चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 तथा उनके अधीन बनाये गये विनियमों एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आईसीएआई के प्रयोज्य दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंधन के अन्य प्रमुख कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक

- (1) एफआरबीएस सीईओ और भारत शाखा के प्रबंधन के सभी प्रमुख व्यक्तियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के लिए मूल कंपनी के बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित रूप में एक व्यापक नीति बनायेंगी और उसे अपनायेंगी।
- (2) एफआरबीएस अपने सीईओ की नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति और सीईओ को अदा किये जानेवाले पारिश्रमिक के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेंगी। ऐसा अनुरोध फार्मेट **फार्म ए, फार्म बी, फार्म सी (परिशिष्ट)** में प्रस्तुत किया जाएगा और उसके साथ आवेदक (मूल) संस्था के बोर्ड का संकल्प या प्राधिकार-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।
- (3) सीईओ 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा तथा यह पद किसी व्यक्ति के द्वारा 15 वर्ष से अधिक निरंतर अवधि के लिए धारित नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु का होने के बाद सीईओ के रूप में जारी नहीं रहेगा।
- (4) उक्त पारिश्रमिक नीति अत्यधिक या अनुपयुक्त जोखिम ग्रहण को प्रोत्साहित नहीं करेगी तथा कारपोरेट संस्कृति, उद्देश्यों, कार्यनीतियों, अभिज्ञात जोखिम वहन क्षमता के अनुरूप और एफआरबी के दीर्घकालिक हित में होगी। वह अपने अध्यक्षों और अन्य हितधारकों के हितों का उचित ध्यान रखेगी।
- (5) बोर्ड या कार्यकारी समिति उक्त पारिश्रमिक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
- (6) बोर्ड या कार्यकारी समिति सुनिश्चित करेगी और प्रलेखीकृत करेगी कि उक्त पारिश्रमिक नीति की संरचना, कार्यान्वयन और समीक्षा करने में निर्णयन की प्रक्रिया हितों के संघर्ष की पहचान और उसका प्रबंध करेगी। बोर्ड या कार्यकारी समिति के सदस्य पारिश्रमिक संबंधी निर्णय लेने के संबंध में वास्तविक या अनुभूत हितों के संघर्ष की स्थिति में नहीं रखे जाएंगे।

(7) सीईओ और केएमपीएस के पारिश्रमिक के अंतर्गत नियत वेतन और भत्ते, परिलब्धियाँ और लाभ तथा परिवर्ती वेतन या कार्यनिष्पादन बोनस आ सकते हैं। केएमपीएस के परिवर्ती वेतन के निर्धारण के लिए विचार किये जानेवाले न्यूनतम मानदंड निम्नानुसार होंगे:

(क) समग्र वित्तीय सुदृढ़ता जैसे-

- (i) निवल मालियत की स्थिति
- (ii) शोधन-क्षमता मार्जिन

(ख) शाखा के व्यवसाय की वृद्धि और भारतीय अध्यापकों को दिया गया समर्थन/ क्षमता।

(ग) प्रतिधारण अनुपात

(घ) दावों के निपटान के लिए प्रतिवर्तन काल (टर्न अराउण्ड टाइम) के तौर पर दावा निपुणता।

(ङ) लागू विनियमों / भारत में विद्यमान विधियों का समग्र अनुपालन।

(च) भारतीय बीमाकर्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धी दरों पर नवोन्मेष उत्पाद अभिकल्प।

(8) उपर्युक्त न्यूनतम मानदंडों के आधार पर परिवर्ती वेतन का कम से कम 50% भारत शाखा के कार्यनिष्पादन के आधार पर होना चाहिए। परिवर्ती वेतन/प्रोत्साहन/ बोनस का अधिकतम 50% चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए, एफआरबी की मूल संस्था के समग्र कार्यनिष्पादन पर आधारित हो सकता है।

(9) परिवर्ती वेतन किसी कार्यनिष्पादन वर्ष के लिए केएमपी के कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक नहीं होगा। ईएसओपीएस या कोई भी अन्य शेयर आधारित प्रोत्साहन, जहाँ निपटान नकदी में नहीं है, की गणना परिवर्ती वेतन के लिए नहीं की जाएगी। परिवर्ती वेतन का भुगतान किसी भी केएमपी को वित्तीय वर्ष के दौरान केवल एक बार किया जाएगा।

(10) परिवर्ती वेतन का आस्थगन अनिवार्यतः कम से कम 3 वर्ष की अवधि में समान रूप से किया जाना चाहिए, जहाँ यह मैलस और क्लैबैक की व्यवस्था के साथ होगा, जो केएमपीएस की नियुक्ति की शर्तों का एक भाग होना चाहिए। एक कार्यनिष्पादन वर्ष के लिए रु. 25 लाख तक परिवर्ती वेतन का आस्थगन करने की आवश्यकता नहीं है।

(11) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित एफआरबी के सीईओ का पारिश्रमिक का संशोधन/ की समीक्षा एक वर्ष की समाप्ति से पहले नहीं की जाएगी।

(12) केएमपीएस के पारिश्रमिक की रिपोर्टिंग – एफआरबीएस वित्तीय वर्ष के दौरान सभी केएमपीएस को अदा किये गये पारिश्रमिक के घटकों का विवरण वित्तीय विवरणों के साथ **फार्म केएमपी-3** (परिशिष्ट) में सूचित करेंगी।

11. निधियों का प्रत्यावर्तन

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ अपनी मूल संस्था (प्रधान कार्यालय) को निधियों का प्रत्यावर्तन निम्नानुसार करेंगी:

(1) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के परिचालनों के द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष या लाभों का प्रत्यावर्तन:

लायड्स इंडिया सहित एफआरबीएस को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष या लाभों का प्रत्यावर्तन प्राधिकरण से किसी पूर्व अनुमोदन के बिना अपने प्रधान कार्यालय को करने की अनुमति है:

- (क) अंतिम लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष या लाभों के 50% तक प्रत्यावर्तन किया जा सकता है।
- (ख) प्रत्यावर्तन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केवल एक बार ही किया जा सकता है।
- (ग) प्रत्यावर्तन के बाद शोधन-क्षमता अनुपात शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से कम से कम 50 आधार अंक (बीपीएस) अधिक हो। इस प्रकार के उच्चतर शोधन-क्षमता अनुपात का अनुरक्षण उस तिमाही के बाद, जिस तिमाही में शाखा के परिचालनों के द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष या लाभों का प्रत्यावर्तन किया जाता है, कम से कम दो तिमाहियों के लिए किया जाएगा।
- (घ) प्रमाणित करनेवाले बीमांकक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि पुनर्बीमा देयताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधियों की व्यवस्था की जाने की सूचना प्राधिकरण को प्रस्तुत की गई है।
- (ङ) नीचे निर्दिष्ट किये गये अनुसार प्रत्यावर्तन का विवरण प्राधिकरण को प्रत्यावर्तन करने से 7 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।

प्रत्यावर्तन की तारीख	लाभ/अधिशेष की राशि (करोड़ रु.)	प्रत्यावर्तन की राशि (करोड़ रु.)	प्रत्यावर्तित लाभों/अधिशेष का अनुपात(%)	प्रत्यावर्तन के लिए कारण

(2) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के परिचालनों के द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष या लाभों को छोड़कर अन्य निधियों/समनुदेशित पूँजी का प्रत्यावर्तन:

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के द्वारा उत्पन्न किये गये अधिशेष या लाभों को छोड़कर अन्य अधिक समनुदेशित पूँजी का प्रत्यावर्तन निम्नलिखित के अधीन प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से किया जा सकता है:

- (क) समनुदेशित पूँजी का प्रत्यावर्तन करने के लिए अनुरोध विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा ऐसे अनुरोध के लिए कारणों का औचित्य सिद्ध करते हुए प्रस्तुत किया जाएगा, जो भारत में स्थापित शाखा के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय में लगा हुआ है।
- (ख) विदेशी पुनर्बीमाकर्ता से यह कहते हुए एक प्रमाणपत्र कि अंतिम लेखा-परीक्षित तुलन-पत्र के अनुसार, पुनर्बीमाकर्ता के पास भारतीय रुपये (आईएनआर) पाँच हजार करोड़

(रु. 5000 करोड़) या बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6(2) के अंतर्गत यथाविनिर्दिष्ट राशि की निवल स्वाधिकृत निधियाँ (एनओएफ) हैं।

- (ग) विनियमों के अनुसार प्रावधानों को घटाकर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करते समय प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम समनुदेशित पूँजी हर समय सुनिश्चित की जाएगी।
- (घ) प्रत्यावर्तन के बाद शोधन-क्षमता अनुपात शोधन-क्षमता के नियंत्रण स्तर से कम से कम 50 आधार अंक (बीपीएस) अधिक हो। इस प्रकार का उच्चतर शोधन-क्षमता अनुपात उस तिमाही के बाद, जिसमें शाखा की समनुदेशित पूँजी का प्रत्यावर्तन किया जाता है, कम से कम दो तिमाहियों के लिए अनुरक्षित किया जाएगा।
- (ङ) इस प्रकार का प्रत्यावर्तन विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार समनुदेशित पूँजी के 20% से अधिक नहीं होगा।
- (च) एक वित्तीय वर्ष में विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के द्वारा एक बार से अधिक अनुरोध नहीं किया जाएगा।
- (छ) प्रमाणित करनेवाले बीमांकक से इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि पुनर्बीमा देयताएँ पूरी करने के लिए पर्याप्त आरक्षित निधियों की व्यवस्था की गई है।
- (ज) व्यवसायरत सनदी लेखाकार (सीए)/कंपनी सचिव से एक प्रमाणपत्र कि उक्त अनुरोध में आईआरडीआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 30 के उप-विनियम 8 के अनुसार अधिशेष या लाभों का प्रत्यावर्तन शामिल नहीं है।
- (झ) व्यवसायरत सनदी लेखाकार/कंपनी सचिव से, फेमा की अपेक्षाओं, आरबीआई के निदेशों, कर संबंधी विधियों और लागू विनियामक ढाँचे के अनुपालन के संबंध में एक प्रमाणपत्र।

अध्याय II का परिशिष्ट

फार्म – सीजी-1

कारपोरेट अभिशासन के अनुपालन के लिए प्रमाणीकरण

मैं _____ (नाम) इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि _____ (एफआरबी का नाम) ने आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 तथा समय-समय पर यथासंशोधित अन्य लागू विनियमों के अधीन जारी किये गये मास्टर परिपत्र में यथाविनिर्दिष्ट कारपोरेट अभिशासन संबंधी निदेशों का अनुपालन किया है तथा कोई भी बात छिपाई नहीं गई है अथवा दबाई नहीं गई है।

नाम:

हस्ताक्षर:

(मुख्य अनुपालन अधिकारी)

मुहर

प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) का विवरण

बीमाकर्ता का नाम:

1. केएमपी का नाम (और कोई पूर्व के नाम):
2. वर्तमान आवासीय पता:
3. वर्तमान टेलीफोन, फैक्स और ई-मेल पते:
4. जन्म की तारीख और स्थान:
5. राष्ट्रीयता (और कोई पूर्व की राष्ट्रीयता):
6. पासपोर्ट / पहचान पत्र:

क. संख्या:

ख. निर्गम की तारीख और स्थान:

ग. जारी करने की तारीख:

घ. समाप्ति की तारीख:

ङ. जारीकर्ता प्राधिकारी:

7. बैंक का नाम और पता:
8. शैक्षिक योग्यता का विवरण और दिनांक:
9. व्यावसायिक योग्यता का विवरण और दिनांक:
10. पद का विवरण (दायित्वों सहित) और प्रारंभ की प्रस्तावित तारीख:
11. अनुभव:

(पिछले 5 वर्षों को सम्मिलित करते हुए)

12. (क) पिछले रोजगार का विवरण (पिछले 5 वर्षों में):

(ख) यदि पिछला नियोक्ता किसी विनियामक निकाय के द्वारा विनियमित रहा, तो:

1. पिछले नियोक्ता का नाम:
2. नियोक्ता के व्यवसाय का स्वरूप:
3. उक्त नियोक्ता का पर्यवेक्षण करनेवाले विनियामक निकाय का नाम:
4. अंतिम पदनाम (कर्तव्यों और दायित्वों सहित):
5. नियुक्ति की तारीख:
6. त्यागपत्र की तारीख:

13. किसी अन्य संस्था में 2% से अधिक ईक्वीटी शेयर अथवा निदेशकत्व धारित करने के रूप में पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के अन्य व्यावसायिक हितों का विवरण:

14. बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के अन्य संबंधित पक्षकारों के साथ केएमपी का संबंध, यदि कोई हो:-
- क. बीमाकर्ता और बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों में 2% से अधिक शेयरधारिताएँ या मतदान अधिकारों का विवरण:
 - ख. बीमाकर्ता या बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों के साथ किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
 - ग. निदेशकों और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों के भूतपूर्व कर्मचारियों तथा बीमाकर्ता या बीमाकर्ता के संबंधित पक्षकारों के बीच किन्हीं व्यावसायिक संबंधों का विवरण:
15. प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों की प्रतिष्ठा और चरित्र संबंधी पूरा विवरण:
- क. क्या आवेदक को कभी दिवालिया घोषित किया गया है।
 - ख. धोखाधड़ी या अन्य बेईमानी से संबद्ध किसी अपराध के लिए दोषसिद्धियों का विवरण।
 - ग. किसी कंपनी में निदेशक/प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति के रूप में कार्य करने से कोई निरर्हता।
 - घ. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान निदेशक या प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति को कभी कोई विनियमित वित्तीय व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या प्राधिकरण से अस्वीकार (या प्रतिसंहरण) किया गया है।
16. किसी सरकारी या विनियामक या व्यावसायिक निकाय द्वारा कोई निंदा की गई है या अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की गई है, इसका विवरण।
17. पिछले नियोक्ता के द्वारा पद या नियोजन से बर्खास्तगी, अनुशासनिक कार्रवाई का अधीनीकरण, अथवा किसी व्यवसाय या धंधे में प्रवेश से अस्वीकरण का विवरण।
18. नैतिक चरित्रहीनता से संबद्ध किसी अपराध के लिए प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति की दोषसिद्धि का विवरण।
19. क्या किसी सरकारी, विनियामक या व्यावसायिक निकाय ने ऐसे किसी नियोक्ता, कंपनी या संस्था की जाँच-पड़ताल की है जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक या शेयरधारक के रूप में संबद्ध रहा है?
20. क्या कोई कंपनी या संस्था जिसके साथ प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति एक निदेशक, अधिकारी, प्रबंधक के रूप में संबद्ध रहा था, कभी बंद की गई है, प्रापक पद (रिसीवरशिप) के अधीन रखी गई है या उसका व्यापार समाप्त किया गया है जब प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति उसके साथ संबद्ध था या प्रबंधन के प्रमुख व्यक्ति की उसके साथ संबद्धता समाप्त होने के बाद एक वर्ष के अंदर कभी बंद की गई है, प्रापक पद (रिसीवरशिप) के अधीन रखी गई है या उसका व्यापार समाप्त किया गया है?
21. बताएँ कि क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति भारत में या किसी विदेश में बीमा कारपोरेट एजेंट, बीमा दलाल का कर्मचारी, किसी अन्य बीमा मध्यवर्ती या बीमाकर्ता या पुनर्बीमाकर्ता का निदेशक या कर्मचारी अथवा भारत में या किसी विदेश में किसी अन्य कंपनी का निदेशक भी है?
22. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति बीमाकर्ता के पूर्णकालिक नियोजन में है? यदि नहीं, तो अन्य नियोजन/नियुक्ति का पूरा विवरण दें।
23. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति किसी अन्य संस्था से प्रतिनियुक्ति / अस्थायी स्थानांतरण पर है?

यदि हाँ, तो

क. मूल संस्था का पूरा विवरण प्रस्तुत करें।

ख. क्या मूल संस्था के द्वारा किसी पारिश्रमिक आदि का भुगतान किया जाता है। यदि हाँ, तो पारिश्रमिक का पूरा विवरण।

24. क्या प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति बीमाकर्ता की किसी समूह कंपनी/ सहयोगी कंपनी अथवा बीमाकर्ता के किसी प्रवर्तक भागीदार के पूर्णकालिक / अंशकालिक रोजगार में है?

प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है तथा यदि इसमें सूचित की गई कोई भी बात झूठी या गलत पाई जाती है, तो मैं उपयुक्त कार्रवाई के लिए बाध्य होऊँगा/होऊँगी।

प्रबंधन का प्रमुख व्यक्ति

मुख्य अनुपालन अधिकारी

(आवेदक)

दिनांक:

स्थान:

प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) की नियुक्ति और पारिश्रमिक संबंधी मास्टर परिपत्र के पैरा सं. _____ के अनुसार वित्तीय वर्ष _____ के लिए वार्षिक अनुपालन प्रमाणपत्र

एफआरबी का नाम:

इसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त मास्टर परिपत्र के भाग के रूप में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये 'सीईओ और अन्य प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) की नियुक्ति और पारिश्रमिक से संबंधित सभी उपबंधों का विधिवत् अनुपालन किया गया है।

आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है कि (आवेदक संस्था का नाम) की भारत शाखा के पास 'सीईओ और प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) की नियुक्ति और पारिश्रमिक' के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रियाएँ विद्यमान हैं।

दिनांक:

स्थान:

मुख्य अनुपालन अधिकारी
एफआरबी का नाम

मुहर

फार्म केएमपी-3

केएमपीएस को भुगतान किये गये पारिश्रमिक का विवरण

एफआरबीएस का नाम:	
वित्तीय वर्ष:	

राशि (करोड़ रु. में)

क्रम सं.	सीईओ/केएमपीएस का नाम	पद नाम	नियत वेतन			परिवर्ती वेतन			नियत और परिवर्ती वेतन का कुल जोड़ (ग)+(च)	कार्यग्रहण / साइन आन बोनस, यदि कोई हो	वर्ष के दौरान अदा किये गये / निपटाये गये पिछले वर्षों के आस्थगित पारिश्रमिक की राशि
			वेतन और भत्ते (क)	परिलब्धियाँ, आदि (ख)	कुल (ग)= (क) + (ख)	नकदी घटक (घ)	गैर-नकदी घटक (ङ)	कुल (च)=(घ)+(ङ)			

घोषणा

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरकर्ता, मेसर्स _____ का/के भागीदार, इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि नीचे दिया गया विवरण मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार _____ को यथाविद्यमान स्थिति के अनुसार है तथा सभी प्रकार से सही है। मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि:

क. हमारी किसी भी शाखा या सहयोगी/संबद्ध संस्था या एलएलपी या अन्य फर्म, जिसके नाम या ट्रेड मार्क या ब्रैंड का उपयोग हमारे फर्म या हमारे किसी भी भागीदार द्वारा किया जाता है, को किसी बीमाकर्ता/एफआरबी के सांविधिक लेखा-परीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है; **अथवा**

हमारी निम्नलिखित शाखा या सहयोगी/संबद्ध संस्था या एलएलपी या अन्य फर्म जिसके नाम या ट्रेड मार्क या ब्रैंड का उपयोग हमारे फर्म या हमारे किसी भी भागीदार द्वारा किया जाता है, को निर्मांकित बीमाकर्ता(ओं)/एफआरबी के सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है

फर्म/सहयोगी संस्था/संबद्ध संस्था/एलएलपी का नाम	बीमाकर्ता/एफआरबी का नाम	नियुक्ति की अवधि

ख. मैंने/हमने प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मास्टर परिपत्र में यथाविनिर्दिष्ट अनुदेशों तथा निबंधनों और शर्तों का अध्ययन किया है तथा मैं/हम निश्चयपूर्वक कहता हूँ/कहती हूँ/ कहते हैं कि हमारा फर्म मास्टर परिपत्र का अनुपालन करता है और इस प्रकार निर्धारित निबंधनों और शर्तों का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं करता है।

ग. यदि यह पाया जाता है कि इस प्रकार निर्धारित निबंधनों या शर्तों का उल्लंघन किया गया है, तो आवेदन/नियुक्ति को अस्वीकार/निरस्त किया जा सकता है।

घ. मैं/हम आगे स्वीकार करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि यदि किसी भी निबंधन या शर्त का उल्लंघन किया गया है या इसमें किया गया कोई भी वक्तव्य या आवेदन फार्म में प्रस्तुत कोई भी सूचना सही नहीं पाई जाती है, तो मैं/हम चार्टर्ड अकाउण्टेण्ट अधिनियम, 1949 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए बाध्य होऊँगा/होऊँगी/होंगे।

ङ. हमारे लेखा-परीक्षा फर्म या शाखा या सहयोगी संस्था या एलएलपी या अन्य फर्म, जिसके नाम या ट्रेड मार्क या ब्रैंड का उपयोग हमारे फर्म या हमारे किसी भी भागीदार द्वारा किया जाता है, द्वारा आगे कोई भी कार्य नहीं लिया जाएगा/नहीं लिये जाएँगे जो उक्त मास्टर परिपत्र के अनुपालन में नहीं है/हैं।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर आबंटित लेखा-परीक्षा/ अन्य कार्य स्वीकार नहीं किया जाएगा और संचालित नहीं किया जाएगा यदि फर्म जिसके नाम आवेदन किया गया है, लेखा-परीक्षा के समय अस्तित्व में नहीं हो।

लेखा-परीक्षा फर्म का नाम:

भागीदार का नाम	सदस्यता संख्या	हस्ताक्षर*
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

स्थान: _____

दिनांक: _____

*उक्त घोषणा पर बीमाकर्ता की लेखा-परीक्षा करनेवाले लेखा-परीक्षा फर्म के सभी भागीदारों के द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

फार्म ए2

एफआरबी का नाम:

सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष _____ के लिए (एफआरबी का नाम) के लिए सांविधिक लेखा-परीक्षकों के रूप में निम्नलिखित लेखा-परीक्षा फर्मों को नियुक्त किया गया है-

क्र.सं.	लेखा-परीक्षा फर्म का नाम	पता	टेलीफोन/ई-मेल
1			
2			

पिछले दस वर्षों के लिए (एफआरबी का नाम) के सांविधिक लेखा-परीक्षकों का पिछला रिकार्ड निम्नानुसार है:

वर्तमान अवधि	वर्ष-4	वर्ष-3	वर्ष-2	वर्ष-1	चालू वर्ष
लेखा-परीक्षा फर्म का नाम					
1					
2					

पिछली अवधि	वर्ष-9	वर्ष-8	वर्ष-7	वर्ष-6	वर्ष-5
लेखा-परीक्षा फर्म का नाम					
1					
2					

प्रमाणित किया जाता है कि यह नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये मास्टर परिपत्र के भाग के रूप में लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति के लिए निदेशों के अनुपालन में है।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

स्थान:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

एफआरबी का नाम:

वित्तीय वर्ष _____ के लिए नियुक्त लेखा-परीक्षकों की विवरणी

क्र.सं.	लेखा-परीक्षकों को निम्नांकित रूप में नियुक्त किया गया	फर्म का नाम	पता/टेलीफोन/ई-मेल
1.	सांविधिक लेखा-परीक्षक		
	1.		
	2.		
2.	आंतरिक लेखा-परीक्षक		
	1.		
	2.		
3.	समवर्ती लेखा-परीक्षक		
	1.		
	2.		
4.	कर लेखा-परीक्षक		
	1.		
	2.		
5.	किसी अन्य क्षमता में (विनिर्दिष्ट करें)		
	1.		
	2.		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त सूचना सही और संपूर्ण है, तथा वास्तविक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है।

दिनांक:

हस्ताक्षर

स्थान:

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

**मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) की नियुक्ति करने हेतु प्राधिकरण के अनुमोदन की
अपेक्षा करने के लिए फार्म**

क्र. सं.	विवरण	
1	बताएँ कि प्रश्नगत नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करने और उसकी शर्तें निर्धारित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है। यदि यह निदेशक बोर्ड है, तो संगत अनुच्छेद की संख्या उद्धृत करें। (सक्षम प्राधिकारी, आम सभा या निदेशक बोर्ड, जैसी स्थिति हो, के नियुक्ति, पुनर्नियुक्ति को प्राधिकृत करनेवाले संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि (उसकी तारीख का उल्लेख करते हुए) आवेदन के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। यदि उक्त संकल्प क्षेत्रीय भाषा में है, तो अधिमानतः अंग्रेजी में अनूदित उसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जाए)	
2	नियुक्त / पुनर्नियुक्त किये जानेवाले व्यक्ति का पूरा नाम	
3	उसका वर्तमान पदनाम	
4	बीमा और/या अन्य व्यावसायिक अनुभव, संस्थाओं का/के नाम, उनमें धारित पद बताते हुए, तथा ऐसे अनुभव की लगभग अवधि	
5	उन कंपनियों के नाम उनके व्यवसाय के स्वरूप के साथ बताएँ, जिनमें उक्त व्यक्ति भी निदेशक/प्रबंध निदेशक का पद धारित करता है	
6	नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की शर्तें (क) क्या उक्त नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति किसी संविदा या करार के अंतर्गत है (यदि हाँ, तो संविदा या करार के प्रारूप की प्रति वर्तमान संविदा या करार, यदि कोई हो, की प्रति के साथ प्रस्तुत की जाए (ख) यदि नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की कोई अवधि निर्धारित हो (यदि नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए) (ग) पारिश्रमिक का विवरण: विवरण संलग्न फार्म "सी" में प्रस्तुत किया जाना चाहिए	
7	बताएँ कि क्या (क) बीमा कंपनी बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32(ए)(1) के उपबंध का अनुपालन करती है (ख) यदि नियुक्त किया जानेवाला व्यक्ति प्रवासी है, तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार से वर्क परमिट लिया गया है (वर्क परमिट की एक प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)	

8	कंपनी अधिनियम के ऐसे उपबंधों के अनुपालन के संबंध में स्थिति जो ध्यान आकर्षित करते हैं, विशेष रूप से धाराएँ 164 (निदेशकों की निरर्हता), धारा 188 (पद या स्थान या लाभ) और धारा 196 (केन्द्र सरकार के अनुमोदन को छोड़कर)। प्रत्येक धारा के संदर्भ में स्थिति अलग-अलग बताएँ	
9	कोई अतिरिक्त तथ्य जो बीमा कंपनी आवेदन के समर्थन में या अन्यथा बताना चाहे	

कृते _____

(एफआरबी का नाम)

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

टिप्पणी: यदि आवेदन उसकी वर्तमान नियुक्ति या पारिश्रमिक से संबंधित उपबंध/उपबंधों के संशोधन से भी संबद्ध रूप में सीईओ की पुनर्नियुक्ति से संबंधित है, तो फार्म "ए" में केवल एक आवेदन प्रस्तुत किया जाए।

एफआरबी का नाम:

सीईओ द्वारा घोषणा और वचनपत्र (_____ की स्थिति के अनुसार उपयुक्त रूप में अनुलग्नकों के साथ)		
I.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी का व्यक्तिगत विवरण	
क.	पूरा नाम	
ख.	जन्म-तिथि	
ग.	शैक्षिक अर्हताएँ	
घ.	संगत पृष्ठभूमि और अनुभव	
ड.	स्थायी पता	
च.	वर्तमान पता	
छ.	ई-मेल पता/टेलीफोन नंबर	
ज.	आय-कर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या तथा आय-कर सर्किल का पता	
झ.	संगत ज्ञान और अनुभव	
ञ.	नियुक्ति के लिए संगत कोई अन्य सूचना	
ट.	यदि विदेशी राष्ट्रिक है, तो क्या गृह मंत्रालय द्वारा आवासीय परमिट जारी किया गया है। यदि नहीं, तो इसके लिए कारण।	
II.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी के संगत संबंध	
क.	प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा धारित शेयरों की संख्या	
ख.	संस्थाओं की संख्या, यदि कोई हों, जिनमें उसे हितबद्ध समझा जा रहा हो (कंपनी अधिनियम की धारा 184 और 2(49) देखें)	

ग.	बीमाकर्ता का नाम जिसमें वह बोर्ड का/की सदस्य रहा/रही है (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान ऐसा पद धारित किया गया था)	
घ.	निधि और गैर-निधि सुविधाएँ, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा और/या ऊपर II (क) और (ख) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा बीमाकर्ता से प्राप्त की जा रही हैं	
III.	व्यावसायिक उपलब्धियों का अभिलेख	
क.	व्यावसायिक उपलब्धियाँ	
IV.	प्रबंध निदेशक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही, यदि कोई हो	
क.	यदि सीईओ किसी व्यावसायिक संघ/निकाय का सदस्य है, तो उसके विरुद्ध अतीत में लंबित या प्रारंभ की गई या दोषसिद्धि में परिणत होनेवाली अनुशासनिक कार्रवाई, यदि कोई हो, का विवरण अथवा क्या उसे किसी भी समय किसी व्यवसाय/धंधे में प्रवेश से रोक दिया गया है।	
ख.	प्रबंध निदेशक के विरुद्ध अतीत में लंबित या प्रारंभ किया गया या दोषसिद्धि में परिणत होनेवाला अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
ग.	क्या निदेशक पर कंपनी अधिनियम की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी निरर्हता लागू होती है	
घ.	क्या सीईओ या ऊपर II (ख) और (ग) पर निर्दिष्ट संस्थाएँ कभी सरकारी विभाग या एजेंसी के कहने पर किसी जाँच-पड़ताल के अधीन रही हैं?	
ङ.	क्या सीईओ को किसी भी समय सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क/आय-कर/विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/ विनियमों/ वैधानिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया है। यदि हाँ, तो विवरण दें	

च.	क्या सीईओ किसी भी समय किसी विनियमनकर्ता, जैसे सेबी, डीसीए, आरबीआई की प्रतिकूल जानकारी में आया है	
छ.	I से III तक के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा योग्य और उपयुक्त संबंधी निर्णय करने के लिए संगत समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और संपूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद घटित होनेवाली सभी घटनाओं के संबंध में बीमाकर्ता को यथाशीघ्र पूर्णतः अवगत रखने का वचन देता हूँ/ देती हूँ जो ऊपर प्रस्तुत की गई सूचना के लिए संगत हैं।

मैं बीमाकर्ता के सभी निदेशकों/केएमपीएस द्वारा निष्पादित किये जाने के लिए अपेक्षित प्रसंविदा विलेख (डीड आफ़ कोविनैट) निष्पादित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ।

स्थान: _____

दिनांक:

मुहर

प्रस्तावित नियुक्त किये जानेवाले

मुख्य अनुपालन अधिकारी के हस्ताक्षर

सीईओ के हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ प्रबंध निदेशक/ अध्यक्ष के पारिश्रमिक का विवरण

पारिश्रमिक आदि	वर्तमान	वास्तविक	प्रस्तावित	परिवर्तन के लिए कारण, (यदि कोई हों)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<p>पारिश्रमिक:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. वेतन 2. महँगाई भत्ता 3. मकान किराया भत्ता 4. वाहन भत्ता 5. अतिथि-सत्कार भत्ता 6. अन्य भत्ते, यदि कोई हों (विनिर्दिष्ट करें) 				
<p>परिलब्धियाँ (पर्किजिट्स):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. निःशुल्क फर्निचर युक्त मकान 2. निम्नलिखित के लिए कार का निःशुल्क उपयोग <ol style="list-style-type: none"> (i) कार्यालयीन प्रयोजन (ii) निजी प्रयोजनों के लिए उपयुक्त राशि से कंपनी की क्षतिपूर्ति करते हुए 3. भविष्य निधि/उपदान (ग्रेच्युटी) / पेंशन 4. यात्रा और विराम भत्ता 5. चिकित्सा सुविधाएँ 6. अन्य लाभ, यदि कोई हों (विनिर्दिष्ट करें) 				
<p>बोनस</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कार्यनिष्पादन बोनस 2. वार्षिक बोनस 3. कर्मचारी स्टॉक विकल्प 4. कोई अन्य प्रोत्साहन 				

टिप्पणियाँ :

- (1) यदि कोई लाभ गैर-मौद्रिक स्वरूप का है, उदा. निःशुल्क फर्निचर युक्त मकान, तो यह निर्धारित करने के लिए सर्वोत्तम संभव सीमा तक उसकी मौद्रिक समतुल्य राशि दें। यदि नियुक्त किया जानेवाला व्यक्ति पहले से ही आवेदक के साथ संबद्ध है, तो उसके वर्तमान पारिश्रमिक, आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (2) कार्यनिष्पादन बोनस की स्थिति में, एफआरबी सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक वर्ष अदा की गई राशि विशिष्ट रूप से निदेशक बोर्ड/ कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी, यदि इस प्रकार बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।
- (3) यदि संस्था परिलाभ (इमाल्युमेंट्स) और/या अन्य लाभ/परिलब्धियाँ (पर्किजिट्स) बढ़ाने का प्रस्ताव करती है, तो इसके लिए कारण स्तंभ सं. (4) में उपयुक्त रूप से स्पष्ट किये जाएँ।

अध्याय III

विविध

12. पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण या निरसन

आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 18(4) के अनुसार कोई भी संस्था जो भारत में अपने परिचालन समाप्त करना चाहती है, अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण या निरसन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

संस्था उक्त अनुरोध के साथ निम्नलिखित दस्तावेज और सूचना प्रस्तुत करेगी:

- (1) अभ्यर्पण आवेदन: पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण करने के लिए एक औपचारिक आवेदन, अभ्यर्पण के लिए कारण सहित।
- (2) कारपोरेट संकल्प: अभ्यर्पण को प्राधिकृत करनेवाले बोर्ड संकल्पों या अन्य कारपोरेट दस्तावेजों की प्रतियाँ।
- (3) स्वदेश के विनियमनकर्ता/पर्यवेक्षक को सूचना: भारत में परिचालनों के प्रस्तावित समापन के संबंध में सूचना की प्रति।
- (4) वित्तीय विवरण: तुलन-पत्र और आय विवरण, जो आवेदन की तारीख से नौ महीने से अधिक पुराने न हों, सहित लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण।
- (5) अध्यर्पकों के प्रति बकाया दायित्व: आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार बकाया दायित्वों, जैसे बकाया दावों या अध्यर्पकों के प्रति अन्य संविदागत दायित्वों की रिपोर्ट।
- (6) पुनर्बीमा/ वापसी (रेट्रोसेशन) करार: पुनर्बीमाकृत पालिसियों और शर्तों; वापसी (रेट्रोसेशन) की व्यवस्थाओं सहित, प्रचलन में विद्यमान सभी पुनर्बीमा करारों का विवरण।
- (7) दावे: बकाया और लंबित दावों से संबंधित सूचना, उनकी कालावधि के साथ, और इस स्पष्टीकरण के साथ कि उनका प्रबंध कैसे करने का प्रस्ताव है।
- (8) निवेश: एफआरबी द्वारा धारित निवेशों के बारे में विस्तृत सूचना।
- (9) सांविधिक/विनियामक फाइलिंग: भारत में या एफआरबी के स्वदेश के मूल अधिकार-क्षेत्र में किन्हीं सांविधिक फाइलिंगों की प्रतियाँ, जो प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण और परिचालनों के समापन के लिए करना अपेक्षित है।
- (10) अनुपालन अभिलेख: आवेदन की तारीख को विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति।

- (11) संपर्क संबंधी सूचना: प्रमुख कार्मिकों के साथ संपर्क की अद्यतन सूचना जो अभ्यर्पण के पूरे होने तक अनुपालनों की निगरानी करने के लिए जिम्मेदार हैं।
- (12) समापन के लिए योजना: यह रूपरेखा देते हुए एक योजना कि संस्था बाकी समाप्त न हुए दायित्वों को कैसे संभालने का तथा अभ्यर्पण के लिए व्यवसाय को बंद करने के लिए प्रबंध करने का प्रस्ताव करती है।
- (13) संचार योजना: इस संबंध में विवरण कि संस्था अभ्यर्पण के बारे में ग्राहकों और हितधारकों को सूचित करने के लिए कैसे योजना बनाती है।
- (14) इस आशय का वचनपत्र कि एफआरबी अपने अध्यर्पकों के प्रति अपनी सभी प्रतिबद्धताओं के लिए जिम्मेदार होना जारी रखेगी तथा यह कि या तो उसके सभी दायित्वों का निपटान पूर्णतः किया जाएगा या संबंधित अध्यर्पक(कों) के साथ किये गये करार के अनुसार अन्य पक्षकारों के साथ उनका नवीयन किया जाएगा।
- (15) ऐसी अन्य सूचना जो प्राधिकरण अंतिम अनुमोदन प्रदान करने तक समय-समय पर अपेक्षित करेगा।

13. समामेलन, विलय, अधिग्रहण, अंतरण या पुनःसंरचना

(1) पृष्ठभूमि:

व्यवसाय के समेकन और पुनर्गठन के भाग के रूप में बीमा संस्थाएँ/ समूह समामेलन, विलय, अधिग्रहण, अंतरण या पुनःसंरचना के लेनदेन कर सकते हैं। एफआरबीएस की मूल कंपनियाँ या तो संस्था या समूह स्तर पर अन्य कंपनियों का अधिग्रहण करना चाहेंगी या किसी अन्य संस्था या समूह के स्तर पर अपने व्यवसाय का आंशिक तौर पर या पूर्ण रूप से अंतरण / विलय करना चाहेंगी।

ऐसे विलय, अंतरण या अधिग्रहण के कारण आवेदक संस्था की संरचना, वित्तीय स्थिति, धारिता का स्वरूप आदि में परिवर्तन हो सकता है। अतः तदनुसूची प्रभाव निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ), समनुदेशित पूँजी, रिपोर्टिंग संरचना, अभिशासन और अनुपालन के मानदंडों आदि के तौर पर देखा जा सकता है, जो भारत शाखा पर निगरानी के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 19 के अनुसार उपर्युक्त का मूल्यांकन करने के लिए प्राधिकरण निम्नलिखित निदेश जारी करता है:

- (2) एफआरबी की आवेदक संस्था या उसकी समूह संस्था जो कोई लेनदेन या व्यवस्था करना चाहती है जो उसके स्वामित्व या धारिता की संरचना में परिवर्तन के रूप में परिणत हो सकती है, ऐसे

आशय की सूचना तत्काल परंतु इसकी फाइलिंग करने से पंद्रह दिन से अनधिक अवधि के अंदर अपने (उनके) स्वदेश के अधिकारक्षेत्र के विनियमनकर्ता को देगी।

आशय की सूचना के साथ, एफआरबी की आवेदक कंपनी निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी:

- (क) अंतरिती संस्था के पिछले वित्तीय वर्ष के लिए लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण; निवल स्वाधिकृत निधि (एनओएफ), शोधन-क्षमता मार्जिन आदि सहित।
- (ख) व्यवसाय की व्यवस्था(ओं) के विवरण सहित जिसके(जिनके) लिए भारत में व्यावसायिक परिचालन रखनेवाली संस्था के द्वारा लेनदेन का प्रस्ताव किया गया है।
- (ग) लेनदेन के बाद अंतरिती संस्था की प्रस्तावित स्वामित्व संरचना।
- (घ) एफआरबी के प्रबंधन के प्रमुख व्यक्तियों (केएमपीएस) में परिवर्तन; लेनदेन के बाद एफआरबी के केएमपीएस की रिपोर्टिंग संरचना में परिवर्तन के साथ।
- (ङ) अंतरणकर्ता संस्था/समूह से अंतरिती संस्था को अंतरित की जानेवाली बकाया देयताओं और आरक्षित निधियों का विवरण।
- (च) वित्तीय स्थिति पर प्रभाव का विश्लेषण, जैसे संविदागत देयताएँ, आरक्षित निधियाँ, अनुमान और प्रस्तावित लेनदेन के बाद एफआरबी की शोधन-क्षमता स्थिति।

आशय की सूचना और संबंधित जानकारी प्राप्त होने पर, प्राधिकरण उसकी जाँच करेगा और प्रस्तावित लेनदेन या व्यवस्था के संबंध में चिंताएँ, यदि कोई हों, एफआरबी की आवेदक संस्था और उसके स्वदेश के क्षेत्राधिकार के विनियमनकर्ता को सूचित करेगा।

(3) स्वदेश के क्षेत्राधिकार के विनियमनकर्ता से अनुमोदन या सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्राप्त होने के बाद, एफआरबी की मूल या आवेदक संस्था लेनदेन या व्यवस्था के अनुमोदन के लिए प्राधिकरण को लागू प्रसंस्करण शुल्क के साथ एक आवेदन प्रस्तुत करेगी। आवेदन के साथ निम्नलिखित प्रस्तुत किये जाएँगे:

- (क) प्रस्तावित लेनदेन या व्यवस्था के संबंध में स्वदेश के क्षेत्राधिकार के विनियमनकर्ता(ओं) के अनुमोदन या सिद्धांत रूप में अनुमोदन की प्रमाणित प्रति।
- (ख) प्रस्तावित लेनदेन के बाद एफआरबी की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव, जैसे संविदागत देयताएँ, आरक्षित निधियाँ, अनुमान और शोधन-क्षमता की स्थिति, जो प्रमाणीकरण करनेवाले बीमांकक के द्वारा विधिवत् प्रमाणित हो।
- (ग) अंतरिती/परिणामी संस्था द्वारा एक चुकौती आश्वासन पत्र (लेटर आफ़ कम्फर्ट) कि भारत में संबंधित एफआरबीएस को अग्रसर होते हुए लेनदेन के समाप्त होने की तारीख से उसकी पुनर्बीमा देयताएँ पूरी करने के लिए समर्थन देगी।
- (घ) अंतरिती/परिणामी संस्था द्वारा एक वचनपत्र कि वह भारत के लागू विनियमों/ कानूनों का अनुपालन करेगी।

प्राधिकरण ऊपर (2) और (3) पर यथाविनिर्दष्ट दस्तावेजों और अन्य सूचना की जाँच करेगा तथा अनुरोध पर कार्रवाई करने के लिए अतिरिक्त विवरण और सूचना की अपेक्षा करेगा।

- (4) प्राधिकरण संतुष्ट होने के उपरांत, अपने द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली शर्तों के अधीन, भारत में एफआरबी परिचालनों के संबंध में प्रस्तावित लेनदेन या व्यवस्था को कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदन प्रदान करेगा।
- (5) यदि लेनदेन या व्यवस्था का अनुमोदन, एक नई पहचान के साथ भारतीय शाखा के स्वामित्व या धारिता की संरचना में परिवर्तन के रूप में परिणत होता है, तो प्राधिकरण द्वारा एक संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र (फार्म/आईआरडीएआई/रीइन्स/आर3) जारी किया जाएगा।
- (6) एफआरबी के लेनदेन/व्यवस्था के अनुमोदन के बाद एफआरबी संबंधित करार/संविदा की विधिमान्यता की स्थिति का उल्लेख करते हुए, की गई प्रत्येक संविदा/करार के लिए प्रत्येक अध्यापक को स्वामित्व/पुनःसंरचना में परिवर्तन के संबंध में लिखित में सूचित करेगी।
- (7) यदि प्राधिकरण की राय में प्रस्तावित लेनदेन विनियम 19 के उप-विनियम 4 के परंतुक के विस्तार में आता है, तो वह संबंधित संस्था(ओं) को उपयुक्त निदेश जारी करेगा।

14. एफआरबी/लायड्स इंडिया/लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग)

आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 30(5) के अनुसार, एफआरबीएस को भारत में उनके परिचालनों से संबंधित विनिर्दिष्ट मुख्यतर कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण करने की अनुमति है। एफआरबीएस अध्यापकों और हितधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए भारत में शाखा के परिचालनों से संबंधित किन्हीं कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण करते समय विवेकपूर्ण पद्धतियों को सुनिश्चित करेंगी।

(1) बाह्यस्रोतीकरण नीति और उसका कार्यान्वयन

एफआरबी की कार्यकारी समिति (ईसी) एक बाह्यस्रोतीकरण नीति लागू करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- (क) डेटा की गोपनीयता, बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं के अंतर्गत की गई सेवाओं की गुणवत्ता सहित, बाह्यस्रोतीकरण में जोखिमों के आकलन के लिए ढाँचा।
- (ख) बाह्यस्रोतीकरण किये गये प्रत्येक कार्यकलाप हेतु लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित करने के लिए मानदंड।
- (ग) अपेक्षित सेवाएँ देने के लिए बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की समर्थता और सक्षमता सहित, बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत।
- (घ) संबद्ध महत्वपूर्ण जोखिमों के लिए अपेक्षित समुचित सावधानी की मात्रा।
- (ङ) संघर्ष प्रबंध नीति जो संबंधित पक्षकारों के लेनदेनों के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करती है।

कार्यकारी समिति बाह्यस्रोतीकरण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रत्येक बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की बाह्यस्रोतीकरण संविदाओं के साथ संबद्ध मुख्य जोखिमों का वार्षिक मूल्यांकन सुनिश्चित करेगी और आगे सुधार करने के लिए परिवर्तन, यदि कोई हों, शामिल करेगी।

विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की शाखा एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल परिचालन व्ययों के 20% से अनधिक मूल्य के अपने अनुमत मुख्यतर कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन के बिना कर सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व्ययों और एकल आदेश उत्पादन (वन-आफ़) पहलें, जैसे आरबीसी, आईएफआरएस, आदि पर 20% की सीमा निर्धारित करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

(2) बाह्यस्रोतीकरण से निषिद्ध कार्यकलाप:

एफआरबीएस जोखिम-अंकन, निवेश, दावों का निपटान जैसे मुख्य कार्यकलापों का तथा विनियामक अनुपालनों, सामान्य रूप से या किसी विशिष्ट संस्था के संदर्भ में प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य कार्य का बाह्यस्रोतीकरण नहीं करेंगी।

(3) बाह्यस्रोतीकरण प्रदाताओं की समुचित सावधानी:

बाह्यस्रोतीकरण प्रदाताओं के साथ बाह्यस्रोतीकरण करारों के संबंध में विचार करते समय, इसी समुचित सावधानी सुनिश्चित करेगी जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (क) बाह्यस्रोतीकरण प्रदाता का अस्तित्व, उसे बाह्यस्रोतीकृत किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यकलाप निष्पादित करने के लिए उसकी सक्षमता और अनुभव।
- (ख) बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलापों को निष्पादित करते समय, परिकल्पित मानक लागू करने के लिए सेवा प्रदाता की सक्षमताओं का निर्धारण करना।
- (ग) व्यवसाय निरंतरता प्रबंध।
- (घ) डेटा गोपनीयता, सुरक्षा और नियंत्रण।
- (ङ) सेवा प्रदाता के वार्षिक मूल्यांकन का प्रलेखीकरण।

(4) बाह्यस्रोतीकरण करार

बाह्यस्रोतीकृत व्यवस्थाएँ लिखित करारों के द्वारा नियंत्रित की जाएँगी जो एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी हैं जो स्पष्ट रूप से सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का वर्णन करते हैं, यथा-

- (क) किसी विफलता के लिए देयता सहित, उसकी वचनबद्धताओं के लिए बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता से गारंटी या क्षतिपूर्ति।
- (ख) बाह्यस्रोतीकृत व्यवस्थाओं के लिए व्यवसाय की निरंतरता उपलब्ध कराने के लिए बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता की आकस्मिकता आयोजना।

- (ग) सुस्पष्ट व्यवस्था कि संविदा न तो एफआरबी को उसके संबंधित विनियामक दायित्वों को पूरा करने से और न ही आईआरडीआई को निरीक्षण और जाँच-पड़ताल संचालित करने की अपनी शक्तियों का प्रयोग करने से रोकेगी या बाधित करेगी।
 - (घ) डेटा, आस्तियाँ आदि सौंपने के संबंध में विनिर्दिष्ट करते हुए संविदा समापन खंड।
 - (ङ) डेटा खंडों की गोपनीयता और सुरक्षा।
- (5) अनुसरण किये जानेवाले सिद्धांत जहाँ बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाता एफआरबी के संबंधित पक्षकार हैं/ समूह संस्थाएँ हैं।

संभावित हितों के संघर्ष से बचने के उद्देश्य के साथ, एफआरबी प्रयास करेगी कि एफआरबी के संबंधित पक्षकारों या समूह संस्थाओं को नियुक्त नहीं किया जाएगा। तथापि, जहाँ एफआरबी के संबंधित पक्षकारों को या समूह संस्थाओं को किसी कार्यकलाप का बाह्यस्रोतीकरण करना आवश्यक समझा जाता है, वहाँ वह लेनदेनों में स्वतंत्र संव्यवहार (आर्म्स लेंगथ) के सिद्धांत का अनुसरण करना सुनिश्चित करेगी।

(6) अभिलेखों का अनुरक्षण

एफआरबीएस प्रत्येक कार्यकलाप और बाह्यस्रोतीकरण करनेवाली संस्था के लिए जोखिम के आकलन और मूल्यांकन, लागत लाभ विश्लेषण, समुचित सावधानी समीक्षाएँ आदि से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण सुनिश्चित करेंगी।

(7) रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

एफआरबीएस बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं की सूचना बाह्यस्रोतीकरण सेवा प्रदाताओं के विवरण के साथ वित्तीय वर्ष के अंत में वित्तीय विवरणों के साथ प्रत्येक वर्ष **फार्म ओएस-1 (परिशिष्ट)** में प्रस्तुत करेंगी।

इस मास्टर परिपत्र से यह अर्थ नहीं निकाला जाएगा कि किसी कार्यकलाप को प्राधिकृत किया गया है, जिसे अन्य प्रकार से किसी कानून के द्वारा निषिद्ध किया गया हो।

15. एफआरबीएस द्वारा भारत में अतिरिक्त कार्यालय खोलना (डीटीए)

- (क) भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ (एफआरबीएस) अपनी आवश्यकताओं के अनुसार भारत में अतिरिक्त कार्यालय अपनी आवेदक (मूल) संस्था की अनुमति से खोल सकती हैं।
- (ख) एफआरबीएस के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक व्यवसाय योजना होगी, जो बोर्ड या कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित की जाएगी और इसमें भारत (देशी प्रशुल्क क्षेत्र – डीटीए) में एफआरबी के सभी कार्यालय शामिल किये जाएँगे।

- (ग) एफआरबी सुनिश्चित करेंगी कि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में भारत शाखा परिचालनों के कोई भी मुख्य कार्यकलाप भारत में मुख्य शाखा कार्यालय को छोड़कर किसी भी अन्य कार्यालय के द्वारा नहीं किये जाएंगे।
- (घ) एफआरबी का बोर्ड या कार्यकारी समिति अतिरिक्त कार्यालयों में परिचालनों और कार्यकलापों की निगरानी करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त नियंत्रण और रिपोर्टिंग की व्यवस्थाएँ लागू करेगी। अतिरिक्त कार्यालयों के सभी कार्यों के लिए बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति उत्तरदायी होगी।
- (ङ) व्यवसाय के स्थान खोलने/बंद करने या नये स्थान पर रखने की रिपोर्टिंग और प्रकटीकरण:

एफआरबीएस अपना कोई भी कार्यालय खोलने, बंद करने या नये स्थान पर रखने की सूचना प्राधिकरण को कम से कम 30 दिन पहले देंगी। एफआरबीएस भारत में परिचालित अपने सभी कार्यालयों तथा प्रत्येक कार्यालय में किये जानेवाले कार्यों/गतिविधियों का विवरण प्राधिकरण को प्रस्तुत किये जानेवाले अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रकट करेंगी।

16. संक्रमण संबंधी उपबंध

- (1) **सामान्य:** यह मास्टर परिपत्र सभी व्यवस्थाओं और संविदाओं पर कार्यान्वयन की प्रभावी की गई तारीख से लागू होगा। तथापि, सभी वर्तमान व्यवस्थाओं के लिए, एफआरबीएस इस परिपत्र की तारीख से 180 दिन के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

(2) बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियाँ:

बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली विवरणियों के फार्मेट विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी एक अलग मास्टर परिपत्र के द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

परिपत्रों अर्थात् संदर्भ: आईआरडीएआई/रीइन्स/सीआईआर/आरटी/1/1/2023 दिनांक 3 जनवरी, 2023 और संदर्भ: आईआरडीएआई/आरआई/सीआईआर/विविध/011/01/2019 दिनांक 15 जनवरी, 2019 के सभी उपबंधों का लागू होना, विवरणियों के प्रस्तुतीकरण संबंधी मास्टर परिपत्र के जारी किये जाने तक लगातार जारी रहेगा।

- (3) **भारत में लायड्स के व्यवसायसंघ और सेवा कंपनी के पंजीकरण प्रमाणपत्र की विधिमान्यता:** आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 10 को ध्यान में रखते हुए लायड्स इंडिया के व्यवसायसंघ और सेवा कंपनी का पंजीकरण तब तक विधिमान्य होगा जब तक उसका अभ्यर्पण नहीं किया जाता या उसे निरस्त नहीं किया जाता। इस मास्टर परिपत्र के कार्यान्वयन की तारीख को विद्यमान ऐसी संस्थाओं के लिए यह अपेक्षित नहीं होगा कि वे अपने पंजीकरण के नवीकरण के लिए प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करें।

- (4) किसी एफआरबी का कोई भी सीईओ जो इस मास्टर परिपत्र की तारीख को या उससे पहले 70 वर्ष की आयु का हो चुका है, इस परिपत्र की तारीख से 180 दिन की अवधि के अंदर अपना पद खाली करेगा।

(5) बाह्यस्रोतीकरण नीति और उसका कार्यान्वयन:

आईआरडीएआई (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लायड्स इंडिया का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2024 के विनियम 30(5) के अनुसार, विदेशी पुनर्बीमाकर्ता की कोई भी शाखा जो वर्तमान में एक वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल परिचालन व्ययों के 20% से अधिक मूल्य के अनुमत मुख्येतर कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण कर रही है, इस परिपत्र के प्रभावी होने की तारीख से 180 दिन के अंदर अनुपालन सुनिश्चित करेगी।

अध्याय III का परिशिष्ट

फार्म ओएस-1

बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलापों की रिपोर्टिंग

एफआरबी का नाम:

आईआरडीएआई पंजीकरण संख्या:

रिपोर्टिंग की अवधि (वित्तीय वर्ष):

परिचालन व्ययों और बाह्यस्रोतीकरण व्यवस्थाओं का विवरण:

क्र म सं.	सकल प्रीमियम (करोड़ रु.)	कुल परिचालन व्यय (करोड़ रु.)	सकल प्रीमियम की तुलना में परिचालन व्यय अनुपात (%)	बाह्यस्रोतीकर ण व्ययों की राशि (करोड़ रु.)	कुल परिचालन व्ययों की तुलना में बाह्यस्रोतीकरण व्यय (%)
	(क)	(ख)	(ग) = [(ख)/(क)*100]	(घ)	(ङ) =[(घ)/(ग)]*100]

एफआरबी की समूह संस्थाओं को बाह्यस्रोतीकरण का विवरण:

क्रम सं.	संस्था का प्रकार (सहयोगी/ सहायक/धारिता/ समूह, आदि.)	बाह्यस्रोतीकृत कार्यकलापों का स्वरूप	भारत के अंदर/ भारत के बाहर	कुल परिचालन व्ययों की तुलना में बाह्यस्रोतीकरण व्यय (%)

मुख्य अनुपालन अधिकारी

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

दिनांक:

(मुहर)

भाग II
अध्याय I

सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को फाइल संदर्भ संख्याओं (एफआरएन) के निर्गम के लिए निदेश

17. सीबीआर पोर्टल पर आवेदनों की फाइलिंग

(1) इन निदेशों का लक्ष्य सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के संबंध में विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाना है। सभी बीमाकर्ता सुनिश्चित करेंगे कि सीबीआरएस आईआरडीआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ रेटिंग की अपेक्षाएँ पूरी करेंगे तथा उनके पास किसी व्यवसाय का स्थानन करने से पहले एक विधिमान्य फाइल संदर्भ संख्या (एफआरएन) से युक्त होंगे। ऐसी एफआरएन प्राधिकरण द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जारी की जाती हैं।

(2) सीबीआरएस को एफआरएन के निर्गम के लिए प्रक्रिया

(क) नई एफआरएन के लिए आवेदन

- (i) सीबीआरएस जो वर्तमान विनियमों के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं, 'पात्र सीबीआरएस' के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी। सीबीआरएस जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करतीं, 'अ-पात्र सीबीआरएस' के रूप में मानी जाएँगी।
- (ii) बीमाकर्ता जो सीबीआरएस के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करना चाहते हैं, 'पात्र सीबीआर' या 'अ-पात्र सीबीआर', जैसी स्थिति हो, की श्रेणी के अंतर्गत सीबीआरएस को एफआरएन के आबंटन के लिए फार्म सीबीआर-1 में यथाविनिर्दिष्ट फार्मेट में सीबीआर पोर्टल (<https://cbr.irdai.gov.in>) में प्राधिकरण के पास एक आनलाइन आवेदन फाइल करेंगे।
- (iii) प्राधिकरण सीबीआरएस को एफआरएन जारी करते समय ऐसे आवेदन के प्रसंस्करण के लिए, यदि आवश्यक हो तो, कोई भी अन्य अपेक्षाएँ निर्दिष्ट कर सकता है। बीमाकर्ता के द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने के बाद, प्राधिकरण सीबीआरएस को प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई एफआरएन जारी करेगा।
- (iv) सीबीआरएस को एफआरएन के निर्गम के लिए आवेदन की फाइलिंग वर्तमान विनियमों के अनुसार बीमाकर्ता के पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुरूप होगी।

(ख) एफआरएन के नवीकरण के लिए आवेदन:

सभी पात्रता मानदंड पूरे करनेवाले सीबीआरएस को एफआरएन अध्यापक बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन के आधार पर उक्त पोर्टल पर स्वचालित पद्धति में जारी की जाएगी। सीबीआरएस, जो स्वतः-नवीकरण के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं हैं, को एफआरएन प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सामान्य पद्धति में जारी की जाएगी। विस्तृत प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(ग) एफआरएन के स्वतः-नवीकरण के लिए प्रक्रिया:

(i) सीबीआर के स्वतः-नवीकरण के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे-

1. सीबीआर की क्रेडिट रेटिंग 'स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स' के ए- या उसके समकक्ष से कम नहीं होगी। सीबीआर की नवीनतम क्रेडिट रेटिंग स्वतः-नवीकरण के लिए आवेदन की तारीख से 12 महीने से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।
2. जिस वित्तीय वर्ष के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, उससे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण द्वारा 'पात्र सीबीआर' के अंतर्गत सीबीआर को एफआरएन आबंटित की गई है।
3. आवश्यक और नवीनतम सूचना प्रस्तुत की गई है; तथा
4. ऐसा सीबीआर आईआरडीआई के विनियम 4(1) के अनुसार अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है।
5. 'पात्र सीबीआर' के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए (पुनर्बीमा) विनियम, 2018

(ii) उक्त पोर्टल चालू वित्तीय वर्ष हेतु स्वतः-नवीकरण के लिए उपलब्ध होगा तथा अगले वित्तीय वर्ष हेतु भी अग्रिम रूप से तीन महीने पहले उपलब्ध होगा।

(iii) स्वतः-नवीकरण सुविधा एक सीबीआर के लिए तीन निरंतर वित्तीय वर्षों के लिए उपलब्ध है। तीन वित्तीय वर्षों के बाद, बीमाकर्ता के द्वारा सामान्य नवीकरण आवेदन सीबीआर पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(घ) सीबीआर जो स्वतः-नवीकरण के लिए अर्हता-प्राप्त नहीं है, के लिए एफआरएन के सामान्य नवीकरण हेतु प्रक्रिया:

- (i) स्वतः-नवीकरण प्रक्रिया करते समय, यदि आवेदक बीमाकर्ता देखता है कि सीबीआर ऊपर के (i)(क) के अनुसार अपेक्षाएँ पूरी नहीं करता, तो वह आवेदन नीचे बताई गई प्रक्रिया के अनुसार सामान्य नवीकरण हेतु फाइल करेगा।
- (ii) बीमाकर्ता सीबीआर की एफआरएन के नवीकरण के लिए आवेदन विनिर्दिष्ट फार्मेट में पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेगा।
- (iii) सक्षम प्राधिकारी बीमाकर्ता द्वारा किये गये प्रस्तुतीकरणों की जाँच करने पर सीबीआर को प्रणाली द्वारा उत्पन्न की गई एफआरएन जारी कर सकता है।

(3) सामान्य उपबंध:

- (1) सीबीआरएस को जारी की गई एफआरएन की विधिमान्यता एक वित्तीय वर्ष के लिए होगी।
- (2) कोई भी बीमाकर्ता किसी सीबीआर के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन विधिमान्य एफआरएन के बिना नहीं करेगा।

- (3) एक विशिष्ट सीबीआर को एफआरएन जारी करने के बाद, सभी बीमाकर्ताओं के द्वारा ऐसे सीबीआर के पास पुनर्बीमा व्यवसाय के स्थानन के लिए उसी का उपयोग किया जाएगा।
- (4) बीमाकर्ता सीबीआर (जिसके पास विधिमान्य एफआरएन हो) के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करते समय, स्वयं संतुष्ट होगा तथा यह सुनिश्चित करने के लिए वह एकमात्र तौर पर उत्तरदायी होगा कि उक्त सीबीआर वर्तमान विनियमों के अनुसार पात्रता की शर्तें पूरी करता है।
- (5) अध्यक्ष बीमाकर्ताओं का निदेशक बोर्ड/ कार्यकारी समिति 'अ-पात्र' सीबीआरएस के पास किये गये सभी पुनर्बीमा व्यवसाय स्थाननों पर उपयुक्त निगरानी और नियंत्रण रखेगी।

अध्याय 1 का परिशिष्ट

फार्म सीबीआर-1

सीबीआर के लिए फाइलिंग संदर्भ संख्या के निर्गम के लिए आवेदन

इस आवेदन पर सीबीआर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता और बीमाकर्ता के मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

1.	आवेदन किस वित्तीय वर्ष के लिए एफआरएन के आबंटन के लिए है	(उदा. 2023-24 और 2024-25)
2.	सीबीआर का प्रकार	समूह/संघ/निगम/कंपनी/व्यवसायसंघ/ अन्य विनिर्दिष्ट करें
3.	पात्र सीबीआर या अ-पात्र सीबीआर के लिए एफआरएन के आबंटन के लिए आवेदन	पात्र सीबीआर या अ-पात्र सीबीआर
4.	आवेदक भारतीय बीमाकर्ता का नाम	
ब्योरा		विवरण
5.	क. सामान्य सूचना	
6.	सीबीआर का नाम (पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार)	
7.	सीबीआर के संस्थापन का स्थान	
8.	सीबीआर के संस्थापन की तारीख	(दिन/माह/वर्ष)
9.	सीबीआर के पंजीकृत कार्यालय का पता	
10.	पर्यवेक्षी प्राधिकारी का नाम और पता जिसके पास सीबीआर पंजीकृत है	
11.	स्वदेश के विनियमनकर्ता के पास सीबीआर के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) की विधिमान्यता (प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	(दिन/माह/वर्ष) तक विधिमान्य
12.	स्वदेश/अधिकारक्षेत्र विनियमनकर्ता या पर्यवेक्षी प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार सीबीआर को किस प्रकार का लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है	प्रत्यक्ष जीवन बीमा, प्रत्यक्ष साधारण बीमा, सम्मिश्र प्रत्यक्ष बीमा (अर्थात् जीवन और साधारण दोनों) या पुनर्बीमा व्यवसाय (जीवन और साधारण)

13.	क्या स्वदेश/अधिकारक्षेत्र विनियमनकर्ता या पर्यवेक्षी प्राधिकारी ने सीबीआर को विदेशी अधिकारक्षेत्र से पुनर्बीमा व्यवसाय के लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किया है	हाँ / नहीं
14.	एफआरएन के आबंटन के लिए आवेदन करने वाले सीबीआर के कार्यालय का स्थान	
15.	आवेदक सीबीआर के लिए कर-आवास का देश	
16.	सीबीआर के अंतिम मूल/धारक कंपनी का पूरा नाम (पूरा नाम पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार दिया जाए)	
17.	सीबीआर के अंतिम मूल/धारक कंपनी का स्वदेश/अधिकारक्षेत्र	
18.	आवेदक सीबीआर की स्थिति	मूल कंपनी/सहायक/सहयोगी और संबद्ध/अन्य विनिर्दिष्ट करें
19.	लायड्स का व्यवसायसंघ (सिंडिकेट)	
ख. सीबीआर की आवश्यक सूचना देने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का विवरण		
20.	नाम	
21.	पदनाम	
22.	व्यवसाय का फोन नंबर	
23.	पता	
24.	ई-मेल आईडी	
ग. सीबीआर द्वारा प्रीमियम की प्राप्ति पर पुष्टीकरण देने के लिए जिम्मेदार विभाग व्यक्ति का विवरण		
25.	नाम	
26.	पदनाम	
27.	व्यवसाय का फोन नंबर	
28.	पता	
29.	ई-मेल आईडी	
घ. सीबीआर की वित्तीय स्थिति		
30.	पूँजी का विवरण (आवेदन की तारीख से 6 महीने से अधिक पुराना न हो)	

31.	प्रदत्त पूँजी की राशि (समूह/संघ/निगम/अन्य, की स्थिति में संस्था के पास उपलब्ध मूल (कार्पस) निधि)/(व्यवसायसंघ की स्थिति में व्यवसायसंघ आबंटित क्षमता)			भारतीय रु. में _____
32.	निर्बंध आरक्षित निधियाँ			भारतीय रु. में _____
33.	मुद्रा का नाम जिसमें पुनर्बीमा व्यवसाय किया जाएगा			परिवर्तन _____ से भारतीय रु. में
34.	शेयर प्रीमियम खाता			भारतीय रु.में _____
35.	निवल स्वाधिकृत निधियाँ			भारतीय रु.में _____
36.	सीबीआर के वित्तीय विवरणों का वित्तीय वर्ष			वि.व. प्रविष्ट करें (उदा.1 अप्रैल से 31 मार्च)
37.	पिछले 3 वर्षों के लिए स्वदेश/अधिकार-क्षेत्र विनियमनकर्ता के अनुसार शोधन- क्षमता अनुपात	विनियामक अपेक्षा	सीबीआर का वास्तविक शोधन-क्षमता मार्जिन	
38.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष			लेखा-परीक्षित/ अलेखापरीक्षित
39.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1			लेखा-परीक्षित
40.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2			लेखा-परीक्षित
41.	वित्तीय वर्ष	उपगत दावा अनुपात (आईसीआर)	संयुक्त अनुपात	
42.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष			लेखा-परीक्षित/ अलेखा-परीक्षित
43.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1			लेखा-परीक्षित
44.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2			लेखा-परीक्षित
45.	आईआरडीएआई पोर्टल के अनुसार पिछली सीबीआर एफआरएन का विवरण (यदि कोई हो)	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2
46.	सीबीआर एफआरएन सं.			

47.	एफआरएन की अनुमोदित पद्धति (स्वतः/सामान्य/नई)				
48.	भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा सीबीआर के पास स्थानन किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय का विवरण	स्थानन किये गये पुनर्बीमा व्यवसाय की राशि (भारतीय रुपये करोड़ में)			
49.	वित्तीय वर्ष	विकल्पी	समझौता		
			आनुपातिक	गैर- आनुपातिक	
50.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष				व्यवसाय की व्यवस्थाएँ जिनमें सीबीआर ने भाग लिया
51.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1				
52.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2				
53.	भारतीय बीमाकर्ताओं को सीबीआर द्वारा अदा किये गये पुनर्बीमा दावों का विवरण	राशि (भारतीय रुपये करोड़ में)			
54.	वित्तीय वर्ष	विकल्पी	समझौता		
			आनुपातिक	गैर- आनुपातिक	
55.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष				अध्यर्पक बीमाकर्ताओं के नामों की सूची
56.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1				
57.	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2				
58.	कालावधि के साथ भारतीय बीमाकर्ताओं के लिए बकाया दावों का विवरण	राशि (करोड़ भारतीय रुपये)			
59.	कालावधि का विवरण				
60.	90 दिन तक				
61.	91-180 दिन				
62.	181 दिन और उससे अधिक				
63.	कुल				

64.	भारतीय बीमाकर्ताओं का(के) नाम जिनके लिए सीबीआर पिछले वि.व. के लिए पुनर्बीमा व्यवसाय में सहभागिता कर रहा है	भारतीय बीमाकर्ताओं के नाम		
65.	आवेदक सीबीआर से पुनर्बीमा प्रीमियम रसीद का पुष्टीकरण	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2
66.	आवेदक सीबीआर ने सभी भारतीय बीमाकर्ताओं को प्रीमियम पुष्टीकरण रसीदें प्रस्तुत की हैं	हाँ / नहीं	हाँ / नहीं	हाँ / नहीं
67.	सीबीआर के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत् प्रमाणित फाइल/ई-मेल संलग्न करें			
68.	यदि 'नहीं', तो सीबीआर के विधिवत् प्रमाणित प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के साथ इसके लिए कारण प्रस्तुत करें			
ड. अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से प्राप्त क्रेडिट रेटिंग				
70.		तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-1	तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष-2
71.	रेटिंग एजेंसी का नाम			
72.	रेटिंग की तारीख			
73.	क्रेडिट रेटिंग			
74.	क्या सीबीआर ने पिछले तीन वर्षों की अवधि में जिसकी गणना उस वर्ष से पूर्ववर्ती वर्ष से की जाएगी, जिस वर्ष के लिए व्यवसाय का स्थानन किया जाना है, कम से कम बीबीबी (स्टैंडर्ड एण्ड पूअर से) या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से उसकी समकक्ष रेटिंग प्राप्त की है? यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के लिए क्रेडिट रेटिंगों की प्रस्तुति करें		(हाँ / नहीं)	

75.	क्या सीबीआर स्वदेश के विनियमनकर्ता /क्षेत्राधिकार द्वारा निर्धारित शोधन-क्षमता मार्जिन/पूँजी पर्याप्तता का अनुपालन करता है		(हाँ / नहीं)	
76.	क्या अधिवास के देश ने भारत सरकार के साथ एक दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हैं		(हाँ / नहीं)	
77.	घोषणा व वचनपत्र: मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि इस आवेदन फार्म में प्रस्तुत सूचना मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही और वास्तविक है।			
78.	स्थान:	मुहर	हस्ताक्षर:	
79.	दिनांक:		नाम:	
80.	ई-मेल आईडी:		पदनाम:	
81.	संपर्क की संख्या:		[सीबीआर का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता]	
82.	उस व्यवसाय योजना (एलओबी-वार) का विवरण जिसके लिए अध्वर्पक सीबीआर का अनुसरण करना चाहता है			
83.	इस आवेदन की फाइलिंग आईआरडीए -आई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 5(2)(ख) के अनुपालन में है	(हाँ / नहीं)		
84.	यदि नहीं, तो बीमाकर्ता को इस विषय में स्पष्टीकरण देना चाहिए	मुक्त पाठ (फ्री टेक्स्ट)		
85.	आवेदन अ-पात्र सीबीआर के लिए होने की स्थिति में दस्तावेजी अपेक्षाएँ निम्नलिखित हैं			
86.	संदर्भित सीबीआर के पास पुनर्बीमा स्थानन करना क्यों चाहते हैं, इसका औचित्य-स्थापन करते हुए, अध्वर्पक बीमाकर्ता की विशिष्ट सिफारिश की हस्ताक्षरित प्रति। ऐसी सिफारिश आवश्यक रूप से अध्वर्पक बीमाकर्ता के पुनर्बीमा	मुक्त पाठ (फ्री टेक्स्ट)		

	विभाग के प्रमुख के द्वारा की जाएगी।			
87.	भारतीय बीमाकर्ता (पुनर्बीमाकर्ता) के मुख्य अनुपालन अधिकारी द्वारा घोषणा व वचनपत्र			
	i. मैं/हम सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि सीबीआर की अपेक्षित समुचित सावधानी बरती गई है तथा ii. संबंधित दस्तावेजों की संवीक्षा सावधानीपूर्वक की गई है। iii. मैं/हम प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में सीबीआरएस के लिए पात्रता मानदंडों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करता हूँ/करती हूँ/करते हैं। iv. मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि ऊपर प्रस्तुत की गई सारी सूचना मेरी/हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है। v. मैं/हम समझता हूँ/समझती हूँ/समझते हैं कि यह आवेदन प्रस्तुत करने के बाद यदि किसी भी समय यह प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत की गई सूचना गलत या असत्य है, तो मैं/हम वर्तमान अधिनियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के उपबंधों के अधीन उपयुक्त कार्रवाई के लिए बाध्य होऊँगा/होऊँगी/होंगे। vi. मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम प्राधिकरण को तत्काल सूचित करूँगा/करूँगी/करेंगे यदि सीबीआर की रेटिंग का ग्रेड कम किया जाता है या सीबीआर/स्वदेश/अधिकार-क्षेत्र में उसकी मूल कंपनी के विरुद्ध कोई विनियामक कार्रवाई, दंड या अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।			
88.	स्थान:	मुहर	हस्ताक्षर:	
89.	दिनांक:		नाम:	
90.	संपर्क की संख्या:		पदनाम:	मुख्य अनुपालन अधिकारी
91.	ई-मेल आईडी:			

अनुपालन का प्रमाणपत्र

बीमाकर्ता का नाम:

वित्तीय वर्ष:

प्रमाणित किया जाता है कि सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को वित्तीय वर्ष _____ के लिए हमारी कंपनी के सभी पुनर्बीमा स्थानन रखे गये हैं,

1. वर्तमान विनियमों / दिशानिर्देशों / परिपत्रों आदि में निर्धारित रूप में सभी पात्रता शर्तों का अनुपालन करते हुए,
2. प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार एक विधिमान्य फाइलिंग संदर्भ संख्या (एफआरएन) धारित करते हुए,
3. प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से अनुमोदित रूप में।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के पास किये गये सभी स्थानन हमारी कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये हैं।

स्थान:

मुहर

हस्ताक्षर

नाम:

दिनांक:

पदनाम: मुख्य अनुपालन अधिकारी

अध्याय II – पुनर्बीमा कार्यक्रम

18. सभी बीमाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम

- (1) आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 3(3)(क)(ख) के अनुसार, प्रत्येक बीमाकर्ता के द्वारा एक अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम एक विनिर्दिष्ट सारांश फार्मेट में प्राधिकरण को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से कम से कम 45 दिन पहले प्रस्तुत किया जाएगा।
- (2) बीमाकर्ताओं के द्वारा सारांश अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण के लिए फार्मेट साधारण बीमाकर्ताओं के लिए (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, एफआरबीएस और छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं सहित) **अनुबंध ख** के रूप में तथा जीवन बीमाकर्ताओं और एफआरबीएस के लिए **अनुबंध ग** के रूप में संलग्न हैं।
- (3) बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे विनिर्दिष्ट फार्मेट में सूचना प्रस्तुत करते समय **अनुबंध क** में दिये गये अनुदेशों का अनुसरण करें।
- (4) प्रत्येक बीमाकर्ता का बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि इस मास्टर परिपत्र में विनिर्दिष्ट फार्मेट में उक्त अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राधिकरण को विनियमों में उल्लिखित रूप में निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (क) छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं के मामले में, यदि कोई बोर्ड/सीईओ/सीएफओ नहीं है, तो प्राधिकृत व्यक्ति विनिर्दिष्ट सारांश फार्मेटों में अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करेगा(करेंगे)।
- (5) बीमाकर्ता फार्मेट **अनुबंध घ** में, सीईओ और सीएफओ द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित रूप में उक्त सारांश पुनर्बीमा कार्यक्रम में सूचना की पुष्टि करते हुए एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।
- (6) आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 3(3)(क)(ग) के अनुसार, सभी बीमाकर्ताओं द्वारा अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से 45 दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसा अंतिम कार्यक्रम प्राधिकरण को प्रस्तुत करने से पहले बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। बीमाकर्ता अंतिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के साथ फार्मेट **अनुबंध ख** और **अनुबंध ग** में सूचना प्रस्तुत करेंगे।

अध्याय II का परिशिष्ट – पुनर्बीमा कार्यक्रम

अनुबंध-क

पुनर्बीमाकर्ताओं/बीमाकर्ताओं द्वारा अग्रिम (सारांश) पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण के लिए अनुदेश

1. पृष्ठभूमि

अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरण को सरल बनाने के लिए प्राधिकरण ने आगामी वर्ष के लिए पुनर्बीमा कार्यक्रम का एक “सारांश फार्मेट” निर्धारित किया है।

उक्त सारांश फार्मेट डेटा के मानकीकरण, सहीपन और उचित रिपोर्टिंग को सुनिश्चित करेंगे तथा ये दोनों रिपोर्ट करनेवाली संस्थाओं के लिए एवं प्राधिकरण के लिए विश्लेषण और निर्णयन के प्रयोजनों के लिए उपयोगी होंगे।

2. रिपोर्ट करनेवाली संस्थाएँ

- क. जीवन, गैर-जीवन, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित।
- ख. भारतीय पुनर्बीमाकर्ता
- ग. एफआरबीएस और लायड्स इंडिया
- घ. छूट-प्राप्त बीमाकर्ता

3. सामान्य दिशानिर्देश:

- क. जैसा कि नीचे क्रम सं. 5 में उल्लेख किया गया है, फार्म 1 से 4, फार्म 6 और 8 ऊपर क्रम सं. 2 पर विनिर्दिष्ट सभी रिपोर्टिंग संस्थाओं के द्वारा प्रस्तुत किये जाने चाहिए। फार्म 5 और 7(7.1, 7.2, 7.3) विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित जीवन, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के द्वारा प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- ख. संपूर्णता: बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि-
 - सभी क्षेत्र (फील्ड) भर दें।
 - सुनिश्चित करें कि प्रत्येक श्रेणी और उप-श्रेणी के लिए डेटा प्रस्तुत किया जाए।
- ग. सहीपन: बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि –
 - फार्मों में प्रस्तुत किये गये डेटा के सहीपन का सत्यापन करें।
 - सुनिश्चित करें कि फार्म 1 से 5 तथा फार्म 7 और 8 में डेटा अनिवार्यतः करोड़ भारतीय रुपयों में हो।
 - अंतिम प्रस्तुतीकरण से पहले संख्यात्मक मूल्यों और परिकलनों की प्रति-जाँच (क्रास-चेकिंग) करें।

घ. सकल अंकित प्रीमियम प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं के लिए सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम और पुनर्बीमा आवक प्रीमियम का कुल जोड़ होगा। पुनर्बीमाकर्ता सकल पुनर्बीमा आवक प्रीमियम सूचित करेंगे।

4. अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम फार्म:

क. फार्म 1: अध्यक्षित पुनर्बीमा प्रीमियम – संस्था-वार

डेटा निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा:

- I. पिछले वर्ष, चालू वर्ष (अनुमानित), और आगामी वर्ष (पूर्वानुमानित) के लिए
- II. समझौता (आनुपातिक), समझौता (गैर-आनुपातिक) और विकल्पी, फार्मेटों में विनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत किये जाने होंगे।
- III. जोखिम एक्सपोजर के लिए, अध्यक्षित कुल प्रीमियम और अध्यक्षित कुल जोखिम एक्सपोजर के लिए मूल्य प्रस्तुत करने होंगे।

ख. फार्म 2.1, 2.2: प्रीमियम का वितरण एलओबी वार (भारत के अंदर, भारत के बाहर)

डेटा व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था (एलओबी) के लिए प्रस्तुत करनी होगी। निवल प्रतिधारण अनुपात (चालू बनाम आगामी वर्ष) में यदि कोई परिवर्तन हों तो इसके लिए कारणों का उल्लेख करें।

ग. फार्म 3: देशी आवक पुनर्बीमा प्रीमियम

डेटा के विश्लेषित विवरण में पुनर्बीमा आवक प्रीमियम (स्वीकृत) और प्रीमियम की वापस (रेट्रोसेशन) की गई राशियाँ शामिल होंगी।

घ. फार्म 4: विदेशी आवक पुनर्बीमा प्रीमियम

- I. डेटा के विश्लेषित विवरण में पुनर्बीमा आवक प्रीमियम (स्वीकृत) और प्रीमियम की वापस (रेट्रोसेशन) की गई राशियाँ शामिल होंगी।
- II. अधिकार-क्षेत्र/इलाका भौगोलिक क्षेत्र या विधिक अधिकार-क्षेत्र या देश का नाम निर्दिष्ट करता है, जहाँ पुनर्बीमा जोखिम/लेनदेन प्रस्तावित हैं।

ङ. फार्म 5: अंतर-कंपनी पुनर्बीमा व्यवस्थाएँ

खंड विश्लेषण

- I. व्यवसाय की प्रत्येक व्यवस्था के लिए विवरण प्रस्तुत किया जाए।
- II. स्वीकृत सकल प्रीमियम और वापस (रेट्रोसेशन) किया गया प्रीमियम प्रस्तुत किया जाए।

च. फार्म 6: सीएटी माडलिंग के अनुसार कवर का विवरण

- I. सीएटी माडलिंग विवरण।
 - माडलिंग का आधार।

- यह सीएटी माडलिंग के लिए प्रयुक्त कार्यपद्धति या ढाँचे को निरूपित करता है। इसमें आपाती घटनाओं के प्रभाव का आकलन करने के लिए प्रयुक्त गणितीय माडलों, एल्गोरिथ्मों या सांख्यिकीय पद्धतियों का विवरण शामिल हो सकता है।
- संकट(संकटों) का नाम:
 - उन आपाती घटनाओं या संकटों के प्रकारों को विनिर्दिष्ट करें जिनका माडलिंग किया जा रहा है। उदाहरणों में भूकंप, बाढ़, तूफ़ान, आदि शामिल हैं।
 - बहुविध आपाती घटनाओं या संकटों के लिए पंक्ति(याँ) जोड़ें।
- वापसी अवधि:
 - यह किसी आपाती घटना के विशिष्ट परिमाण की घटनाओं के बीच वर्षों की औसत संख्या को निरूपित करती है। यह ऐसी घटनाओं के आवर्तन को समझने में सहायता करती है।
- माडलिंग उत्पादन अनुमान:
 - यह सीएटी माडलिंग द्वारा उत्पन्न किये गये परिणामों या भविष्यवाणियों को निरूपित करता है। यह संभावित हानियों, क्षति या अन्य संगत परिणामों के अनुमानों को सम्मिलित कर सकता है।
- माडलिंग एजेंसी:
 - सीएटी माडलिंग संचालित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी या संस्था की पहचान करें। यह आपाती जोखिम निर्धारण में विशेषज्ञता से युक्त एक बाह्य माडलिंग हो सकता है।
- प्रतिधारण सीमा:
 - यह जोखिम के उस अधिकतम परिमाण को निरूपित करता है जो प्राथमिक बीमाकर्ता (अध्यर्पक कंपनी) पुनर्बीमा कवरेज की अपेक्षा करने से पहले प्रतिधारण करना चाहता है। यह जोखिम के उस अंश को निरूपित करती है जो कंपनी स्वयं को बीमित करना चाहती है।
- पुनर्बीमाकृत सीमा:
 - यह जोखिम के उस अधिकतम परिमाण को निरूपित करती है जो बीमाकर्ता एक पुनर्बीमा व्यवस्था के द्वारा पुनर्बीमाकर्ता को अंतरित करने का प्रस्ताव करता है। यह जोखिम के उस परिमाण को निरूपित करती है जो पुनर्बीमाकर्ता को अधर्पित किया जाता है।
- टिप्पणी:
 - इस खंड में कोई अतिरिक्त टिप्पणियाँ, नोट, या सीएटी माडलिंग के विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण शामिल हो सकते हैं, जैसे किये गये पूर्वानुमान, विशेष विचार, या कोई अन्य संगत सूचना।

छ. फार्म 7 (7.1, 7.2, और 7.3): पुनर्बीमा लागत का विवरण

पुनर्बीमा लागत विवरण:

- डेटा पिछले वर्ष, चालू वर्ष (अनुमानित), और आगामी वर्ष (पूर्वानुमानित) के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- डेटा प्रत्येक खंड के लिए विकल्पी, समझौता (आनुपातिक) और समझौता (गैर-आनुपातिक) व्यवस्थाओं के लिए फार्म 2 में विनिर्दिष्ट रूप में प्रस्तुत करना होगा।
- बीमाकर्ता विनिर्दिष्ट विवरण दोनों परिमाण और प्रतिशत में प्रस्तुत करेंगे।

ज. फार्म 8: सीबीआर के पास पुनर्बीमा अध्यापण

- I. पुनर्बीमाकर्ता का नाम: सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआर) का पूरा नाम प्रविष्ट करें। सकेताक्षरों या प्रथमाक्षरों से बचें।
- II. क्रेडिट रेटिंग: किसी मान्यताप्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (उदा. ए.एम. बेस्ट, एसएण्डपी, मूडीज़, फिच) द्वारा सीबीआर को दी गई नवीनतम क्रेडिट रेटिंग प्रस्तुत करें।
- III. वर्ष के लिए अनुमानित/पूर्वानुमानित अध्यापण: आगामी वर्ष के लिए संबंधित सीबीआर को पुनर्बीमा अध्यापण के अनुमानित या पूर्वानुमानित प्रतिशत को प्रविष्ट करें।

अनुबंध- ख – साधारण, स्वास्थ्य, छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं तथा एफआरबीएस और लायड्स इंडिया के लिए अग्रिम (सारांश) पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरणों के लिए फार्मेट

Annexure B.xlsx



Annexure B.xlsx

अनुबंध- ग – जीवन बीमाकर्ताओं के लिए अग्रिम (सारांश) पुनर्बीमा कार्यक्रम के प्रस्तुतीकरणों के लिए फार्मेट

Annexure C.xlsx



Annexure C.xlsx

अनुबंध-घ

अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम के लिए प्रमाणपत्र

बीमाकर्ता का नाम:

वित्तीय वर्ष:

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 का अनुपालन करते हुए अग्रिम पुनर्बीमा सारांश फार्मेट में प्रस्तुत की गई सूचना का सत्यापन किया गया है और यह सूचना सही है।

स्थान:

मुहर

दिनांक:

हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर:

नाम:

नाम:

पदनाम: मुख्य वित्तीय अधिकारी

पदनाम: मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करने के लिए संपार्श्विक अपेक्षाएँ

1. पृष्ठभूमि:

भारतीय पुनर्बीमाकर्ता और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं (एफआरबीएस) की शाखाएँ प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं को आवश्यक क्षमता और तकनीकी समर्थन दे रहे हैं तथा इसके साथ ही, उनकी वृद्धि के प्रक्षेप-पथ में उनकी सहायता कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, सीमापार पुनर्बीमाकर्ता (सीबीआरएस) भारत से विपुल मात्रा में प्रीमियमों की राशि प्राप्त कर रहे हैं तथा भारतीय पुनर्बीमा बाजार में उनका अंश बढ़ रहा है। विनियामक ढाँचे में अनेक सुधारों के प्रवर्तित होने के साथ ही, भारत में बीमा क्षेत्र अब आनेवाले वर्षों में अत्यधिक वृद्धि करने के लिए तैयार है। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि भारतीय अधर्पकों के हितों का वलयरोधन किया जाए जिससे भारत में पालिसीधारकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उनकी क्षमता को बनाये रखा जा सके और साथ ही, उनकी वृद्धि के प्रक्षेप-पथ में उनकी प्रगति जारी रखी जा सके। भारतीय बीमा क्षेत्र की आघात-सहनीयता को मजबूत करने और इसमें आगे और सुधार लाने तथा भावी वृद्धि के लिए इसे तैयार करने के लिए प्राधिकरण आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018 के विनियम 12(2)(क) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अधीन निम्नलिखित शर्तें जारी करता है।

2. भारतीय अधर्पकों से व्यवसाय स्वीकार करनेवाले सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं से अपेक्षित होगा कि वे इस परिपत्र में निहित उपबंधों के अनुसार संपार्श्विक उपलब्ध कराएँ। सीबीआरएस के पास पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थानन करनेवाला अधर्पक नीचे निर्दिष्ट किये गये रूप में ऐसे स्थानन(नों) के लिए संपार्श्विक प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा—

क. उक्त संपार्श्विक सीबीआर से अप्रतिसंहरणीय साख-पत्र (एलसी) के रूप में होगा अथवा अधर्पक बीमाकर्ता द्वारा रोक रखे गये प्रीमियम/निधियों के रूप में होगा।

ख. एलसी के मामले में;

- i. एलसी गिफ्ट-आईएफएससी में किसी आईएफएससी बैंकिंग यूनिट के माध्यम से अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित किसी अनुसूचित वाणिज्य बैंक द्वारा जारी किया जाएगा।
- ii. अधर्पक ऐसे एलसी का चयन भारतीय रुपयों में अथवा आसानी से परिवर्तनीय किसी विदेशी मुद्रा में कर सकता है।
- iii. एलसी की राशि पुनर्बीमा संविदा के लिए अधर्पक बीमाकर्ता की बकाया दावा देयताओं और आईबीएनआर आरक्षित निधियों के कुल जोड़ की राशि अथवा संबंधित सीबीआर के साथ की गई व्यवस्था के संदर्भ में होगी। संपार्श्विक की राशि निम्नानुसार होगी:

सीबीआर की रेटिंग स्थिति	संपार्श्विक की न्यूनतम राशि (बकाया दावा देयताओं और आईबीएनआर आरक्षित निधियों के कुल जोड़ की राशि)
-------------------------	--

स्टैंडर्ड एण्ड पूअर्स से ए- या उससे अधिक अथवा उसके समतुल्य	75%
ए- से कम	100%

ग. रोक रखे गये प्रीमियमों/निधियों के मामले में :

- i. प्रत्येक सीबीआर से रोक रखे गये प्रीमियमों/निधियों की पहचान की जाएगी, इनका लेखांकन किया जाएगा, बीमाकर्ता की निधियों से इन्हें अलग रखा जाएगा और इनका अलग से निवेश किया जाएगा।
- ii. इस प्रकार रोक रखी गई निधियों पर निवेश आय, यदि कोई हो, ऐसी निधि(यों) में जमा की जाएगी।
- iii. रोक रखे गये प्रीमियम/निधि की न्यूनतम राशि सीबीआर को बीमाकर्ता द्वारा अधर्पित प्रीमियमों का 50% होगी।

3. सामान्य –

- क. यदि अधर्पक संतुष्ट है कि पुनर्बीमा संविदा(ओं) के अंतर्गत संबंधित सीबीआर की देयताएँ समाप्त हो गई हैं, तो अधर्पक उस सीमा तक ऐसे संपार्श्विक निर्मुक्त करेगा।
 - ख. प्रत्येक अधर्पक बीमाकर्ता अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम के आधार पर, इन शर्तों में निर्दिष्ट रूप में संपार्श्विक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
 - ग. अधर्पक बीमाकर्ता को इस बात की अनुमति नहीं होगी कि वह अपने द्वारा धारित संपार्श्विकों का उपयोग उपलब्ध शोधन-क्षमता मार्जिन का निर्धारण करने के प्रयोजन के लिए करे।
 - घ. निम्नलिखित पुनर्बीमा लेनदेन संपार्श्विक अपेक्षाओं के अधीन नहीं होंगे:
 - i. विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा सीबीआरएस को वापस (रेट्रोसेशन) किये गये प्रीमियम;
 - ii. सरकारी योजनाओं, जैसे पीएमएफबीवाई, पीएमजेएवाई, पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई के संबंध में सीबीआरएस को अधर्पित प्रीमियम; तथा
 - iii. यदि बीमाकर्ता द्वारा सीबीआरएस को अधर्पित कुल प्रीमियम एक वित्तीय वर्ष के दौरान 75 करोड़ रुपये तक है, बशर्ते कि उक्त सीबीआरएस को एसएण्डपी से 'ए-' या उससे अधिक या उसके समतुल्य रेटिंग प्राप्त हो।
4. ये उपबंध वित्तीय वर्ष 2025-26 से लेकर आगे पुनर्बीमा कार्यक्रमों हेतु भारत से अधर्पकों के द्वारा सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं (सीबीआरएस) के पास किये गये सभी पुनर्बीमा स्थानों के लिए लागू होंगे।

अनुसूची 1

निम्नलिखित परिपत्र, दिशानिर्देश और निदेश इस मास्टर परिपत्र के निर्गम की तारीख से निरस्त किये जाँगे:

क्रम सं.	परिपत्र/दिशानिर्देश/आदेश और निदेश का नाम	संदर्भ संख्या	निर्गम की तारीख
1.	अग्रिम पुनर्बीमा कार्यक्रम का प्रस्तुतीकरण	आईआरडीएआई/रीइन्स/सीआई आर/आरआईएसएफ/4/1/2024	5 जनवरी, 2024
2.	सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं को फाइल संदर्भ संख्याओं (एफआरएन) के निर्गम संबंधी दिशानिर्देश	आईआरडीएआई/रीइन्स/जीडी-एल/विविध/2/1/2023	3 जनवरी, 2023
3.	व्यवसाय की अग्नि (फायर) और इंजीनियरिंग व्यवस्थाओं को कवर करने- वाले पुनर्बीमा समझौता करार – उन उपबंधों का निषेध जो स्थूल बाजार कीमत प्रशुल्क उत्पन्न करते हैं	आईआरडीएआई/रीइन्स/सीआई-आर/विविध/247/12/2022	19 दिसंबर, 2022
4.	एफआरबीएस/लायड्स इंडिया द्वारा समनुदेशित पंजी का प्रत्यावर्तन	आईआरडीएआई/रीइन्स/सीआई-आर/विविध/224/10/2022	26 अक्टूबर, 2022
5.	एफआरबीएस/लायड्स इंडिया द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण	आईआरडीएआई/रीइन्स/सीआई-आर/विविध/112/6/2022	3 जून, 2022
6.	एक समूह के द्वारा एक से अधिक पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करने पर प्रतिबंध	आईआरडीएआई/एफ&ए/सी-आईआर/विविध/26/2/2022	16 फरवरी, 2022
7.	कारपोरेट अभिशासन दिशानिर्देश	आईआरडीएआई/एफ&ए/जीडीएल/सीजी/100/05/2016	18 मई, 2016

CHAPTER I

Registration of Foreign Reinsurers Branches and Syndicates of Lloyds India

1. As per Regulation 5(3) of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 an applicant whose Requisition for R1 application has been accepted shall submit the application in the specified format as below:

FORM IRDAI/ REINS/ R1

[REGISTRATION APPLICATION FOR BRANCH OF FOREIGN REINSURER]

1. Name of the applicant:
2. Address:
3. Date of incorporation of the applicant: [DD/MM/YYYY]
4. Registration No. (issued by the regulatory Authority of Foreign Country):
5. Line of reinsurance business:
 - i. Life and/or General and/or Health reinsurance business; or
 - ii. any other classes as may be specified by the Authority
6. Amount of authorized capital or its equivalent and amount subscribed:
 - i. In case of Lloyd's India: Amount of authorized capital or its equivalent and amount subscribed
 - ii. In case of FRBs other than Lloyd's India: Amount of authorized capital, face value of shares and amount subscribed
7. Name, Address and contact details of the person(s) responsible for the affairs of branch of Foreign reinsurers:
8. Name, Address and contact details of the Regulatory Authority in its home jurisdiction where the applicant is registered:
9. Net Owned Fund of the applicant as on _____ (not more than twelve months prior to the date of application):
10. Credit rating for the last 3 years from any internationally renowned credit rating agencies.
11. No. of years that the applicant has been active in the foreign reinsurance business:
12. Permission from the home country regulator allowing establishing a branch office in India:
13. Minimum Solvency Margin prescribed by the home regulator:
14. Solvency margin of the applicant:
15. Basis of calculating the solvency margin:
16. Details of Shareholders of the applicant: [Please give full name, address, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held, percentage of holding in the paid up capital of the foreign reinsurer.]

Details of persons holding 1% or more of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given in Table 1. Please attach separate sheets if necessary.

Table1:

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth\ Incorporation	Address with Telephone Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of shares (voting rights) and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr. / Ms.							

Note: In case of Lloyd's, the details of applicant shall be with regard to the Members of the Council of Lloyd's including the Chief Executive Officer.

Table 2:

Details with regard to Members of Lloyd's who wish to participate in Lloyd's India -

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth/ Incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of shares (voting rights) and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr. / Ms.							

Note for Table 1 and 2: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, provide the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for

the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant.

17. Applicant: This section should set out the background information. Following information should be included:

- Particulars of the applicant (e.g. company name, address, names of directors, etc.).
- Nature of business, years in business of the applicant.
- Record of regulatory interventions/restrictive directions (if any) for last five years in respect of the applicant.
- The applicant's reasons for entering the reinsurance market in India.
- Strengths of the applicant (specific experience, expertise, financial strength, market relationships)
- Audited Financial statements for the last five years.
- Ratings by international credit rating agencies for the last three years excluding the year of submitting the application
- The obligations like capital, including working capital support, training and development of resources, risk management, governance and oversight, IT Support, etc. towards the India branch operations undertaken by the applicant.

18. Branch of Foreign Reinsurer Details

Key aspects of branch:

- Name of the Branch Office.
- Branch Office Address:
- Address for Communication (state the name of the Authorized person, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details:
- Chief Executive Officer & other Key Management Personnel and allocation of responsibilities. (Proposed)
- Organizational structure. Reporting relationships.

19. Lloyd's India Details (To be filled in case applicant is Society of Lloyds):

- Lloyd's India Address:
- Address for Communication (state the name of the Authorised person, telephone numbers, fax numbers, mobile number, e-mail address and such other details:
- Chief Executive Officer & CFO and allocation of responsibilities. (Proposed)
- Organizational structure. Reporting relationships.
- Details of Members of Syndicates who delegate authority to Service Companies and Lloyd's India (Table 3): [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the service company, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and

Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital or its equivalent of the applicant shall be given.

Table3:

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth/ Incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of equity (voting rights) shares and percentage of total	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr. / Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, provide the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the applicant.

20. Capital structure

- Amount of Assigned Capital:

21. Details of Directors of the applicant and the persons responsible for overseeing the branch of Foreign Reinsurer; Key persons such as Chief Executive Officer (CEO), Chief Financial Officer (CFO), Chief Underwriting officer and Chief Compliance Officer:

Please furnish the particulars in separate sheets for each individual in the format given below: -

- Name (and any previous names)
- Private and Business Address (including any other private addresses within the last 15 years), current Telephone, and E-mail Addresses:
- Date and Place of Birth
- Nationality (and any previous Nationality)
- Passport / Identity Card:

- Number
- Date and Place of Issue:
- Date of expiry
- Issuing Authority:
- Name and Address of Bank:
 - Account Numbers and Type of Account:
 - Details of any loans or guarantees issued to or on behalf of the company in which the Directors and Key Management Personnel have a management or shareholding interest
- Family Status
- Details and Dates of Academic Qualification:
- Details and Dates of Professional Qualification:
- Description of the prospective position (including responsibilities) and proposed date of commencement:
- Work Experience:
 - Existing and Previous Employers (covering last 15 years)
 - Details of whether the Directors and Key Persons and / or their Employers have been formally supervised or regulated
 - Nature of Employer's Business
 - Designation: (including duties and responsibilities)
 - Date of Appointment
 - Date of Resignation/Departure
 - Details of Other Business interests in the last 15 years where the Directors and Key Management Personnel have been a working shareholder, director or controller.
- Relationship with the Company or related Companies or other third parties: -
 - Details of shareholdings or voting powers in the company, or group Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships with the company or group Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships between the Directors and Key Management Personnel former employers and the company or group Companies or third parties:
- Full details of the Directors and Key Management Personnel reputation and character:
 - whether the applicant has ever been declared bankrupt;
 - any convictions for any offence involving fraud or other dishonesty;
 - any disqualification of the Directors and Key Management Personnel from acting as a director or in the management of any company or organisation;

- whether the Directors and Key Management Personnel have ever been refused (or had revoked) a licence or authorisation to carry on any regulated financial business;
- Any censure or disciplinary action initiated by any government, regulatory or professional body;
- Any dismissals from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the employer of Directors and Key Management Personnel or refusal of entry to any profession or occupation;
- Any litigation in which the Directors and Key Management Personnel have been involved over the last 5 years;
- Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel have been associated as a director, officer, manager or shareholder;
- Whether any company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel were associated as a director, officer, manager, shareholder or controller has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Directors and Key Management Personnel was associated with it or within one year after the Directors and Key Management Personnel so ceased to be associated.

In the Remarks column, please mention whether any director is an agent, broker, any other intermediary, director or employee of any other insurance company (or reinsurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.

22. Financial Projections

A description of the model used for financial projections and assumptions should be provided, (financial projections for a period of 5 years, separately for each year from the commencement of operations). These should set out the following:

- Amount of business.
- Size of support and administrative staff.
- Premium income.
- Investment income.
- Commissions and other sales related expenses.
- Expenses of administration.
- Income tax and other taxes.
- Statutory reserves.
- Required and available solvency margins.
- Profit and loss accounts and balance sheets.

- Capital needs.
- Break-even periods and the Return on Capital.

This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.

23. **Particulars of Previous Application:** Has the applicant ever applied for registration or request for registration in India? If so, give particulars in details (including rejections, if any).
24. **Conclusion:** In conclusion, the applicant should discuss the viability of the operations and summarize its overall objective for setting up operations in India. Any special issues or concerns should also be indicated.

Certification

I/We, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place:

Date:

Signature of the Authorized Person(s) (*with seal*)

2. As per Regulation 5(4) of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 an applicant whose application for registration R1 has been approved, shall make an application in Form IRDAI/Reins/R2 in the specified format as below:

FORM IRDAI/REINS/ R2

APPLICATION FOR REGISTRATION

1. **Geographic Spread:** Give the address of the administrative office and other offices. Please furnish which countries, jurisdictions and territories the branch office of foreign reinsurer will cover.

2. **Market Research and Analysis**

The applicant may have undertaken some form of market analysis to ascertain the market potential. The applicant may furnish full description of the research, along with the conclusions reached.

3. **Types of Reinsurance arrangements to be offered**

The applicant may give detail of the types of reinsurance arrangements that it will offer to the Indian and other markets in order to enable it to become a regional hub.

4. **Underwriting**

This section should describe the approach used for underwriting of proposals, etc. Also state the nature of support to be provided in underwriting and in training of underwriters and upgradation of skills of their local persons by the applicant.

5. **Investments**

The applicant should describe its investment philosophy that will be appropriate for the products it intends to market. Other information should include the investment personnel, location of the investment operations, investment brokers to be used, etc. and norms regarding Investment, Valuation, Exposure – Prudential – Provisioning Norms.

6. **Information Technology (IT)**

Full description should be provided of the following:

- The different areas where IT systems will be employed.
- The degree of interconnectivity of the systems.
- A description of how the IT systems will be used to develop the required Management Information System.

7. Retention Limits and Reinsurance

The nature of reinsurance arrangements should be described fully, giving the following details:

- The basis of reinsurance.
- Terms of reinsurance.
- Manner of reinsurance support from head office.

8. Recruitment and Training- Technical skills

Details of the technical skills of the people who will work in the branch of foreign reinsurer. Different areas may require personnel with different skill sets. Some of the special technical skills would require special focus. The applicant should submit a detailed write-up on its plans to impart technical skills and knowledge locally.

9. Internal Controls

The applicant will need to establish a set of procedures and norms for various activities at the branch in India. The manner in which these will be monitored should be described.

10. Expenses of Administration

The proposed expenses as a per cent of premium for the entire projection period.

Certification

I/ We, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

Place

Date:

Signature of the Authorized Person(s) (with Seal)

3. As per Regulation 6 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, the Authority shall issue Certificate of Registration in the format as below:

IRDAI/REINS/ R3

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. _____

This is to certify that ABC REINSURANCE COMPANY located at _____ has this day been registered in accordance with the provisions of sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to transact the classes of business specified in the Schedule below.

Issued under the seal of the Authority at this _____ day of _____ two thousand and _____

Schedule

Classes of business which may be transacted: --

1. _____

2. _____

Authorized Signatory (with Seal)

4. As per Regulation 17 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, an applicant shall submit an application for issuance of duplicate certificate of registration in the specified format as below:

FORM IRDAI/REINS/R4

**APPLICATION FOR ISSUE OF DUPLICATE CERTIFICATE OF
REGISTRATION**

To
Insurance Regulatory and Development Authority of India.
Hyderabad

We request you to issue a duplicate certificate of registration for which we give below the following details:

1. Name of the branch of Foreign Reinsurer:
2. Registration Number:
3. Date of Certificate of Registration:
4. How original certificate has been lost, destroyed or mutilated?
5. Particulars of remittance of fee.

Place:

Date:

Yours truly,

Signature of the Chief Executive Officer
(Name of the Chief Executive Officer) (With Seal)

Enclosures:

1. Original copy of the resolution of the Board/ Executive Committee for the issue of duplicate certificate.
2. Details of remittance of Fee of Rupees five thousand to the Authority through any recognized electronic mode and the unique reference number for such transaction

5. As per Regulation 11 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, Lloyd's India shall inform the Authority about the Members of Lloyd's who wish to participate in Lloyd's India in the specified format as below:

Form S-1

Details of Members of Lloyd's India

1. Details of Members of Lloyd's India: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the foreign reinsurer, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 1% of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth/ Incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of shares(voting rights) and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr. / Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, provide the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col. (5), leaving the columns 4 and 6 blank; statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given

6. As per Regulation 9 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, Service company and syndicate shall submit their application in the specified format as below:

Form S-2

**Application Form - IRDAI/ Lloyd's India Service Company & Lloyd's India Syndicate
(to be applied through Lloyd's India)**

I. Details of Lloyd's India Service Company

1. Name of the Lloyd's India Service Company:
2. Address:
3. Date of incorporation of the applicant: [DD/MM/YYYY]
4. Registration No. issued by the Registrar of the Company, India:
5. Main objects of MOA/ AOA of the Lloyd's India service company:
6. Amount of authorised capital or its equivalent and amount subscribed:
7. No. of years that the managing agent / promoter of the service company has been active. If so, details thereof:
8. Permission from Lloyd's allowing establishment of a service company by the Managing Agent or Board Resolution by the Board of Directors of the promoter of the service company, as applicable:
9. Details of shareholders/ subscribers of the service company: [Please give full name, address, percentage of holding in the paid up capital of the managing agent, Occupation, Qualifications and Experience, Number of shares held and Percentage of share capital in the company] Please attach separate sheets if necessary. Details of persons holding more than 5% of the paid up capital or its equivalent of the applicant are to be given.

Full Name [first, middle, surname]	Date of Birth\ Incorporation	Address with Telephone Nos., Fax Nos., E-mail	Qualifications	Experience	Present occupation	No. of shares (voting rights) and percentage of total holding	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mr. / Ms.							

Note: If the shareholder/ subscriber is a company or a body corporate registered in a foreign country, provide the name of the company or body corporate in column (1), the country of incorporation and the date of registration in column (2), mention the areas of operation of the company in col.(5), leaving the columns 4 and 6 blank; particulars indicating the countries of operation, nature of business enclosing statements of accounts of the company or body corporate for the last 5 years are to be given. Adequate care may be taken to furnish full and complete information truthfully. Any misrepresentation found later will lead to disqualification of the service company.

10. Details of Managing Agent / Promoter of the Service Company, as applicable: This section should set out the background information. Following information should be included:

- Particulars of the Managing Agent / Promoter of the service company, as applicable (e.g. company name, address, names of directors, etc.).
- Nature of business, years in business of the Managing Agent/ Promoter of the Service Company.
- Record of regulatory interventions/restrictive directions for last five years (if any) in respect of the Managing Agent/ Promoter of the Service Company.
- Audited Financial statements for the last five years.
- Strengths (specific experience, expertise, financial strength, market relationships) of the Managing Agent/ Promoter of the service company.

11. Details of Service Company

This section should provide the key aspects of the service company. This will cover the following:

- Service Company Address:
- Address for Communication (state the name of the Authorised person, telephone numbers, mobile number, e-mail address and such other details:
- Whether the service company has completed the Lloyd's Service Company Coverholder Undertaking through which the Service Company agrees to comply with all relevant rules and requirements of both Lloyd's and the local legal, fiscal, taxation and regulatory authorities. – Yes/ No
- Whether the service company has completed the Lloyd's Coverholder Decision Paper - Yes/ No
- Please provide detailed information on the following:
 - i. the level of underwriting and claims authority granted to the Service Company by the Managing Agent/ Promoter;

- ii. the business strategy for the Service Company which will include geographic spread, underwriting, types of reinsurance arrangements including retention limits, investments, information technology recruitment and training, internal controls, expenses of administration, technical skills.
 - iii. details relating to KMPs operating in the Service Company,
 - iv. financial information,
 - v. professional indemnity details,
 - vi. classes of business to be underwritten by the Service Company,
 - vii. the approach the Service Company will take to ensure compliance with registration requirements.
- Allocation of responsibilities of Chief Executive Officer, Chief Underwriting Officer, Chief Financial Officer & Chief Compliance officer (Proposed)
 - Organizational structure, control and oversight
 - Whether the service company has completed the Lloyd's Service Company Self-Assessment against the Lloyd's Minimum Standards – Yes/ No
 - Whether the Service company has entered into Service Company Underwriting Agreement, a contract that delegates authority to the service company from Members of Lloyd's of the relevant syndicates – Yes/ No
 - If yes, the details of the syndicates they represent

12. Details of all the Directors, Chief Executive Officer (CEO), Chief Underwriting Officer (CUO), Chief Financial Officer (CFO) and Chief Compliance Officer (CCO) of the service company (Key Management Personnel):

Please furnish the particulars in separate sheets for each individual the pro-forma given below: -

- Name (and any previous names)
- Home/ Residence and Business Address (including any other residential addresses within the last 15 years), current Telephone, and E-mail Addresses:
- Date and Place of Birth
- Nationality (and any previous Nationality)
- Passport / Identity Card:
 - Number
 - Date and Place of Issue:
 - Date of expiry
 - Issuing Authority:

- Details of any loans or guarantees issued to or on behalf of the company in which the Directors and Key Management Personnel have a management or shareholding interest
- Family Status
- Details and Dates of Academic Qualification:
- Details and Dates of Professional Qualification:
- Description of the prospective position (including responsibilities) and proposed date of commencement:
- Work Experience:
 - Existing and Previous Employers (covering last 15 years)
 - Details of whether the Directors and Key Persons and / or their Employers have been formally supervised or regulated
 - Nature of Employer's Business
 - Designation: (including duties and responsibilities)
 - Date of Appointment
 - Date of Resignation/Departure
 - Details of Other Business interests in the last 15 years where the Directors and Key Management Personnel have been a working shareholder, director or controller.
- Relationship with the Company or related Companies or other third parties: -
 - Details of shareholdings or voting powers in the company, or related Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships with the company or related Companies or third parties:
 - Details of any Business relationships between the Directors and Key Management Personnel former employers and the company or related Companies or third parties:
- Full details on the Directors and Key Management Personnel reputation and character: -
 - whether the applicant has ever been declared bankrupt;
 - any convictions of any offence involving fraud or other dishonesty;
 - any disqualification of the Directors and Key Management Personnel from acting as a director or in the management of any company or organisation;
 - whether the Directors and Key Management Personnel have ever been refused (or had revoked) a registration or authorisation to carry on any regulated financial business;
- Any censure or disciplinary action initiated by any Government, regulatory or professional body;

- Any dismissals from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the employer of Directors and Key Management Personnel or refusal of entry to any profession or occupation;
- Any litigation in which the Directors and Key Management Personnel have been involved over the last 5 years;
- Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel have been associated as a director, officer, manager or shareholder;
- Whether any company or organisation with which the Directors and Key Management Personnel were associated as a director, officer, manager, shareholder or controller has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Directors and Key Management Personnel was associated with it or within one year after the Directors and Key Management Personnel so ceased to be associated.

In the Remarks column, please mention whether any director is an agent, broker, any other intermediary, director or employee of any other insurance company (or reinsurer) in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.

II. Details of the Lloyd's India Syndicate

- Name and other details of Members of Lloyd's promoting Lloyd's India Syndicate:
- Permission from Members of Lloyd's to set-up Lloyd's India syndicate:
- Line of reinsurance business that will be underwritten by Lloyd's India syndicate:
 - a. Life and/or General and/or Health reinsurance business; or
 - b. any other classes as may be specified by the Authority
- Whether the syndicate has entered into the Service Company Underwriting Agreement – Yes/No
- If yes, details of the service company
- Amount of assigned capital of Lloyd's syndicate: Rs
- **Financial Projections**

A description of the model used for financial projections and assumptions should be provided, (financial projections for a period of 5 years separately, for each year from the commencement of operations). These should set out the following:

- Amount of business.
- Size of support and administrative staff.

- Premium income.
- Investment income.
- Commissions and other sales related expenses.
- Expenses of administration.
- Income tax and other taxes.
- Statutory reserves.
- Required and available solvency margins.
- Profit and loss accounts and balance sheets.
- Capital requirements.
- Break-even periods and the Return on Capital.

This section should also discuss the manner in which the future capital needs will be met.

- **Particulars of Previous Application:** Has the applicant ever applied for registration or request for registration in India? If so, give particulars in details (including rejections, if any).
- **Conclusion:** In conclusion, the applicant should discuss the viability of the operations and summarize its overall objective for setting up operations in India. Any special issues or concerns should also be indicated.

Form S-3

**Joint Certification by the Lloyd's India Service Company and Lloyd's India
Syndicate**

We, the undersigned, solemnly declare that the facts given in this application form on behalf of the Applicant are true and that the projections and estimations are based on reasonable assumptions.

1. Signature of the Authorised Person representing Lloyd's India Service Company *(with seal)*
2. Signature of the Authorised Person representing Lloyd's India Syndicate *(with seal)*

Place:

Date:

Certification by Chief Executive Officer, Lloyd's India

I, the undersigned, solemnly declare on behalf of applicant that the facts given in this application form are true.

Signature of the Chief Executive Officer, Lloyd's India *(with seal)*

Place

Date:

7. As per Regulation 10 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, the Authority shall issue joint certificate of registration to service company and syndicate of Lloyd's India in the format as below:

Form S-4

JOINT CERTIFICATE OF REGISTRATION FOR LLOYD'S INDIA SERVICE COMPANY AND LLOYD'S INDIA SYNDICATE

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA
JOINT CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registration Number. _____

This is to certify that

1. (Name of the Lloyd's India Service Company with address)
2. (Name of the Lloyd's India Syndicate)

has this day been jointly registered in accordance with the provisions of sub-section (2A) of section 3 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) to become constituents of Lloyd's India and transact reinsurance business in accordance with the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches & Lloyd's India) Regulations, 2024.

Issued under the seal of the Authority at this _____ day of _____ two thousand and _____

Place:

Date:

for Insurance Regulatory and Development Authority of India

CHAPTER II

Operations of Foreign Reinsurers' Branch Offices in India

8. Corporate Governance

The objective of these directions is to provide the governance structure as envisaged in Regulation 30(13), for FRB & Lloyd's India and outline the functions of the Board / Executive Committees and the management.

(1) Board / Executive Committee(EC)

Every FRB (including Lloyd's India) shall have an Executive Committee duly authorized by the Board of Directors of their applicant company, comprising of competent and qualified individuals as members, with qualifications and experience that is commensurate with scale, nature, complexity of business and size of the Insurer, from various areas of financial and management expertise such as the lines of insurance underwritten, actuarial and underwriting risks, finance, accounting, law, banking, securities, economics, etc.

The Chief Executive Officer (CEO) shall be appointed with the prior approval of the Competent Authority and shall be a member of the Executive Committee. Further, the Executive Committee shall have at least one member from the Head Office/ Regional office who shall be responsible for oversight on the branch operations in India.

(2) Powers, Roles and Responsibilities of the Board / Executive Committee

- (a) The Executive Committee shall be responsible for formulating the overall strategy and direction to the India branch as well as overseeing its proper overall management.
- (b) The Executive Committee shall ensure that the entity has appropriate systems and functions with regard to underwriting, risk management, investment, outsourcing, grievance redressal, claims monitoring and internal controls.
- (c) The Board /Executive Committee shall provide oversight to ensure that the systems and the functions are operating effectively and as intended.
- (d) The Board /Executive Committee shall set a clear and transparent policy framework for translation of the corporate/ business objectives. The Board/ Executive Committee shall:
 - (i) Define and periodically review the business strategy;
 - (ii) Define the underwriting policy;

- (iii) Determine the retention and reinsurance policy and in particular, the levels of retentions of risk by the FRB and the nature and extent of reinsurance protection to be maintained by it;
 - (iv) Define the policy of the FRB as regards investment of its assets consistent with an appropriate asset liability management structure;
 - (v) Define the outsourcing policy;
 - (vi) Define the policy on appointments and qualification requirements for human resources and ensure that the incentive structure does not encourage imprudent behaviour.
- (e) The Board /Executive Committee, while laying down the policy framework shall consider various risks involved in carrying out its operations and their potential impact and shall follow the directions and guidance as specified by the Competent Authority. The Board/ Executive Committee should define and set the following:
- (i) Define the standards of business conduct and ethical behaviour for KMPs and other employees;
 - (ii) Define the standards to be maintained for servicing of its cedants.

(3) Fit and Proper criteria of Key Management Persons(KMPs)

The directors/ KMPs shall meet the “fit and proper” criteria at all times on a continuous basis. The appointment of the directors/ KMPs shall be in compliance with the directions as specified in this Master Circular and shall be for a minimum period of three years.

In determining whether any individual is “fit and proper” to be a Key Management Person, various factors shall be taken into account, including but not limited to the following:

- (a) The individual’s integrity, reputation, track record and due diligence viz.
 - (i) Demonstrated honesty and ethical behaviour;
 - (ii) Ability to manage business and ensure compliance of regulatory requirements;
 - (iii) Past conduct and reputation in the industry.
- (b) Details of proceedings including convictions/ enquiries against the individual for any involvement in financial fraud or other dishonesty by any regulatory, statutory, judicial bodies, etc. in India or outside India;
- (c) Compliance with all applicable laws in India including Prevention of

Money Laundering Act, FEMA and taxation laws.

- (d) Insider trading, fraudulent or unfair trade practices or market manipulation by the individual/KMP.
- (e) Details of other engagements/ responsibilities of KMPs.

(4) Conflict of Interest

- (a) The Executive Committee shall put in place adequate systems, policies and procedures to address potential conflicts of interest.
- (b) No individual shall hold more than one position of Key Management Person that could lead to conflict or potential conflicts of interest such as 'business and control function' or 'two control functions' being held by one KMP.
- (c) Where it is proposed that the FRB would enter into a contract or arrangement with related parties of the KMPs, the disclosures by KMPs shall be ensured in accordance with the provisions of this Master Circular.

(5) Chief Executive Officer and other Key Management Persons(KMPs)

- (a) The Applicant Company/ Board of the parent Company shall appoint Chief Executive Officer strictly in accordance with the provisions of Section 34A of the Act. The Board of the parent company shall carry out effective due diligence to ensure that the incumbent is 'fit and proper' before recommending his/ her name for necessary approvals.
- (b) An application to the Authority for the appointment, reappointment and remuneration to be paid to the CEO shall be made as specified in this Master Circular.
- (c) Chief Compliance Officer (CCO) shall be the designated person for submitting returns, reports and any application for approval of the Authority. CCO shall be appointed for a minimum tenure of 3 years. The duties and responsibilities of the compliance function shall include at least the following:
 - (i) Apprising the Board / Executive Committee and senior management on applicable Acts, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars.
 - (ii) Ensuring compliance with the provisions of applicable Acts, Rules and Regulations made thereunder, Guidelines and Circulars issued by the

Authority and to the supervisory and other observations made by Authority and/or any other authorities in a time bound manner.

- (iii) Designing compliance framework and training on regulatory compliance actions.
- (iv) Submission of financial statements as specified by the Authority from time to time.
- (d) In the event of any vacancy in the position of any KMP due to retirement, resignation or otherwise, the Authority shall be kept informed of such event and the reasons therefor. Further, FRBs shall initiate action for filling up of such vacant positions on a priority basis, to ensure that it shall not remain vacant for a continuous period of more than 180 days. The applicant and the FRB should take proactive steps to decide on the continuation of CEO well in time before the expiry of his/ her tenure or to identify the new incumbent, in accordance with the succession plan adopted.
- (e) The KMPs shall be appointed by the Board or Executive Committee if so authorized by the Board of the parent company.
- (f) All FRBs shall obtain and maintain the particulars of their respective 'Key Management Persons' (KMPs) in the form **KMP-1** (Appendix).
- (g) The details of the KMPs shall be furnished at the time of registration and subsequently on any change in the KMPs or change in the particulars of the concerned KMP(s), within 7 days.
- (h) Every FRB shall furnish a certificate in form **KMP 2** (Appendix) endorsed by the CEO stating that the provisions relating to qualification and appointment of all KMP(s) have been complied with.

The above directions shall supercede the corporate governance guidelines 2016 issued vide circular no IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016 dated 18/05/2016 to the extent applicable to FRBs.

(6) Public Disclosures by FRBs/Lloyd's India

In terms of Regulation 30(13) of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations 2024, FRBs shall be required to make the public disclosures in the formats as specified under circular Ref. IRDAI/F&A/CIR/MISC/256/09/2021 dated 30-09-2021 with modification as here under:

- (a) 'NL-5 Claims Schedule' and 'NL-20 Analytical Ratios Schedule' may not be uploaded on the website under Public Disclosures. However, the said formats shall be furnished to the Authority along with the

annual financial statements.

- (b) 'NL-23 - Solvency Margin-GI-TA, NL-24 -Solvency Margin- GI-TR, NL-25 - Solvency Margin - GI-SM-TABLE IA and NL-26 - Solvency Margin - GI-SM-TABLE IB' shall be published **annually** on the website under Public Disclosures.
- (c) FRBs and Lloyds India may not publish the half yearly and annual Revenue Account, Profit & Loss Account and Balance Sheet, Analytical Ratios, etc. in the newspapers. They may publish a true and accurate abstract of the various disclosure formats on a voluntary basis pursuant to section 25 of the Insurance Act, 1938.

(7) Stewardship Returns and Public Disclosure by FRBs:

The Branches of Foreign Reinsurers and Lloyd's India shall ensure compliance with the stewardship stipulations as specified under circular IRDAI/F&I/CIR/MISC/82/5/2024 dated 22/05/2024 in the following manner:

- (a) Where the investment policy does not permit investments in equities, such entities shall be exempted from the application of Common Stewardship Code, disclosure requirements and returns relating to the same. The Public Disclosure may, accordingly, be shown as ' Not applicable', by such entities.
- (b) Where the investment policy permits investments in equities but no investments have been made in equities, for such entities the Stewardship Code shall be applicable. A NIL form disclosure would be a sufficient compliance for the same.
- (c) Other entities shall comply with the requirements as specified under the common stewardship code.

(8) Disclosure & Reporting Requirements

- (a) Chief Compliance Officer (CCO) shall be responsible for ensuring and monitoring continuing compliance with the directions of the Authority. Unless specified otherwise by the Authority in the respective regulations/ directions, the Chief Compliance Officer shall be the designated officer for submitting returns, reports and applications for approvals to the Authority.
- (b) Every branch of Foreign reinsurer shall submit a report on the Corporate Governance and related activities as a part of the annual financial statements. Further, a certification from the CCO, in **Form CG-1** (Appendix) shall be furnished to the Authority. The report shall at the least, comprise of the following:
 - (i) The total no. of members in the Board/Executive Committee;

- (ii) Details of the members setting out the name, qualifications, field of specialization, years of experience, etc.;
- (iii) Details of the dates of meetings held by the Board/EC and the record of attendance of each member at the meetings;
- (iv) Details of functional responsibilities if any, held by the members of the Board/EC;
- (v) Details of multiple roles/ responsibilities if any, held by an individual KMP;
- (vi) Description of financial performance including growth rate and current financial position;
- (vii) Description of the risk management architecture including the risks to IT systems and the strategy for business continuity and disaster recovery;
- (viii) Details of strategy adopted to address conflict of interest in its business operations including roles and responsibilities of KMPs, outsourcing, related party transactions etc;
- (ix) Details of any censure, fines, penalties or disciplinary action initiated by any government, regulatory or professional body
- (x) Report on CSR activities;
- (xi) Report on ESG activities;
- (xii) Confirmation that all the directions of the Authority are taken in to consideration by the Board/EC and are implemented as advised;
- (xiii) Confirmation that Chief Compliance Officer (CCO) has been designated as envisaged in the regulations and is responsible for ensuring the overall compliance.

(9) Environment, Social and Governance (ESG)

Every entity shall have in place an Environmental, Social and Governance (ESG) framework approved by the board of its parent entity. The activities under ESG are to be monitored on a regular basis and be reviewed by the Board/Executive Committee on annual basis. The Board / Executive Committee shall also establish Climate risk management framework keeping in view their size, nature and complexity of operations.

9. Appointment of Statutory Auditors by FRBs

- (1) Section 12 of Insurance Act, 1938 provides that all insurers must be audited annually by the Auditors.

FRBs shall comply with the provisions relating to appointment of Auditors as specified in this Master Circular. The Board or Executive Committee shall

appoint an auditor, shall approve their remuneration and also ensure that there are no conflicts of interest in their appointment.

(2) The eligibility, qualifications and other requirements of the auditors are detailed below:

- (a) The Auditor of an insurer shall be a firm, including a Limited Liability Firm, constituted under the LLP Act, 2008.
- (b) The Firm should have been established and in continuous practice for at least 15 years.
- (c) The auditor / Firm should have:
 - (i) a minimum of 5 full-time partners, of whom,
 - a. at least 2 should have been in full-time practice as partners exclusively associated with the firm for a continuous period of minimum of 10 years, and
 - b. at least 2 other partners should have been in continuous association with the audit firm either as partner or as employee for a minimum period of 5 years, and
 - c. one partner in full-time practice with the firm as a partner for a minimum period of 1 year, and
 - d. out of the total partners of the firm, at least two should be FCA and be in practice for a minimum period of 5 years as FCA.

OR (Alternatively),

- (ii) a minimum of 7 Chartered Accountants,
 - a. of which not less than 2 are partners in full-time practice exclusively associated with the firm for a continuous period of a minimum of 10 years, and
 - b. at least 3 other Chartered Accountants in continuous association with the audit firm as partner or employee for a minimum period of 5 years, and
 - c. at least 2 Chartered Accountants should be FCA and be in practice for a minimum period of 5 years as FCA.
- (d) At least one partner or employee of the audit firm should possess the DISA/ CISA or equivalent qualification as may be recognized by the IRDAI from time to time and such partner or employee must be involved in the audit of the insurer.

- (e) The Audit firm should have a minimum experience of 5 years in audit assignments of entities in the financial sector. The Auditor must have experience in insurance company audits of at least two years.
- (f) For the above purposes, a full-time partner shall not include a person who is–
 - (i) a partner in other CA firm(s) or
 - (ii) employed full time/ part time elsewhere, practicing in own name, or engaged in practice otherwise or engaged in other activity which would be deemed to be in practice under section 2(2) of the Chartered Accountants Act, 1949.
- (g) FRB should verify to their satisfaction that the proposed auditors meet the eligibility criteria before considering / approving their appointment. FRB shall obtain a declaration from the audit firm in the **Form A1 (Appendix)** at the time of their appointment.
- (h) Any change in the constitution of the Audit firm/ information submitted/ certifications submitted which affects the eligibility criteria indicated in this Master Circular, should be duly informed by the Audit firm to the FRB within 7 working days of such change. In such cases, the FRB must ensure compliance with the Master Circular within six months from date of such intimation.
- (i) The Authority must be informed about appointment of auditors within 7 working days thereof with a certification to the effect that the above eligibility stipulations have been met, as per the enclosed format **Form A2 (Appendix)**.
- (j) FRBs are also advised to file a return on an annual basis as per the enclosed (**Format A3**) giving details of audit firms engaged in various capacities like Statutory Auditors, Internal Auditors, Concurrent Auditors, Tax Auditors etc.

If it comes to the notice of the Authority that the appointment of auditors by FRBs is not in line with this Master Circular, the appointment is liable for cancellation and it shall be open for the Authority to consider such further action as may be deemed necessary in this regard.

An FRB shall not remove its statutory auditor without the prior approval of the Authority.

- (3) Maximum Number of Statutory Audits of Insurers that can be accepted by an audit firm at a time:

An Audit firm shall be entitled to carry out Statutory Audits of not more than

three Insurers (Life/Nonlife/Health /Reinsurer/ FRB) at a time.

Provided that an audit firm shall not have the audit assignments of more than 2 insurers in same line of business (i.e. life insurance, general insurance, health insurance and reinsurance) at a time.

Explanation: An audit firm shall include its associate/ affiliate firms which are under the same network or other firm(s) whose name or trade mark or brand is used by the audit firm or any of its partners.

(4) Appointment/ Reappointment and Rotation of Auditors:

The FRB shall appoint an audit firm which meets the eligibility criteria as specified above as the statutory auditor. The appointment may be for a duration of up to 4 years. In order to ensure rotation, there shall be a cooling off period of at least 3 years before an audit firm is reappointed by the FRB for another term of up to 4 years.

The incoming audit firm during the cooling-off period, shall not include other associate/ affiliate firm(s) which are under the same network or whose name or trade mark or brand is used by the firm or any of the partners of the retiring auditor. The retiring/ outgoing statutory auditor or its associate/ affiliate as explained above, shall not undertake the investment risk management, or concurrent audit of the FRB during cooling-off period.

(5) Statutory Auditors taking up other assignments:

Statutory auditor may take up other assignments with the FRB subject to compliance of the following:

- (a) Any additional work other than statutory audit that is entrusted to the auditor or other firms under the same network/ associate/ affiliate firms whose name or trade mark or brand is used by the audit firm or any of its partners, shall be specifically approved by the Board/ Executive Committee.
- (b) The Board/ Executive Committee while approving the assignment shall ensure the independence and integrity of the audit relationship. Further, details of all additional assignments to the statutory auditors shall be informed to the parent company (Head office).
- (c) The aggregate of the fees for the additional work in a financial year shall not exceed the Statutory Audit Fees for the said financial year. It is clarified that the fees for the quarterly and half yearly audit/ review may be excluded for the purpose of calculating the aggregate fees for other assignments of the statutory auditors. All fees/ remuneration for such

other work entrusted to the auditor or other firms whose name or trade mark or brand is used by the firm or any of its partners shall be specifically disclosed in the notes to accounts forming part of the annual accounts.

- (d) FRBs shall ensure compliance with Section 144 of the Companies Act and Chartered Accountants Act, 1949 and Regulations issued thereunder, and the applicable guidelines of ICAI issued from time to time in this regard, before considering to provide any additional work to Statutory auditors.

10. Appointment and Remuneration of Chief Executive Officer and other Key Management Personnel

- (1) FRBs shall formulate and adopt a comprehensive policy duly approved by the Board of the parent company for appointment and remuneration of the CEO and all the Key Management Persons of the India branch.
- (2) FRBs shall make an application to the Authority for the appointment, reappointment and remuneration to be paid to their CEO. Such request shall be made in the format **Form A, Form B, Form C (Appendix)** and shall be accompanied by a resolution or authorization of the Board of the applicant (parent) entity.
- (3) The CEO shall be appointed for a minimum tenure of 3 years and the position shall not be held by an individual for a continuous period of more than 15 years. No person shall continue to be the CEO after attaining the age of 70 years.
- (4) The remuneration policy shall not induce excessive or inappropriate risk taking, shall be in line with corporate culture, objectives, strategies, identified risk appetite and in the long term interest of the FRB. It shall have proper regard to the interests of its cedants and other stakeholders.
- (5) The Board or Executive Committee shall oversee the effective implementation of the remuneration policy.
- (6) The Board or Executive Committee shall ensure and document that in structuring, implementing and reviewing the remuneration policy, the decision making process identifies and manages conflicts of interests. Members of the Board or Executive Committee shall not be placed in a position of actual or perceived conflict of interests with respect of remuneration decisions.
- (7) The remuneration of CEO and KMPs may comprise of fixed Pay and allowances, perquisites & benefits and variable pay or performance bonus. The minimum parameters to be considered for determination of variable pay of KMPs shall be

as below:

- (a) Overall financial soundness such as-
 - (i) Net-worth position
 - (ii) Solvency Margin
 - (b) Business growth of branch and support/ capacity provided to Indian cedants.
 - (c) Retention Ratio
 - (d) Claim efficiency in terms of Turn Around Time for settlement of claims.
 - (e) Overall compliance of the applicable regulations/laws of India.
 - (f) Innovative product design at competitive rates for Indian insurers.
- (8) At least 50% of variable pay should be based on performance of India branch based on above minimum criteria. Maximum of 50% of variable pay/incentive/bonus by whatever name called, can be based on the overall performance of the parent of FRB.
- (9) Variable pay shall not be more than 50% of the total remuneration of a KMP for a performance year. ESOPs or any other share based incentives, where settlement is not in cash, shall not be counted towards variable pay. Variable pay shall be paid to any KMP only once during a financial year.
- (10) Variable pay must be deferred equally over a period of at least 3 years, with a provision for malus and clawback, which should be a part of the terms of appointment of the KMPs. Variable pay up to Rs 25 lakhs for a performance year need not be deferred.
- (11) The remuneration of CEO of an FRB approved by the Authority shall not be revised/ reviewed before the expiry of one year.
- (12) Reporting of remuneration of KMPs – FRBs shall report the details of components of remuneration paid to all KMPs during the financial year in **Form KMP-3** (Appendix) along with financial statements.

11. Repatriation of Funds

The Branches of Foreign Reinsurers may repatriate funds to their parent entity (Head Office) as below:

- (1) Repatriation of Surplus or profits generated by the operations of branch of foreign reinsurer:

FRBs including Lloyd's India are permitted to repatriate surplus or profits generated by the branch of foreign reinsurer to its head office without any prior approval from the Authority subject to the following conditions:

- (a) Up to 50% of surplus or profits generated by the branch of foreign reinsurer as per the last audited financial statements can be repatriated;
- (b) Repatriation can be done only once for every financial year;
- (c) Solvency ratio is at least 50 bps higher than the control level of solvency after repatriation. Such higher solvency ratio shall be maintained for at least two quarters following the quarter in which repatriation of surplus or profits generated by the operations of branch is done;
- (d) A certificate from certifying Actuary to the effect that sufficient reserves are made to meet the reinsurance liabilities is furnished to the Authority;
- (e) Details of the repatriation as indicated below shall be submitted to the Authority within 7 days of repatriation.

Date of Repatriation	Amount of profit/surplus (Rs in crores)	Amount of repatriation (Rs in crores)	Proportion(%) of Profits/surpluss repatriated	Reasons for repatriation

(2) Repatriation of Funds/ Assigned capital other than Surplus or profits generated by the operations of branch of Foreign reinsurer:

Excess assigned capital other than surplus or profits generated by the branch of foreign reinsurer may be repatriated with prior approval of the Authority subject to the following:

- (a) The request to repatriate the assigned capital shall be submitted by the Foreign Reinsurer, which is engaged in reinsurance business through a branch established in India, justifying the reasons for such request;
- (b) A certificate from the Foreign Reinsurer stating that the Reinsurer has Net Owned Funds of INR five thousand crores (Rs. 5000cr) or such amount as specified under Sec 6 (2) of the Insurance Act,1938, as per the last audited balance sheet;
- (c) Minimum Assigned Capital as specified by the Authority at the

time of grant of certificate of registration net of provisions as per regulations shall be ensured at all times;

- (d) Solvency ratio is at least 50 bps higher than the control level of solvency after repatriation. Such higher solvency ratio shall be maintained for at least two quarters following the quarter in which repatriation of assigned capital of branch is done;
- (e) Such repatriation shall not exceed 20% of assigned capital as per the last audited financial statements of branch of foreign reinsurer;
- (f) Not more than one request shall be made by the Foreign Reinsurer in a financial year;
- (g) A certificate from certifying Actuary to the effect that sufficient reserves are made to meet the reinsurance liabilities;
- (h) A certificate from practicing Chartered Accountant/Company Secretary that the request does not include the repatriation of surplus or profits as per sub regulation 8 of Reg. 30 of IRDAI (Registration and operations of Foreign Reinsurers branches and Lloyd's) Regulations, 2024;
- (i) A certificate from practicing Chartered Accountant/Company Secretary on compliance with the FEMA requirements, RBI directions, tax laws and applicable regulatory framework.

Certification for Compliance of Corporate Governance

I _____ (Name) hereby certify that _____ (FRB name) has complied with the corporate governance directions as specified in the Master Circular issued under IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 and other applicable regulations as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Name:

Signature:

(Chief Compliance Officer)

Seal

Particulars of Key Management Person(KMPs)

Name of Insurer:

1. Name (and any previous names) of KMP:
2. Present Residential Address:
3. Current Telephone, Fax and E-mail Addresses:
4. Date and Place of Birth:
5. Nationality (and any previous Nationality):
6. Passport / Identity Card:
 - a. Number:
 - b. Date and Place of Issue:
 - c. Date of issue:
 - d. Date of expiry:
 - e. Issuing Authority:
7. Name and Address of Bank:
8. Details and Dates of Academic Qualification:
9. Details and Dates of Professional Qualification:
10. Description of the position (including responsibilities) and proposed date of commencement:
11. Experience:
(covering preceding 5 years)
12. (a) Details of previous employment (in the last 5 years):
 - (b) If previous employer was regulated by a regulatory body, then:
 1. Name of the Previous Employer:
 2. Nature of Employer's business:
 3. Name of the Regulatory body supervising the Employer:

4. Last Designation (including duties & responsibilities):
 5. Date of Appointment:
 6. Date of resignation:
13. Details of other business interests of the Key Management Person during the preceding 5 years in the form of holding equity shares in excess of 2% or Directorships in any other entity:
14. Relationship of KMP with the Insurer and related parties of insurer, if any: -
 - a. Details of shareholdings or voting powers in excess of 2% in the Insurer and related parties of insurer:
 - b. Details of any Business relationships with the Insurer or related parties of insurer:
 - c. Details of any Business relationships between the Directors' and key management persons' former employers and the insurer or related parties of insurer:
15. Full details on the Key Management Persons' reputation and character:
 - a. whether the applicant has ever been declared bankrupt;
 - b. details of convictions for any offence involving fraud or other dishonesty;
 - c. any disqualification from acting as a Director/ Key Management Person in any company;
 - d. whether the Director or key person has ever been refused (or had revoked) a licence or authorization to carry on any regulated financial business during past five years;
16. Details of any censure or disciplinary action initiated by any government, regulatory or professional body:
17. Details of any dismissals from office or employment, subjection to disciplinary proceedings by the previous employer or refusal of entry into any profession or occupation:
18. Details of conviction, if any, of the Key Management Person for any offence involving moral turpitude:
19. Whether any governmental, regulatory or professional body has ever investigated any employer, company or organisation with which the Key Management Person has been associated as a director, officer, manager or shareholder?

20. Whether any company or organisation with which the Key Management Person was associated as a director, officer, manager, has ever been wound up, gone into receivership or ceased trading either whilst the Key Management Person was associated with it; or within one year after the Key Management Person so ceased to be associated?
21. Please mention whether the Key Management Person is also an Insurance Corporate Agent, employee of Insurance Broker, Director or Employee of any other insurance intermediaries or Insurer or reinsurer in India or in any foreign country or director of any other company in India or in any foreign country.
22. Whether the Key Management Person is into the full time employment of the insurer? If not, then please give the full detail of other employment/ engagement:
23. Whether the key management person is on deputation / secondment from any other organisation?

If yes,

- (a) furnish the full particulars of the Parent Organisation:
 - (b) whether any remuneration etc., is paid by the Parent Organisation, if so complete detail of the remuneration:
24. Whether the Key Person is into the full time / part time employment of any group company / associated company or the promoting partner of the insurer?

It is certified that the above information is true to the best of my knowledge and belief and if anything reported herein is found to be false or incorrect, then I shall be liable for appropriate action.

Key Management Person

Chief Compliance Officer

(Applicant)

Date:

Place:

Details of remuneration paid to KMPs

Name of FRBs:
FY:

Sl no	Name of the CEO/KMPs	Designation	Fixed pay		Variable Pay			Amount (in INR Cr)			
			Pay and allowances (a)	Perquisites, etc (b)	Total (c)=(a)+(b)	Cash components (d)	Non-cash components (e)	Total (f)=(d)+(e)	Total of Fixed and variable pay (c)+(f)	Value of joining/sign on bonus, if any	Amount of deferred remuneration of earlier years paid /settled during the year

Declaration

I / We, the undersigned, partner(s) of M/s _____ do hereby declare that the particulars as given below are as on _____ and are correct in all respects to the best of my / our knowledge and belief. I /we hereby declare that:

- a.** None of our branches or associate/ affiliate concerns or LLP or other firm whose name or trade mark or brand is used by our firm or any of our partners, has/ have been appointed as statutory auditor of any insurer/ FRB; **or**

the following of our branch or associate/ affiliate concern or LLP or other firm whose name or trade mark or brand is used by our firm or any of our partners has/ have been appointed as statutory auditors of insurer(s)/ FRB

Name of the firm / associate / affiliate/ LLP	Name of the Insurer/ FRB	Period of Appointment

- b.** I /we have gone through the instructions and terms and conditions as specified in the Master Circular issued by the Authority and affirm that our firm is compliant with the Master Circular and in no way infringes the terms and conditions so prescribed.
- c.** In case the terms or conditions so prescribed are found to have been infringed the application/appointment is liable to be rejected/ cancelled.
- d.** I /we further recognize that if any of the terms or conditions is infringed or any of the statement made therein or information furnished in the application form is not correct, I /we would be liable for disciplinary action under the Chartered Accountants Act, 1949 and regulations framed there under and under the provisions of Companies Act, 2013
- e.** No further assignment(s) by our audit firm or branch or associate or LLP or other firm whose name or trade mark or brand is used by our firm or any of our partners shall be taken which are not in compliance to the Master Circular.

I / we hereby declare that audit/ other assignment allotted on the basis of information furnished in the application form will not be accepted and carried out if the firm in whose name the application was made is not in existence at the time of audit.

Name of the Audit Firm:

Name of Partner

Membership No.

Signature*

Place: _____

Date: _____

*** The declaration should be signed by all the partners of audit firm undertaking audit of the insurer.**

Form A2

Name of the FRB:

This is to inform that the following audit firms have been appointed as Statutory Auditor/s for (Name of the FRB) for the financial year _____

Sl. No.	Name of the Audit Firm	Address	Telephone/ e-mail
1			
2			

The past record of Statutory Auditors of (Name of the FRB) for the preceding ten years is as under:

Present Term	Year-4	Year -3	Year -2	Year -1	Current Year
Name of the Audit Firm					
1					
2					

Previous Term	Year-9	Year -8	Year -7	Year -6	Year- 5
Name of the Audit Firm					
1					
2					

It is certified that this appointment/reappointment is in compliance with the directions for appointment of auditors as a part of Master Circular issued by the Authority.

Date:

Signature

Place:

Chief Executive Officer

Name of the FRB:

Return of Auditors engaged for the financial year _

Sl. No.	Auditors engaged as	Name of the Firm	Address/ Telephone/ e-mail
1.	Statutory Auditors		
	1.		
	2.		
2.	Internal Auditors		
	1.		
	2.		
3.	Concurrent Auditors		
	1.		
	2.		
4.	Tax Auditors		
	1.		
	2.		
5.	Any Other Capacity (to be specified)		
	1.		
	2.		

It is certified that the above information is correct and complete to the best of my knowledge and belief, and reflects the true position.

Date:

Signature

Place:

Chief Executive Officer

Form for seeking approval of the Authority to appointment of Chief Executive Officer (CEO)

Sr. No.	Particulars	
1	State who is the competent authority to make the appointment / re-appointment in question and to fix the terms thereof. In case it is the Board of Directors, please quote the number of the relevant Article (A certified copy of the resolution (also mentioning the date thereof) of the competent authority, the General Body or the Board of Directors, as the case may be authorizing the appointment. re-appointment should be furnished along with the application. If the resolution is in vernacular, a certified copy thereof as translated into English may preferably be supplied)	
2	Full name of the person to be appointed / re-appointed:	
3	His present designation	
4	Insurance and / or other professional experience stating the name/s of the institution/s the position/s held therein and the approximate period of such experience	
5	State the name of the companies with their nature of business, in which the person also holds the position of Director / Managing Director.	
6	<p>Terms of appointment / re-appointment</p> <p>(a) Whether the appointment/ re-appointment will be under a contract or agreement (If so, a copy of the draft contract or agreement should be furnished together with a copy of existing contract or agreement, if any)</p> <p>(b) Period of appointment / re-appointment if any fixed (in case the period of appointment / re- appointment should not exceed more than 5 years)</p> <p>(c) Details of remuneration: The particulars should be furnished in the enclosed Form "C"</p>	
7	State whether	

Sr. No.	Particulars	
	(a) The insurance company complies with the provision of Section 32(A) (1) of Insurance Act, 1938 (b) In case the appointee is an expatriate, the work permit from the Ministry of Home, Govt. of India has been taken (a certified copy of the work permit to be enclosed)	
8	Position in regard to compliance with such provisions of the Companies Act as are attracted particularly Sections 164 (disqualification of Directors), Section 188 (office or place or profit) and Section 196 (except Central Government approval). Please state the position with reference to each Section separately.	
9	Any additional facts which the insurance company may like to state in support of the application or otherwise.	

For _____

(Name of the FRB)

(Signature)

(Designation)

Note: In case the application relates to the re-appointment of the CEO also involving an amendment of the provision/s relating to his existing appointment or remuneration, only one application as in Form 'A' may be submitted.

Name of the FRB: _____

Declaration and Undertaking by the CEO (with enclosures as appropriate as on _____)		
I. Personal Details of Chief Executive Officer		
a.	Full Name	
b.	Date of Birth	
c.	Educational Qualifications	
d.	Relevant Background and Experience	
e.	Permanent Address	
f.	Present Address	
g.	E-mail Address/ Telephone Number	
h.	Permanent Account Number under the Income Tax Act and name and address of Income Tax Circle	
i.	Relevant knowledge and experience	
j.	Any other information relevant to appointment	
k.	In case of foreign national, the whether Residential Permit has been issued by the Ministry of Home. If no, then reason thereof.	
II. Relevant Relationships of Chief Executive Officer		
a.	No. of shares held by the Managing Director/ Chief Executive Officer	
b.	List of entities if any in which he /she is considered as being interested (Refer Section 184 and 2(49) of the Companies Act)	

c.	Name of the Insurer in which he / she is or has been a member of the Board (Give details of period during which such office was held)	
d.	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed by him / her and / or by entities listed in II (a) and (b) above from the Insurer.	
III.	Records of professional achievements	
a.	Professional achievements	
IV.	Proceeding, if any, against the Managing Director, Chief Executive Officer	
a.	If the CEO is a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him / her or whether he / she has been banned from entry of at any profession/ occupation at any time.	
b.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Managing Director.	
c.	Whether the director attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act	
d.	Has the CEO or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
e.	Has the CEO at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise/ income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
f.	Whether the CEO at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, DCA, RBI	

V.	Any other explanation/ information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging fit and proper	
----	---	--

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the insurer fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided to above.

I also undertake to executive the deed of covenant required to be executed by all directors/ KMPs of the insurer.

Place: _____

Date:

Seal

Signature of proposed appointee CEO

Signature of Chief Compliance Officer

Form C

Details of Remuneration of the Chief Executive Officer / Managing director /Chairperson

Remuneration etc.	Existing	Actuals paid	Proposed	Reasons for Change (if any)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Remuneration: 1. Salary 2. Dearness Allowance 3. House rent allowance 4. Conveyance allowance 5. Entertainment allowance 6. Other allowances, if any (please specify)				
Perquisites: 1. Free furnished house 2. Free use of car for (i) Official purposes (ii) For private purposes on compensating the company with suitable amount 3. Provident Fund / Gratuity / Pension 4. Traveling and Halting Allowance 5. Medical benefits				

Remuneration etc.	Existing	Actuals paid	Proposed	Reasons for Change (if any)
6. Other benefits, if any (please specify)				
Bonus 1. Performance Bonus 2. Annual Bonus 3. Employee Stock Options 4. Any other incentive				

Notes:

- (1) If any of the benefits is of a non-monetary nature, e.g. free furnished house, its monetary equivalent as best as it is possible to determine should be given. In case the person to be appointed is already associated with the applicant, particulars of his existing remuneration, etc. should be furnished
- (2) In case of performance bonus, the FRB shall ensure that the amount paid each year is specifically approved by the Board of Director/ Executive Committee, if so authorized by the Board.
- (3) If the entity proposes to increase the emoluments and / or other benefits/ perquisites, the reasons therefore may be explained suitably under column no. (4)

CHAPTER III

Miscellaneous

12. Surrender or cancellation of certificate of registration

In terms of regulation 18(4) of the IRDAI (Registration and operation of foreign reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations 2024, an entity, which wishes to discontinue its operations in India, may submit the application for surrender or cancellation of its certificate of registration.

An entity shall furnish the following documents and information with the request:

- (1) Surrender Application: A formal application for surrendering the registration certificate, including the reason for surrender.
- (2) Corporate Resolutions: Copies of board resolutions or other corporate documents authorizing the surrender.
- (3) Intimation to Home regulator/ supervisor: Copy of the intimation regarding proposed closure of operations in India;
- (4) Financial Statements: Audited financial statements, including balance sheet and income statement not older than nine months from the date of application.
- (5) Outstanding Obligations to cedants: A report of outstanding obligations such as outstanding claims or other contractual obligations towards cedants, as on date of application;
- (6) Reinsurance/ Retrocession Agreements: Details of all reinsurance agreements in force, including details of the reinsured policies and terms; retrocession arrangements.
- (7) Claims: Information related to outstanding or pending claims with ageing and how they are proposed to be managed.
- (8) Investments: Detailed information about investments held by the FRB.
- (9) Statutory/ Regulatory Filings: Copies of any statutory filings in India or home jurisdiction of parent of FRB, that are required to be made for surrender of certificate and closure of operations.
- (10) Compliance Records: Status of compliance with regulatory requirements as on date of the application.
- (11) Contact Information: Updated contact information of key personnel who shall be responsible to monitor compliances up to completion of surrender.

- (12) Plan for closure: A plan outlining how the entity proposes to handle any remaining un-expired obligations and manage to wind up the business for surrender.
- (13) Communication Plan: Details about how the entity plans to inform its clients and stakeholders about the surrender.
- (14) Undertaking to the effect that the FRB shall continue to be liable for all its commitments to its cedants and that either all its obligations shall be settled in full or novated to other parties, as per the agreement with the concerned cedant(s).
- (15) Such other information which the Authority may require from time to time till the grant of final approval.

13. Amalgamation, Merger, Acquisition, Transfer or Restructuring

(1) Background:

As a part of business consolidation and reorganization, insurance entities/ groups may enter in to transactions of Amalgamation, Merger, Acquisition, Transfer or Restructuring. The parent companies of FRBs may either at entity or group level, wish to acquire the other companies or wish to transfer / merge its business partially or fully with some other entity or at group level.

Owing to such merger, transfer or acquisitions, the structure, financials, holding pattern etc. of the applicant entity are liable to change. Hence the corresponding impact may be observed in terms of net owned fund, assigned capital, reporting structure, governance and compliance norms etc. which are important factors for the purpose of regulatory oversight on the India branch.

In order to evaluate the above in terms of regulation 19 of the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024, the Authority issues the following directions:

- (2) The applicant entity of FRB or its group entity which wishes to enter in to a transaction or arrangement which results in a change of its ownership or holding structure, shall furnish notice of such intention immediately but not later than fifteen days of filing the same with its (their) home jurisdiction regulator.

Along with the notice of intention, the applicant company of FRB shall submit the following:

- (a) Audited financial statements for the previous financial year along with the net owned fund, solvency margin etc. of the transferee entity;

- (b) The details of line(s) of business for which the transaction is proposed by the entity having business operations in India;
- (c) Proposed ownership structure of the transferee entity post-transaction;
- (d) Change in the Key management persons (KMPs) of the FRB along with change in reporting structure of the KMPs of FRB, if any, post-transaction;
- (e) The details of the outstanding liabilities and reserves to be transferred from the transferor entity/group to the transferee entity;
- (f) An analysis of impact on financials such as contractual liabilities, reserves, estimates and solvency position of the FRB post the proposed transaction.

On receipt of notice of intention and the related information, the Authority may examine the same and communicate concerns, if any, regarding the proposed transaction or arrangement, to the applicant entity of FRB and its home jurisdiction regulator.

- (3) On receipt of approval or in-principle approval from the home jurisdiction regulator, the parent or applicant entity of FRB shall make an application along with the applicable processing fee to the Authority, for approval of the transaction or arrangement. The application shall be accompanied by the following:
 - (a) The certified copy of the approval or in-principle approval of the home jurisdiction regulator(s) in respect of the proposed transaction or arrangement;
 - (b) The impact on financials such as contractual liabilities, reserves, estimates and solvency position of the FRB post the proposed transaction duly certified by the certifying actuary;
 - (c) A letter of comfort by the transferee/ resultant entity that it would support the respective FRBs in India to meet its reinsurance liabilities from the date of completion of transaction, going forward;
 - (d) An undertaking by the transferee/ resultant entity that it shall comply with the applicable regulations / laws of India.

The Authority may examine the documents and other information as specified at (2) and (3) above and may seek further details and information for processing the request.

- (4) The Authority may, upon being satisfied, grant approval to implement the proposed transaction or arrangement with regard to the FRB operations in India, subject to conditions as it may consider necessary.

- (5) If approval of the transaction or arrangement results in the change of ownership or holding structure of the Indian branch with a new identity, a revised certificate of registration (Form/IRDAI/Reins/ R3) shall be issued by the Authority.
- (6) Upon approval of the transaction/arrangement the FRB shall communicate in writing regarding change in ownership/ restructuring to every cedant for each contract/agreement entered into, mentioning the status of the validity of the respective agreement/contract.
- (7) If the Authority is of the opinion that the proposed transaction falls within the scope of proviso to sub-regulation 4 of regulation 19, then it shall issue appropriate directions to the concerned entity(ies).

14. Outsourcing of Activities by FRB/ Lloyd's India / Service companies of Lloyd's India

As per Regulation 30(5) of the IRDAI Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations 2024, FRBs are permitted to outsource the specified non-core activities relating to their operations in India. FRBs shall ensure prudent practices while outsourcing any activities relating to operations of branch in India to protect the interest of the cedants and the stakeholders.

(1) Outsourcing Policy and its implementation:

The Executive Committee (EC) of FRB shall put in place an outsourcing policy which shall include:

- (a) Framework for assessment of risks in outsourcing including the confidentiality of data, quality of services rendered under outsourcing contracts;
- (b) Parameters for determining the cost- benefit analysis for each outsourced activity;
- (c) Guiding principles for evaluation of the outsourced service provider including its ability and capability to provide the required services;
- (d) The degree of due diligence required for material risks involved;
- (e) Conflict management policy that ensures adherence to the provisions of related party transactions.

The Executive Committee (EC) shall ensure effective implementation of outsourcing policy and annual evaluation of key risks associated with the outsourcing contracts of each outsourcing service provider and incorporate changes, if any, for further improvement.

A branch of foreign reinsurer may outsource its permitted non-core activities of value not more than 20% of its total operating expenses during a financial year, without the prior approval of the Authority. Information Technology (IT) expenses and one-off initiatives like RBC, IFRS, etc. shall not be considered for determining the limit of 20%.

(2) Activities prohibited from outsourcing:

FRBs shall not outsource the core activities such as underwriting, investment, claims settlement and regulatory compliances and any other function specified by the Authority in general or with reference to a specific entity.

(3) Due Diligence of Outsourcing providers:

While considering the outsourcing agreements with the outsourcing providers, the EC shall ensure due diligence which includes:

- (a) Existence of the outsourcing provider, its competence and experience to perform the activities proposed to be outsourced to it;
- (b) Assessing the capabilities of the service provider to employ standards envisaged, while performing the outsourced activities;
- (c) Business continuity management;
- (d) Data confidentiality, security and controls;
- (e) Documentation of annual evaluation of the service provider.

(4) Outsourcing Agreements

Outsourcing arrangements shall be governed by written agreements that are legally binding for a specified period that clearly describes all important aspects viz.

- (a) Guarantee or indemnity from the outsourcing service provider towards his commitments including liability for any failure.
- (b) Contingency planning of outsourcing service provider to provide business continuity for the outsourced arrangements.
- (c) Explicit provision that the contract shall neither prevent nor impede FRB from meeting its respective regulatory obligations nor the IRDAI from exercising its regulatory powers of conducting inspection and investigation.
- (d) Contract termination clause specifying handing over of data, assets etc.
- (e) Confidentiality and security of data clauses.

(5) Principles to be followed where outsourcing service providers are related parties / group entities of FRB

With the objective of avoiding potential conflict of interest, FRB shall endeavor that the related parties or group entities of FRB shall not be engaged. However, where it is considered necessary to outsource any activity to the related parties or group entities of FRB, it shall ensure maintaining arms' length principles in the transactions.

(6) Maintenance of Records

FRBs shall ensure the maintenance of records related to assessment and evaluation of risk, cost benefit analysis, due diligence reviews etc. for each activity and outsourcing entity.

(7) Reporting Requirements

FRBs shall report the outsourcing arrangements with details of outsourcing service providers, in **Form OS-1(Appendix)** every year along with the financial statements, at the close of the financial year.

This master circular shall not be construed to authorize any activity which otherwise is prohibited by any law.

15. Opening of additional Offices by FRBs in India (DTA)

- (1) The Branches of Foreign Reinsurers (FRB) in India may open additional offices in India as per their requirements, with the permission of its applicant (parent) entity.
- (2) FRBs shall have in place the annual business plan for every financial year, which shall be approved by the Board or Executive Committee and shall include all offices of the FRB in India (Domestic Tariff Area).
- (3) FRBs shall ensure that no core activities of the India Branch operations as specified by the Authority, shall be carried out of the offices other than the main branch office in India.
- (4) The Board or Executive Committee of the FRB shall put in place sufficient and appropriate control and reporting mechanisms in order to monitor the operations and activities at the additional offices. The Board or Executive Committee shall be responsible for all the functions of the additional offices.
- (5) Reporting and disclosure of opening /closure or relocation of places of business:

FRBs shall report the opening, closure or relocation of any of its offices to the Authority, at least 30 days in advance. FRBs shall also disclose the details of all their offices in India and the functions/ activities carried out at each office, in their annual financial statements furnished to the Authority.

16. Transition provisions

- (1) **General:** This Master Circular would be applicable to all arrangements and contracts effected from the date of implementation. However, for all existing arrangements the FRBs shall ensure compliance within 180 days from the date of this circular.

- (2) **Returns to be furnished by insurers:**

The formats of returns to be furnished by insurers shall be specified through a separate master circular on submission of returns.

All the provisions of the circulars viz. ref. IRDA/REIN/CIR/RT/1/1/2023 dated 3rd January, 2023 and ref. IRDA/RI/CIR/MISC/011/01/2019 dated 15th January 2019 shall continue to be applicable till the Master Circular on Submission of Returns is issued.

- (3) **Validity of certificate of registration of Syndicate and Service company of Lloyds India:** In view of Regulation 10 of IRDAI (Registration and Operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 the registration of Syndicate and Service company of Lloyds India shall be valid unless surrendered or cancelled. Such entities existing on the date of implementation of this Master Circular shall not be required to make an application to the Authority for renewal of their registration.
- (4) Any CEO of an FRB who has attained the age of 70 years on or before the date of this Master circular, shall vacate the office within a period of 180 days from the date of this circular.
- (5) **Outsourcing Policy and its implementation:**

In terms of Regulation 30(5) of IRDAI (Registration and operations of Foreign Reinsurers Branches and Lloyd's India) Regulations, 2024 any branch of foreign reinsurer which is currently outsourcing permitted non-core activities of value more than 20% of its total operating expenses during a financial year shall ensure compliance within 180 days from the date of coming into effect of this circular.

Appendix to Chapter III

Form OS-1

Reporting of Outsourced Activities

Name of the FRB:

IRDAI Registration No.:

Period of Reporting (FY):

Details of Operating Expenses and Outsourcing arrangements:

Sl. No	Gross Premium Rs Cr.)	Total Operating Expenses (Rs Cr.)	Operating Expenses ratio to Gross Premium (%)	Amount of outsourcing Expenses (Rs Cr.)	Outsourcing expenses to total operating expenses (%)
	(a)	(b)	(c) = [(b)/(a)*100]	(d)	(e) = [(d)/(c)*100]

Details of Outsourcing to Group entities of FRB:

Sl No.	Type of Entity (Associate/ Subsidiary/Holding/ Group, etc.)	Nature of outsourced activities	Within India/ Outside India	Outsourcing expenses to total operating expenses (%)

Chief Compliance Officer

Chief Executive Officer

Date:

(Seal)

PART II
CHAPTER I

Directions for issue of File Reference Numbers (FRN) to Cross Border Reinsurers

17. Filing of applications on CBR Portal

- (1) These directions aim to streamline the regulatory approval process with respect to cross border reinsurers (CBRs). All insurers shall ensure that CBRs meet, inter-alia, rating requirements as per IRDAI (Reinsurance) Regulations, 2018 and shall have a valid File Reference Number (FRN), before placing any business with them. Such FRNs are issued for each financial year by the Authority.
- (2) Procedure for issue of FRN to CBRs
 - (a) Application for New FRN:
 - (i) The CBRs which meet the eligibility criteria as per the extant regulations, shall qualify as 'Eligible CBRs'. The CBRs which do not meet the eligibility criteria shall be regarded as 'Non-Eligible CBRs';
 - (ii) The insurers which wish to place re-insurance business with CBRs, shall file an online application with the Authority at CBR Portal (<https://cbr.irdai.gov.in>) in the format as specified at Form CBR- 1, for allotment of FRN to CBRs under the category of either 'Eligible CBR' or 'Non-Eligible CBR', as the case may be;
 - (iii) The Authority may raise any other requirements, if necessary, for processing of such application while issuing FRN to CBRs. After examination of submissions made by the insurer, the Authority shall issue system generated FRN to the CBRs;
 - (iv) Filing of application for issue of FRN to CBRs shall be commensurate with Reinsurance programme of the insurer, as per extant regulations.
 - (b) Application for Renewal of FRN:

The CBRs which meet all the eligibility criteria shall be issued FRN in the automatic mode on the portal, upon application made by the ceding insurer. The CBRs, which do not qualify for Auto-renewal, shall be issued FRN in normal mode every financial year. The detailed procedure is as under:
 - (c) Process for 'Auto – Renewal' of FRN:
 - (i) The eligibility criteria for Auto-renewal of a CBR, shall be as below -

- a. Credit rating of the CBR shall not be less than 'Standard & Poor's A- or equivalent. The latest credit rating of the CBR shall not be older than 12 months from the date of application for Auto-renewal;
 - b. CBR has been allotted FRN under 'Eligible CBR' by the Authority in the financial year preceding to the financial year for which application is made;
 - c. necessary and latest information is furnished; and
 - d. such CBR meets the other requirements as per Reg. 4 (1) of IRDAI
 - e. (Reinsurance) Regulations, 2018 to qualify as 'Eligible CBR'
- (ii) The portal would be available for Auto-renewal for the current financial year and would also be available three months in advance for the next financial year.
 - (iii) The auto-renewal facility is available for three consecutive financial years for a CBR. After three financial years, normal renewal application has to be submitted by the insurer through the CBR portal.
- (d) Process for normal renewal of FRN for the CBR, which does not qualify for Auto-renewal:
- (i) While doing auto-renewal process, if the applicant insurer notices that CBR does not meet the requirements as per (i) (a) above, it shall file the application for normal renewal as per the process stated below.
 - (ii) An insurer may make an application for Renewal of FRN of a CBR through the portal in the specified format.
 - (iii) The Competent Authority, on examination of submissions made by the insurer, may issue system generated FRN to the CBR.

(3) General Provisions:

- (a) The validity of FRN issued to CBRs shall be for one financial year.
- (b) No insurer shall place re-insurance business with any CBR without valid FRN.
- (c) Once FRN is issued for a particular CBR, the same shall be used by all insurers for placement of reinsurance business with such CBR.
- (d) The Insurer, while placing reinsurance business with CBR (which has valid FRN), shall satisfy itself and shall be solely responsible to ensure that the CBR meets the eligible conditions as per the extant regulations.
- (e) The Board of Directors/Executive Committee of the ceding insurers shall have appropriate oversight and control over all the re-insurance business placements made with the 'Non-Eligible' CBRs.

Appendix to Chapter 1

Form CBR-1

APPLICATION FOR ISSUE OF FILING REFERENCE NUMBER FOR CBR

This application shall be signed by the Authorised Signatory of CBR and Chief Compliance Officer of the insurer.

1.	Application for allotment of FRN for FY	(e.g. 2023-24 and 2024-25)
2.	Type of CBR	Pool/Association/Corporation/Company/syndicate/other may specified
3.	Application for allotment of FRN for Eligible CBR or Non-Eligible CBR	Eligible CBR or Non-Eligible CBR
4.	Name of applicant Indian insurer	

Particulars		Details
5.	A. General Information	
6.	Name of the CBR (as per Certificate of Registration)	
7.	Place of Incorporation of the CBR	
8.	Date of Incorporation of the CBR	(dd/mmm/yyyy)
9.	Address of Registered office of the CBR	
10.	Name and address of Supervisory Authority with whom the CBR is registered	
11.	Validity of Certificate of Registration (COR) of CBR with home regulator (Attach copy of certificate)	valid up to (dd/mmm/yyyy)

12.	As per registration certificate granted by Home country/Jurisdiction Regulator or Supervisory Authority, the CBR is Authorised to transact:	Direct Life Insurance; Direct General Insurance; Composite Direct Insurance (i.e. Life & General both) or Re-Insurance Business (Life & General)
13.	Home Country/Jurisdiction Regulator or Supervisory Authority has authorised the CBR to transact Reinsurance business from foreign jurisdiction.	Yes / No.
14.	Place of office of the CBR applying for allotment of FRN	
15.	Country of tax residency for the applicant CBR	
16.	Full Name of ultimate parent/holding Company of CBR (complete name to be given as per certificate of registration)	
17.	Home Country/Jurisdiction of ultimate parent/holding Company of CBR	
18.	Status of applicant CBR	parent company/ subsidiaries/ Associates and affiliates/other may specify
19.	Syndicate of Lloyd's	
B. Details of the person responsible for providing requisite information of CBR		
20.	Name	
21.	Designation	
22.	Business phone number	
23.	Address	
24.	Email Id	
C. Details of the department person responsible for providing confirmation on receipt of premium by CBR		
25.	Name	

26.	Designation			
27.	Business phone number			
28.	Address			
29.	Email Id			
D. Financial Position of the CBR				
30.	Details of Capital: (Not older than 6 months from the date of application)			
31.	Amount of Paid-Up Capital (in case of pool / association / corporation / others, corpus fund available with entity) / (In case of syndicate, Syndicate allocated capacity):			in INR _____
32.	Free Reserves			in INR _____
33.	Name of Currency in which re-insurance business will be transacted			Conversion to INR _____
34.	Share premium account			in INR _____
35.	Net owned funds			in INR _____
36.	FY of Financial Statements of CBR			Enter FY (eg. 1 st April to 31 st March)
37.	Solvency Ratio as per home Country/Jurisdiction regulator for last 3 years	Regulatory Requirement	Actual Solvency Margin of the CBR	
38.	Immediately preceding FY			Audited/unaudited
39.	Immediately preceding FY -1			Audited
40.	Immediately preceding FY -2			Audited

41.	Financial Year	Incurred Claims Ratio (ICR)	Combined Ratio	
42.	Immediately preceding FY			Audited/unaudited
43.	Immediately preceding FY -1			Audited
44.	Immediately preceding FY -2			Audited
45.	Details of previous CBR FRN as per IRDAI Portal (if any)	Immediately preceding FY	Immediately preceding FY-1	Immediately preceding FY -2
46.	CBR FRN No.			
47.	Approved mode of FRN (Auto/Normal/New)			
48.	Details of re-insurance business placed with the CBR by Indian Insurers	Amount (INR in Cr) of re-insurance business placed		
49.	Financial Year	Facultative	Treaty	
			Proportional	Non-proportional
50.	Immediately preceding FY			Lines of business which the CBR participated
51.	Immediately preceding FY -1			
52.	Immediately preceding FY -2			
53.	Details of re-insurance Claims paid by the CBR to Indian insurers	Amount (INR in Cr)		

54.	Financial Year	Facultative	Treaty		
			Proportional	Non-proportional	
55.	Immediately preceding FY				List of names of ceding insurers
56.	Immediately preceding FY -1				
57.	Immediately preceding FY -2				
58.	Details of claims outstanding for Indian insurers along with ageing (as on date)	Amount (INR Cr)			
59.	Ageing details				
60.	up to 90 days				
61.	91 - 180 days				
62.	181 days and above				
63.	Total				
64.	Name(s) of Indian insurers for whom CBR is participating in re-insurance business for last FY	Names of Indian insurers			
65.	Re-insurance premium receipt confirmation from the applicant CBR	Immediately preceding FY	Immediately preceding FY -1	Immediately preceding FY-2	
66.	The applicant CBR has provided premium confirmation receipts to all Indian insurers	Yes / No	Yes / No	Yes / No	

67.	Please attach file / email duly certified by authorized signatory of the CBR			
68.	If 'No', please furnish reasons for the same along with duly certified authorized signatory of the CBR.			
E. Credit rating from international credit rating agencies				
70.		Immediately preceding FY	Immediately preceding FY -1	Immediately preceding FY-2
71.	Name of Rating Agency			
72.	Date of Rating			
73.	Credit Rating			
74.	Whether the CBR has over a period of the past three years counting from the year preceding for which the business has to be placed, enjoyed a credit rating of at least BBB (with Standard & Poor) or equivalent rating of any other international rating agency? If no, the credit ratings for past three years be submitted		(Yes/No)	
75.	Whether the CBR complies with the solvency margin/ capital adequacy prescribed by the home regulator/ jurisdiction		(Yes/No)	
76.	Whether the country of domicile has signed a Double Taxation Avoidance Agreement with the Government of India		(Yes/No)	

77.	DECLARATION CUM UNDERTAKING: I / We solemnly declare that the information furnished in this application form is true and correct to the best of my/ our knowledge.		
78.	Place:	<u>Seal</u>	Signature
79.	Date:		Name:
80.	Email id:		Designation:
81.	Contact number:		[Authorised Signatory of CBR]
82.	Details of the business plan (LOB-wise) cedant intends to pursue with the CBR		
83.	The filing of this application is in compliance with Reg. 5 (2) (B) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations, 2018	(Yes / No)	
84.	If No, the insurer has to submit clarification on the matter	Free text	
85.	The following are the documentary Requirements in case of Application for Non-Eligible CBR		
86.	Signed copy of specific recommendation of the ceding insurer, justifying as to why they would like to make reinsurance placements with the referred CBR. Such recommendation shall necessarily be made by the Head of Reinsurance Department of the ceding insurer.	Free text	

87.	DECLARATION CUM UNDERTAKING BY CHIEF COMPLIANCE OFFICER OF INDIAN (RE)INSURER: <ol style="list-style-type: none"> i. I/ We solemnly confirm that the required due diligence of the CBR has been done and the ii. relevant documents have been scrutinized scrupulously. iii. I/We ensure strict compliance with the eligibility criteria for CBRs, as specified by the Authority. iv. I/ We undertake that all information furnished above is correct to the best of my/our knowledge and belief. v. I/ We understand that after submitting this application, if it is proved that the information submitted is wrong or incorrect at any point of time, I/ We shall be liable for appropriate action subject to the provisions of the extant Acts, Regulations, Guidelines and circulars issued by the Authority from time to time. vi. I/We undertake that I/We shall inform the Authority immediately in case the rating of the CBR is downgraded or any regulatory actions, penalties, or disciplinary proceedings are initiated against CBR /its parent in home Country/Jurisdiction 			
88.	Place:	Seal	Signature	
89.	Date:		Name:	
90.	Contact number:		Designation:	Chief Officer Compliance
91.	Email id:			

Certificate of Compliance

Name of Insurer:

Financial Year:

Certified that all the reinsurance placements of our company for the Financial year _____ to Cross Border Reinsurers have been placed;

1. in compliance with all eligibility conditions as laid down in the extant regulations / Guidelines / Circulars etc,
2. holding a valid Filing Reference Number (FRN) as per norms laid down by the Authority,
3. specifically approved by the Authority.

All placements made with Cross Border Reinsurers, have been approved by the Board of our company.

Place:	Seal	Signature
		Name:
Date:		Designation: Chief Compliance Officer

Chapter II –Reinsurance Programme

18. Advance Reinsurance Programme to be furnished by all insurers

- (1) As per the Regulation 3 (3)(A)(b) of the IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018, an advance reinsurance programme shall be submitted by every insurer in a specified summary format, to the Authority, at least 45 days before the commencement of the financial year.
- (2) The formats for submission of summary advance reinsurance programme by insurers are attached as **Annexure B** for General Insurers (including standalone Health Insurers, Reinsurers, FRBs and Exempted Insurers) and **Annexure C** for Life Insurers and FRBs.
- (3) Insurers are advised to follow the instructions outlined in **Annexure A** while submitting information in the specified format.
- (4) The Board of every insurer shall ensure that the advance reinsurance programme is submitted to the Authority in the specified format in this Master Circular within the stipulated timeframe as mentioned in the Regulations.
 - (a) In case of Exempted insurers, if there is no Board/CEO/CFO, then the Authorized Person(s) shall ensure the submission of advance reinsurance programme in the specified summary formats.
- (5) Insurers shall submit a certificate confirming the information in the summary Reinsurance programme duly signed by CEO and CFO in the format **Annexure D**.
- (6) As per the Regulation 3 (3)(A)(c) of the IRDAI (Re-Insurance) Regulations, 2018, the Final Re-insurance Programme shall be submitted by all insurers within 45 days of the commencement of every financial year. Such final programme shall be approved by the Board before submission to the Authority. Insurers shall submit the information in the format **Annexure B** and **Annexure C** along with the final reinsurance programme.

Appendix to Chapter II – Reinsurance Programme

Annex- A

Instructions for submission of Advance (Summary) Reinsurance Programme by Reinsurers/Insurers.

1. Background

In order to simplify the submission of advance Reinsurance program the Authority has stipulated a “summary format” of Reinsurance program for forthcoming year.

The summary formats will ensure standardization, accuracy and proper reporting of data and will be useful for analysis and decision-making purposes both for the reporting entities as well as for the Authority.

2. Reporting Entities

- a. Life, Non-life including Specialized Insurers, standalone Health Insurers.
- b. Indian Reinsurers
- c. FRBs and Lloyds India
- d. Exempted insurers

3. General Guidelines:

- a. As mentioned in SI no. 5 below, Forms 1 to 4, Forms 6 and 8 are to be furnished by all reporting entities specified at SI no. 2 above. Forms 5 and 7(7.1,7.2,7.3) are to be furnished by Life, Non-life insurers including Specialized Insurers and standalone Health Insurers
- b. Completeness: Insurers are advised to -
 - Fill in all the fields.
 - Ensure that data is provided for each category and sub-category.
- c. Accuracy: Insurers are advised to -
 - Verify the accuracy of the data furnished in the Forms.
 - Ensure that data in Forms 1 to 5 and Forms 7 and 8 must be in INR Crore.
 - Cross-check numerical values and calculations before final submission.
- d. Gross written premium shall be the sum of gross direct premium and reinsurance inward premium for direct insurers. Reinsurers shall report gross reinsurance inward premium.

4. Advance Reinsurance Program Forms:

a. Form 1: Reinsurance Premium Ceded – Entity Wise

Data is to be submitted:

- I. For the Previous Year, Current Year (Estimated), and Forthcoming Year (Projected)
 - II. Treaty (Proportional), Treaty (Non-proportional), and Facultative is to be submitted as specified in the formats
 - III. For Risk Exposure, values for Total Premium Ceded and Total Risk Exposure Ceded are to be provided.
- b. Form 2.1, 2.2: Distribution of Premium LOB Wise (with-in India, outside India)**
- Data is to be submitted for each Line of Business (LOB). Please mention reasons for changes (Current vs Forthcoming Year), if any, in the Net Retention Ratio.
- c. Form 3: Domestic Inward Re-Insurance Premium**
- The break-up of data shall include reinsurance inward premium (accepted) and the premium retroceded amounts.
- d. Form 4: Foreign Inward Re-Insurance Premium**
- I. The break-up of data shall include reinsurance inward premium (accepted) and the premium retroceded amounts.
 - II. Jurisdiction/Territory indicates the geographical area or legal jurisdiction or name of country, where the reinsurance risk/transactions are proposed.
- e. Form 5: Inter-company Reinsurance Arrangements**
- Segment Breakdown:
- I. Details for each Line of Business may be provided.
 - II. Gross Premium Accepted and Premium Retroceded may be provided.
- f. Form 6: Details of Cover as per CAT Modelling**
- I. CAT Modelling Details:
 - Basis of Modelling:
 - This refers to the methodology or framework used for the CAT modelling. It could include details on the mathematical models, algorithms, or statistical methods employed to assess the impact of catastrophic events.
 - Name of Peril(s):
 - Please specify the types of catastrophic events or perils that are being modelled. Examples include earthquakes, floods, hurricanes, etc.

- Please add row(s) for multiple catastrophic events or perils
- Return Period:
 - This refers to the average number of years between occurrences of a specific magnitude of a catastrophic event. It helps in understanding the frequency of such events.
- Modelling Output Estimates:
 - This refers to the results or predictions generated by the CAT modelling. It could encompass estimates of potential losses, damage, or other relevant outcomes.
- Modelling Agency:
 - Please identify the agency or entity responsible for conducting the CAT modelling. This could be an external modelling firm with expertise in catastrophe risk assessment.
- Retention Limit:
 - This refers to the maximum amount of risk that the primary insurer (ceding company) is willing to retain before seeking reinsurance coverage. It represents the portion of risk that the company is willing to insure itself.
- Reinsured Limit:
 - This refers to the maximum amount of risk that the insurer proposes to transfer to the reinsurer through a reinsurance arrangement. It represents the portion of risk that is ceded to the reinsurer.
- Remarks:
 - This section may include any additional comments, notes, or explanations related to the CAT modelling details. such as assumptions made, special considerations, or any other relevant information.

g. Form 7(7.1, 7.2, and 7.3): Statement of Re-Insurance Cost

Reinsurance Cost details:

- Data is to be submitted for the Previous Year, Current Year (Estimated), and Forthcoming Year (Projected)
- Data is to be submitted for each segment as specified in Form 2 for Facultative, Treaty (Proportional) and Treaty (Non-proportional) arrangements.
- Insurers shall furnish the specified details both in amount and percentage.

h. Form 8: Reinsurance cessions with the CBR

- I. Reinsurer Name: Enter the full name of the Cross Border Reinsurer (CBR). Avoid abbreviations or acronyms.
- II. Credit Rating: Provide the latest credit rating assigned to the CBR by a recognized credit rating agency (e.g., A.M. Best, S&P, Moody's, Fitch).
- III. Estimated/Projected Cession for the Year: Enter the estimated or projected percentage of reinsurance cession to the respective CBR for the forthcoming year.

Annex- B - Format for submissions of Advance (Summary) Reinsurance Programme for General, Health, Exempted Insurers, and FRBs and Lloyd's India



Annexure B.xlsx

Annex- C - Format for submissions of Advance (Summary) Reinsurance Programme for Life Insurers



Annexure C.xlsx

Certificate for Advance Reinsurance Programme

Name of Insurer:

Financial Year:

Certified that the information submitted in the advance reinsurance summary format in compliance with the IRDA (Reinsurance) Regulations, 2018 is verified and correct.

Place:

Seal

Date:

Signature

Signature:

Name:

Name:

Designation: Chief Financial Officer

Designation: Chief Executive Officer

Chapter III

Collateral requirements for placement of reinsurance business with Cross Border Reinsurers (CBRs)

1. Background:

The Indian reinsurers and branches of foreign reinsurers (FRBs) have been providing the necessary capacity and technical support to the direct insurers and also helping them in their growth trajectory. In addition, the Cross Border Reinsurers (CBRs) have also been getting significant amount of premiums from India and their share in the Indian reinsurance market is increasing. With the unleashing of several reforms in the regulatory framework, the insurance sector in India is now poised for high growth in the coming years. It is therefore, felt necessary to ring-fence the interests of Indian cedants to maintain their ability to meet obligations towards policyholders in India, while continuing their growth trajectory. In order to strengthen and further improve the resilience of the Indian insurance sector, and to prepare for future growth, the Authority, under the powers conferred under Reg. 12(2)(A) of the IRDAI (Re-insurance) Regulations 2018, issues the following stipulations.

2. The Cross Border Reinsurers (CBRs) accepting business from Indian cedants shall be required to provide collaterals in terms of the provisions in this circular. The cedant placing re-insurance business with CBRs shall be responsible for collecting the collateral for such placement(s) as indicated below –

- a) The collateral shall be either in the form of irrevocable Letter of Credit (LC) from the CBR or premium / funds withheld by the ceding insurer.
- b) In case of LC;
 - i. the LC shall be issued through any IFSC Banking Unit (IBU) in GIFT-IFSC or a scheduled commercial bank regulated by the Reserve Bank of India,
 - ii. the cedant may choose to accept such LC either in Indian Rupees or in any freely convertible foreign currency,
 - iii. the amount of LC shall be with reference to the aggregate of outstanding claims liabilities and IBNR reserves of the ceding insurer for re-insurance contract or arrangement with the concerned CBR. The amount of collateral shall be as below:

Rating Position of CBR	Minimum Amount of collateral (aggregate of outstanding claims liabilities and IBNR reserves)
A- or above from Standard or Poor's or equivalent	75%
Below A-	100%

- c) In case of Premiums/ Funds withheld;
- i. the premiums/ funds withheld from each CBR shall be identified, accounted for, kept and invested separately from the funds of the insurer,
 - ii. the investment income, if any, on such withheld funds shall be credited to such fund(s),
 - iii. the minimum amount of premium/ fund withheld shall be 50% of the premiums ceded by the insurer to a CBR.
3. General –
- a) If the cedant is satisfied that the liabilities of the concerned CBR under re-insurance contract(s) are extinguished, the cedant shall release such collaterals to that extent.
 - b) Every ceding insurer shall ensure compliance with the collateral requirements as indicated in these stipulations, based on the approved reinsurance program.
 - c) The ceding insurer shall not be permitted to take credit of the collaterals held by it, for the purpose of determining the available solvency margin.
 - d) The following reinsurance transactions shall not be subject to collateral requirements:
 - i. premium retroceded by the branches of foreign reinsurers and Indian reinsurers to CBRs;
 - ii. premiums ceded to CBRs in respect of schemes of the government, such as PMFBY, PMJAY, PMJJBY, PMSBY; and
 - iii. if total premium ceded by an insurer to CBRs is up to rupees 75 crore during a financial year, provided that the CBRs are rated 'A-' or above from S&P or equivalent.
4. These provisions shall be applicable for all the reinsurance placements with Cross Border Reinsurers (CBRs) by cedants from India, for reinsurance programs for FY 2025-26 onwards.

Schedule 1

The following Circulars, Guidelines and Directions shall stand repealed from the date of issue of the Master Circular:

Sl No	Name of Circular/Guideline/Order and Direction	Reference Number	Date of issue
1.	Submission of Advance Reinsurance Programme	IRDA/REIN/CIR/RISF/4/1/2024	5 th January, 2024
2.	Guidelines on issuance of File Reference Numbers (FRN) to Cross Border Re-insurers	IRDAI/REIN/GDL/MISC/2/1/2023	3 rd January, 2023
3.	Reinsurance Treaty Agreements covering Fire and Engineering Lines of Business – prohibition of provisions that make for broad market price tariffs	IRDAI/REIN/CIR/MISC/247/12/2022	19 th Dec, 2022
4.	Repatriation of Assigned Capital by FRBs/Lloyd's India	IRDAI/REIN/CIR/MISC/224/10/2022	26 th October, 2022
5.	Public Disclosures by FRBs/Lloyd's India	IRDAI/REIN/CIR/MISC/112/6/2022	3 rd June, 2022
6.	Restriction on Holding more than one certificate of Registration by one group.	IRDAI/F&A/CIR/MISC/26/2/2022	16 th February, 2022
7.	Corporate governance guidelines	IRDA/F&A/GDL/CG/100/05/2016	18 th May, 2016